मत्स्य भारती

राजभाषा ई-गृह पत्रिका

प्रथम अंक

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

मुख्य संरक्षक
डॉ अभिलक्ष लिखी
सचिव, मत्स्यपालन विभाग

संरक्षक
श्री सागर मेहरा
संयुक्त सचिव,
मत्स्यपालन विभाग

मार्गदर्शन
श्री सुशील कुमार झा
निदेशक,
मत्स्यपालन विभाग

संपादन
श्रीम. एस. रेशमी
सहायक निदेशक
मत्स्यपालन विभाग

परशोत्तम रूपाला
PARSHOTTAM RUPALA

मंत्री
मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी
भारत सरकार
Minister
Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
Government of India

D.O. No.2386/MIN(FAH&D)/20.2.3-24

13 SEP 2023

शुभेच्छा संदेश

मुझे यह जानकार प्रसन्नता है कि मत्स्यपालन विभाग राजभाषा ई- पत्रिका "मत्स्य भारती" का प्रथम अंक प्रकाशित कर रहा है ।

राष्ट्र निर्माण में हिन्दी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । आजादी के दौर से लेकर आज भी हिन्दी जन साधारण की संपर्क भाषा रही है । मत्स्यपालन विभाग मछुआरों और मत्स्यपालकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएँ लेकर आता है और इन योजनाओं को सफलतापूर्वक ग्रास रूट्स तक पहुंचाने में सही भाषा यानि जन साधारण की भाषा का उपयोग एक महत्वपूर्ण घटक है । अत: मत्स्यपालन विभाग में इस बात पर बल दिया जाता है कि प्रत्यके योजनाओं और स्कीम से संबन्धित जानकारी हिन्दी और विभिन्न राज्यों और प्रान्तों की भाषा में भी उपलब्ध हो ताकि मछुआरे और मत्स्य पालक सुग्राह्यता से योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें ।

पिछले कई वर्षों से सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि हुई है और मत्स्यपालन विभाग में भी राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ा है। यूनीकोड के आगमन से कंप्यूटर द्वारा हिन्दी का प्रयोग काफी सरल हो गया है और आज राजभाषा हिन्दी में सरकारी कार्य करना और भी सुगम हो गया है ।

राजभाषा हिन्दी में शासकीय कार्य करना और हिन्दी भाषा का प्रचार – प्रसार करना हमारा संवैधानिक दायित्व होने के साथ-साथ नैतिक कर्तव्य भी है । मुझे खुशी है कि मत्स्यपालन विभाग में राजभाषा हिन्दी को समर्थ, सक्षम एवं सर्वस्वी रूप में स्थापित किया जा रहा है, मत्स्य भारती" राजभाषा ई- पत्रिका इस बात की साक्षी है ।

राजभाषा ई- पत्रिका मत्स्य भारती" के प्रथम अंक के लिए हार्दिक बधाई और इसके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ ।

(परशोत्तम रूपाला)

Delhi Office : Room No. 234, 'B' Wing, Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Tele.: +91-11-23380780, **Fax:** +91-11-23380783, **E-mail:** rupalaoffice@gmail.com
Gujarat State Camp Office : Plot No. 219, Sector-20, Gandhinagar-382 020, Tele.: 079-23260013
Website : https://dahd.nic.in

डॉ. एल. मुरूगन
Dr. L. MURUGAN

राज्य मंत्री
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार
MINISTER OF STATE FOR
INFORMATION & BROADCASTING AND
FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि मत्स्यपालन विभाग अपनी राजभाषा ई-पत्रिका "मत्स्य भारती" का प्रथम अंक प्रकाशित कर रहा है।

राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए पत्र- पत्रिकाओं का प्रकाशन एक प्रमुख घटक है। मुझे पूरा विश्वास है कि "मत्स्य भारती" राजभाषा ई-पत्रिका के इस प्रथम अंक द्वारा मत्स्यपालन विभाग में राजभाषा हिन्दी के लिए एक नई उमंग का सृजन होगा और सभी अधिकारी एवं कर्मी राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की ओर और अधिक आकर्षित होंगे।

मुझे यह जानकार भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि "मत्स्य भारती" राजभाषा ई-गृह पत्रिका के इस प्रथम अंक में कई हिन्दीतर भाषियों ने अपने लेखों द्वारा योगदान दिया है; यह एक बहुत सराहनीय बात है। इससे यह उजागर होता है की हिन्दीतर भाषी भी राजभाषा हिन्दी की ओर लगाव से कार्य कर रहे हैं।

मैं मत्स्यपालन विभाग की राजभाषा ई- पत्रिका "मत्स्य भारती" के प्रथम अंक के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ ।

(डॉ. एल. मुरुगन)

डॉ0 संजीव कुमार बालियान
DR. SANJEEV KUMAR BALYAN

राज्य मंत्री
मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
MINISTER OF STATE FOR FISHERIES,
ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI-110001

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि मत्स्यपालन विभाग अपनी राजभाषा ई- पत्रिका "मत्स्य भारती" का प्रथम अंक प्रकाशित कर रहा है ।

मत्स्यपालन विभाग राजभाषा हिन्दी के उत्तरोत्तर विकास और प्रगामी प्रयोग की ओर सकारात्मक कदम बढ़ाते जा रहा है और "मत्स्य भारती" पत्रिका इस दिशा में एक और कड़ी के रूप में जुड़ गई है । इस पत्रिका की अनुशंसा 28.10.2022 को मत्स्यपालन विभाग और पशुपालन और डेयरी विभाग की प्रथम संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में सदस्यों द्वारा की गई थी, जिसकी अध्यक्षता का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था और मुझे खुशी है कि दी गई अनुशंसा पर मत्स्यपालन विभाग ने बहुत अच्छी तरह कार्य किया है और राजभाषा पत्रिका को ई- पत्रिका के रूप में मूर्त किया है ।

मैं मत्स्यपालन विभाग द्वारा राजभाषा हिन्दी के लिए किए गए श्रम साध्य प्रयासों की सराहना करता हूँ और राजभाषा ई-गृह पत्रिका "मत्स्य भारती" के प्रथम अंक के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ ।

(डॉ. संजीव कुमार बालियान)

Dr. Abhilaksh Likhi, IAS
Secretary
डॉ अभिलक्ष लिखी, भा.प्र.से.
सचिव

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
Government of India
Ministry of Fisheries,
Animal Husbandry & Dairying
Department of Fisheries
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

संदेश

यह जानकर मुझे गर्व की अनुभूति है कि मत्स्यपालन विभाग राजभाषा ई-पत्रिका "मत्स्य भारती" का प्रथम अंक प्रकाशित कर रहा है।

राजभाषा हिन्दी के उत्तरोत्तर विकास के उत्तरदायित्व में मत्स्यपालन विभाग निरंतर कार्यशील है और "मत्स्य भारती" राजभाषा ई-पत्रिका इस बात का द्योतक है क्योंकि इस पत्रिका के प्रकाशन के पीछे भी राजभाषा हिन्दी के प्रति कर्तव्य बोध की चेतना ने काम किया है । इस पत्रिका में हिन्दी में तकनीकी और गैर तकनीकी लेखों को सम्मिलित किया गया है और अधिकारियों और कर्मियों की राजभाषा हिन्दी में रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया गया है जो एक बहुत सराहनीय प्रयास है।

मुझे गर्व है कि मत्स्यपालन विभाग "मत्स्य भारती" राजभाषा ई-पत्रिका को प्रकाशित करने के लिए सक्षम हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पत्रिका द्वारा राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए अधिकारियों और कर्मियों के बीच और उत्साह और आकर्षण बढ़ेगा।

राजभाषा ई-पत्रिका "मत्स्य भारती" के प्रथम अंक के लिए बधाई और इसके उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ शुभकामनाएँ।

अभिलक्ष लिखी

(डॉ. अभिलक्ष लिखी)

सागर मेहरा
SAGAR MEHRA

सत्यमेव जयते

संयुक्त सचिव
मत्स्यपालन विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
Joint Secretary
Department of Fisheries
Ministry of Fisheries,
Animal Husbandry & Dairying
Government of India
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि मत्स्यपालन विभाग अपनी राजभाषा ई-गृह पत्रिका "मत्स्य भारती" का प्रथम अंक प्रकाशित कर रहा है।

हिन्दी सरल और सुबोध भाषा है और इसे राजभाषा के रूप में सहजता से उपयोग किया जा सकता है ।मत्स्यपालन विभाग में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए अथक और निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ।राजभाषा ई-गृह पत्रिका "मत्स्य भारती" भी इन्हीं प्रयासों की शृंखला में जुड़ गई है।

दैनिक सरकारी कर्तव्यों में से एक महत्वपूर्ण कर्तव्य यह भी है कि राजभाषा हिन्दी का अधिकतम प्रयोगहो और संविधान द्वारा विनिर्दिष्ट अधिनियनों एवं नियमों के अनुरूप और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वाराजारी आदेशों के अनुपालन में राजभाषा के उत्तरोत्तर विकास के लिए समुचित कदम उठाए जाएँ। मुझे इस बातका गर्व है कि मत्स्यपालन विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी इस महत्वपूर्ण कर्तव्य को समझते हैं औरअनुपालन करते हैं। आवश्यक्तानुसार सभी अधिकारियों और कर्मियों को राजभाषा के अनुपालन के लिए दिशानिर्देश भी समय-समय पर जारी किए जाते हैं।

राजभाषा ई-गृह पत्रिका "मत्स्य भारती" में अमूल्य योगदान देने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई और पत्रिका की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ।

(सागर मेहरा)

NEETU PRASAD, IAS

संयुक्त सचिव
भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

Joint Secretary
Government of India
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
Department of Fisheries
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

संदेश

मुझे खुशी है कि मत्स्यपालन विभाग अपनी राजभाषा ई- पत्रिका "मत्स्य भारती" का प्रथम अंक प्रकाशित कर रहा है।

पत्रिकाओं का प्रकाशन राजभाषा हिन्दी के प्रचार – प्रसार में एक अहम भूमिका निभाती है। जहां यह लेखकों को एक रचनात्मक मंच उपलब्ध कराती है वहीं कई विषयों पर विभिन्न अधिकारियों और कर्मियों की प्रतिभा का भी संज्ञान हो जाता है। इस पत्रिका में मात्स्यिकी और मत्स्यपालन से संबन्धित तकनीकी विषयों पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने विचार हिन्दी में व्यक्त किए हैं। इससे यह बात भी सामने आती है कि मात्स्यिकी से जुड़े तकनीकी विषयों को सहज रूप में हिन्दी में व्यक्त किया जा सकता है।

राजभाषा हिन्दी की समृद्धि के लिए कार्य करना सभी केंद्रीय कार्यालयों का उत्तरदायित्व है और मुझे प्रसन्नता है कि मत्स्यपालन विभाग इस उत्तरदायित्व पर खरा उतर रहा है।

राजभाषा ई-पत्रिका "मत्स्य भारती" दीप्तिमान होकर आगे बढ़े, यही हम सबकी कामना है।

नीतू प्रसाद

(नीतू प्रसाद)

संपादक की कलम से...

एस. रेशमी

सहायक निदेशक
(राजभाषा)

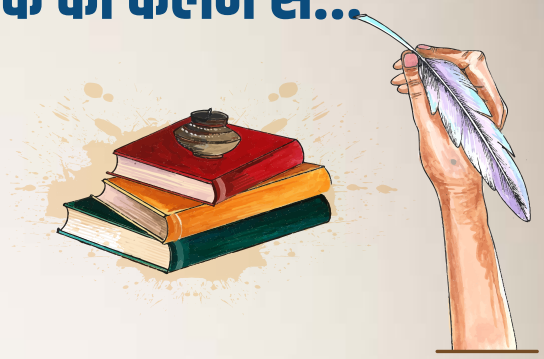

मत्स्यपालन विभाग की प्रथम राजभाषा ई-गृह पत्रिका "मत्स्य भारती" आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, यह न केवल मेरे लिए बहुत गर्व की बात है बल्कि मेरे मन मस्तिक्ष में एक अमिट छाप छोड़ने वाली घटना भी है क्योंकि एक विभाग के लिए इस प्रकार पत्रिका लाँच करने और उसे संपादित करने का यह मेरा पहला प्रयास है।

जिस प्रकार हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं, जिस प्रकार हम अपने राष्ट्र गान का सम्मान करते हैं और जिस प्रकार हम समुद्री और अंतर्देशीय पारिस्थितिकी तंत्र में हलचल किए बिना मात्स्यिकी, मत्स्यपालन, बन्दरगाह, सी-वीड और मछुआ बंधुओं के विकास के लिए प्रयत्नशील हैं, उसी प्रकार हमारा एक महत्वपूर्ण कर्तव्य यह भी है कि भाषा और राजभाषा के संबंध में भारत के संविधान और केंद्र सरकार द्वारा दी गई जिम्मेदारी का हम सम्मान करें और निष्ठा से इस ज़िम्मेदारी का निर्वहन करें। केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले अधिकारी या कर्मी के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते और नैतिक धर्म के नाते भी हिन्दी को भारत की भाषा के रूप में और राजभाषा के रूप में सँजो कर रखना और इस सुंदर भाषा को रोज़मर्रा के सरकारी कार्यों में उपयोग करते रहना हमारी एक आदत होनी चाहिए।

मुझे खुशी है कि मत्स्यपालन विभाग के सभी अधिकारी और कर्मी राजभाषा हिन्दी के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने में पीछे नहीं है और **"मत्स्य भारती"** इस बात का सुखद प्रमाण है। "मत्स्य भारती" का यह प्रथम अंक है, प्रथम प्रयास है अत: यदि कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमाप्रार्थी हूँ। पाठकों के बहुमूल्य सुझाव और प्रतिक्रिया की आस के साथ...

शुभकामनाएँ

एस. रेशमी
सहायक निदेशक (राजभाषा)

अस्वीकरण

मत्स्य भारती पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबन्धित लेखक के हैं। सरकार अथवा मत्स्यपालन विभाग का उससे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

अनुक्रमणिका

शीर्षक	रचनाकार	पृष्ठ सं
जलवायु परिवर्तन – प्रभाव और शमन उपाय	डॉ नीलेश अनिल पवार	1
भारत की स्वतन्त्रता से पहले और बाद में मत्स्यपालन	डॉ गुणमय पात्रा	11
समुद्री जहाजों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न निर्बाध संचार उपकरण	डॉ एन्सी मैथ्यू	14
जलकृषि में फाईटोथेरेपी, संभावनाएं और चुनौतियाँ	श्री सुधांशु शेखर मिश्रा	20
कार्यस्थल, घर, सार्वजनिक स्थान आदि पर एक्वेरियम / फिश टैंक रखने के लाभ	श्रीम. पूनम रानी	22
कोविड – 19 का प्रभाव	श्रीम. पूनम रानी	25
समुद्री घास के मैदान, पारिस्थितिकी तंत्र और सस्टेनेबिलिटी	श्री फोफंडी महेन्द्रकुमार धीरजलाल	27
मालपे की मेहनती मछुआरिन महिलाएं – सामाजिक पारिस्थिकीय वातावरण से जुड़ीं स्व-स्थापित उद्यमी	डॉ पृथ्वी रानी	30
भारत में मात्स्यिकी अवसंरचना विकास	श्री अंशुल मिश्रा	32
जलाशय में केज कल्चर तथा जलाशय और आर्द्रभूमि में मत्स्यपालन	श्री राकेश कुमार	37
क्या "फिश फार्म प्रजनकों का अधिकार अधिनियम" हो सकता है ?	डॉ नितिन वर्मा	39
घटते जन्मदर का सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक मूल्य	डॉ नियति जोशी	41
जगन्नाथ पुरी यात्रा	श्री शेखर उज्जैनवाल	45
कविता		
मछली और पानी - जल की तितली मछली	श्री शखावत हुसैन	48
Sustainable Fisheries	Dr. Nilesh Anil Pawar	49
"तुम"	डॉ नियति जोशी	50
काश मैं अमीर बाप का बेटा होता	श्री आलोक वैध्द	51
मावस की काली रातों में	श्री आलोक वैध्द	52
Caution from the Ocean	Ms. Ayela Khan	53
मत्स्यपालन विभाग में राजभाषा के बढ़ते कदम	श्रीम. एस. रेशमी	54
मानवता को गरिमा देने का सरल माध्यम है क्षमाशीलता	स्वर्गीय डॉ शैलेंद्र कुमार द्विवेदी	55
प्रशासनिक वाक्यांश	स्वर्गीय डॉ शैलेंद्र कुमार द्विवेदी	56
फोटो / चित्र		
मत्स्यपालन विभाग में राजभाषा पखवाड़ा गतिविधियों की झलक		60
मत्स्यपालन विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा गतिविधियां		63
हास्य व्यंग		
राजभाषा के रंग कार्टून के संग (स्त्रोत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)		81

डॉ. नीलेश अनिल पवार, उप निदेशक (जलीय संगरोध)

जलवायु परिवर्तन- प्रभाव और शमन उपाय

भारत में खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका सुनिश्चित करने में मत्स्यपालन और जलकृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, ये वे क्षेत्र हैं जिनपर जलवायु परिवर्तन और संबंधित आपदा का खतरा रेहता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को प्रभावी ढंग से संबोधित करना और मत्स्यपालन और जलकृषि में आपदा जोखिमों का प्रबंधन, मजबूती से इनसे जूझने और भूख को समाप्त करने, गरीबी उन्मूलन और प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी उपयोग से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करना आवश्यक है।

भारत में खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका सुनिश्चित करने में मत्स्यपालन और जलकृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, ये वे क्षेत्र हैं जिनपर जलवायु परिवर्तन और संबंधित आपदा का खतरा रेहता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को प्रभावी ढंग से संबोधित करना और मत्स्यपालन और जलकृषि में आपदा जोखिमों का प्रबंधन, मजबूती से इनसे जूझने और भूख को समाप्त करने, गरीबी उन्मूलन और प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी उपयोग से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करना आवश्यक है।

हमारे महासागर और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र विश्व की जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनमें अंतर्निहित लचीलापन है लेकिन जोखिम बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त, महासागर और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हमारे उत्सर्जन को अवशोषित करते हुए हमारे सबसे बड़े प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। हालाँकि, प्रभावी कार्बन सिंक के रूप में काम करने की उनकी क्षमता बनाए रखने के लिए, हमें उन्हें स्वस्थ रखना चाहिए। पृथ्वी की जलवायु में वैश्विक और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर उल्लेखनीय परिवर्तन हो रहे हैं। भारत में, ये परिवर्तन बढ़ते वायु तापमान, क्षेत्रीय मानसून पैटर्न में बदलाव, अक्सर ड्राउट (सूखा), तटीय क्षेत्रों में चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि और हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर के घटने के संकेतों के रूप में स्पष्ट हैं।

समुद्री मत्स्यपालन पर प्रभाव:

समुद्री मत्स्यपालन, काफी हद तक खुली पहुंच होने के कारण, तटीय जल में सीमित संसाधनों को साझा करने के लिए विभिन्न हितों वाले हितधारकों के बीच एक तीव्र प्रतिस्पर्धा है। यह महसूस किया गया है कि तटीय जल से मछली पकड़ने की क्षमता बढ़ाने की गुंजाइश सीमित है। अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन इस स्थिति को बढ़ाएगा और मछली की आबादी पर एक प्रतिपूरक कारक के रूप में कार्य करेगा। समुद्री मत्स्यपालन पर प्रमुख प्रभाव नीचे सूचीबद्ध हैं:

- पानी के गर्म होने से मछली की विविधता, वितरण, बहुतायत और फेनोलॉजी पर संभावित प्रभाव पड़ता है, परिणामस्वरूप, पारिस्थितिकी तंत्र संरचना और कार्य पर प्रभाव डालेगा।
- पानी के अम्लीकरण से कैल्सीफेरस जानवरों पर प्रभाव पड़ेगा।
- तूफान, बाढ़ और ड्राउट (सूखे) जैसी चरम घटनाओं की बढ़ती घटनाओं से मछली पकड़ने के संचालन की सुरक्षा और दक्षता, नदियों का प्रवाह, आर्द्रभूमि से आच्छादित क्षेत्र और पानी की उपलब्धता प्रभावित होगी और मत्स्यपालन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
- समुद्र के स्तर में वृद्धि का तटीय प्रोफ़ाइल और समुदायों की आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा ।
- मत्स्यपालन पर इस परिणाम से मत्स्यपालन के उत्पादन और मूल्य में कमी आ सकती है, और मछली पकड़ने के कार्यों से आर्थिक रिटर्न में गिरावट आ सकती है।

- उदाहरण के लिए, कई उष्णकटिबंधीय मछली स्टॉक पहले से ही तापमान सहिष्णुता के उच्च चरम के संपर्क में हैं, और इसलिए,विलुप्त होने का सामना करना पड़ सकता है, और कुछ अन्य उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ सकते हैं।
- समुद्र के स्तर में वृद्धि, समुद्र के तापमान में वृद्धि, अत्यधिक पोषक तत्व संवर्धन (यूट्रोफिकेशन) और आक्रामक प्रजातियों के कारण तटीय आवास और संसाधन प्रभावित होने की संभावना है।
- इसका प्रभाव समुद्री जानवरों और समुद्री मत्स्यपालन में देखा गया है। यह स्पष्ट है कि बढ़ता तापमान जलवायु परिवर्तन का मुख्य चालक है। समुद्री मत्स्यपालन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर आईसीएआर नेटवर्क परियोजना ने भारतीय समुद्रों में विभिन्न समुद्री प्रजातियों द्वारा जलवायु परिवर्तन के कारण निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं की सूचना दी है:

(i) उच्च तापमान पर फाइटोप्लांकटन प्रजातियों की संरचना में परिवर्तन;
(ii) छोटे पेलजिक्स की वितरण सीमा का विस्तार;
(iii) गहराई का विस्तार; और
(iv) फेनोलॉजिकल परिवर्तन।

- इसके अलावा, भारतीय समुद्र में विभिन्न समुद्री प्रजातियों पर आईसीएआर द्वारा किए गए जलवायु परिवर्तन अनुसंधान ने विकास दर, प्रजातियों की संरचना और दीर्घायु, दो सबसे प्रमुख छोटे पेलजिक्स ऑयल सार्डिन और भारतीय मैकेरल की वितरण सीमा का उत्तरी अक्षांशों की ओर विस्तार और थ्रेडफिन ब्रीम नेमिप्टेरस जैपोनिकस औरनेमिप्टेरस मिसोप्रियन के स्पॉनिंग सीज़न में स्पष्ट मौसमी बदलाव, गर्म (अप्रैल-सितंबर) से अपेक्षाकृत ठंडे महीने (अक्टूबर-मार्च) तक भारतीय समुद्रों में उत्तरी सीमा के विस्तार के अलावा, भारतीय मैकेरल पिछले तीन दशकों से ऊर्ध्वाधर सीमा को उपसतह जल तक विस्तारित करते हुए पाया गया है। समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि ने भारतीय समुद्रों में मूंगा पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त, हाल के वर्षों के दौरान, भारत के पश्चिमी तट पर चक्रवाती स्थिति बढ़ी है; कई उष्णकटिबंधीय चक्रवातों ने भारतीय तट को बाधित किया है, लोगों की जान ले ली है और तटीय जिलों में मछुआरों की संपत्ति और मत्स्यपालन के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है, जिससे मछुआरों की आजीविका प्रभावित हुई है। भारतीय तट पर जिन महत्वपूर्ण चक्रवातों के कारण मछली पकड़ने के दिनों की हानि हुई, उनमें चक्रवात फियान, हुदहुद, ओक्खी, फनी, क्यार, वायु, हिक्का, महा और निसर्ग आदि शामिल हैं। इन चक्रवाती घटनाओं का प्रभाव हिंद महासागर और अरब सागर के गर्म होने पर भी पड़ सकता है।

टेबल 1 जलवायु परिवर्तन और समुद्री मत्स्यपालन और जलकृषि पर इसका प्रभाव

कारक	प्रभाव	परिणाम
समुद्र की सतह के तापमान में परिवर्तन (एसएसटी)	अल्गल ब्लूम में वृद्धि, कम घुलित ऑक्सीजन, पैरासाइट में वृद्धि,शिकारियों का आक्रमण,लंबे समय तक बढ़ने वाला मौसम,स्थान और आकार में बदलाव,कोरल रीफ को नुकसान।	जलवायु परिवर्तन और समुद्री मत्स्यपालन और जलकृषि पर इसका प्रभाव
समुद्र तल से वृद्धि	भूमि की हानि, खारे पानी का समावेश, मुहाने में परिवर्तन, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र और मैंग्रोव की हानि	मीठे पानी की प्रजातियों का नुकसान,जलकृषि के लिए क्षेत्र में कमी,मीठे पानी की उपलब्धता में कमी,प्रजातियों में बदलाव/संरचना, वितरण में बदलाव,भर्ती और स्टॉक में कमी
तूफानों की आवृत्ति में वृद्धि	अशांत जल, लवणता में परिवर्तन	स्टॉक की हानि,पकड़ में कमी,मछुआरों के लिए जोखिम,रख रखाव की लागत में वृद्धि,जहाजों,जालों आदि को नुकसान।
ईएल नीनो-साउथ ऑक्सीलेशन	समुद्र की धारा का स्थान और समय बदलता है, अपवेलिंग से खाद्य आपूर्ति में परिवर्तन होता है,कोरल ब्लीचिंग होता है	उत्पादकता में कमी
ड्राउट (सूखा)	लवणता बदल जाती है	मत्स्य स्टॉक की हानि, मछुआरों का पलायन

समुद्री मत्स्यपालन क्षेत्र में अनुकूलन के विकल्प सीमित हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव परिवर्तन की मात्रा और विशिष्ट प्रजातियों या पारिस्थितिक तंत्र की संवेदनशीलता के आधार पर भिन्न होता है। हालाँकि, कुछ प्रमुख अनुकूलन उपाय हैं जिन पर विचार किया जा सकता है: i) ज्ञान का आधार विकसित करना: जलवायु परिवर्तन और समुद्री मत्स्यपालन के बीच संबंधों की समझ को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। इसमें जलवायु परिवर्तन के लिए मत्स्यपालन के विशिष्ट प्रभावों और कमजोरियों का आकलन करने के लिए अनुसंधान, निगरानी और डेटा संग्रह करना शामिल है। यह ज्ञान आधार प्रभावी अनुकूलन रणनीतियों के विकास की जानकारी देगा। ii) आचार संहिता अपनाएं: जिम्मेदार मत्स्यपालन के लिए आचार संहिता को लागू करना, जैसे कि खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा स्थापित आचार संहिता जिसे जिम्मेदार मत्स्यपालन के लिए आचार संहिता (सीसीआरएफ) कहा जाता है, जलवायु परिवर्तन की स्थिति में मत्स्यपालन के स्थायी प्रबंधन में योगदान दे सकता है। कोड जिम्मेदार प्रथाएं, पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित दृष्टिकोण और अनुकूली प्रबंधन रणनीतियों पर जोर देता है। iii) जागरूकता बढ़ाना: समुद्री मत्स्यपालन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। इसमें मछुआरे, मछली पकड़ने वाले समुदाय, नीति निर्माता और आम जनता शामिल हैं। इन हितधारकों को शिक्षित और शामिल करके, अनुकूलन उपायों का समर्थन करने और क्षेत्र में स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रयास किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, जिन अन्य अनुकूलन विकल्पों की खोज की जा सकती है, उनमें आजीविका विविधीकरण के माध्यम से तटीय समुदायों की जूझने की क्षमता में सुधार करना, मत्स्यपालन प्रबंधन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित दृष्टिकोण को लागू करना और स्थायी जलकृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है जो जंगली मछली स्टॉक पर दबाव को कम करते हैं।

यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताओं और इसमें शामिल प्रजातियों को ध्यान में रखते हुए अनुकूलन उपायों को संदर्भ-विशिष्ट होने की आवश्यकता है। समुद्री मत्स्यपालन क्षेत्र में प्रभावी अनुकूलन के लिए हितधारकों के बीच नियमित निगरानी, मूल्यांकन और सहयोग महत्वपूर्ण होगा।

अंतर्देशीय मत्स्यपालन और जलकृषि पर प्रभाव

जलवायु परिवर्तन जल संसाधनों (नदियाँ, आर्द्रभूमि, मुहाने, झीलें, जलाशय आदि), जैव विविधता, उत्पादकता और स्थिरता से संबंधित अंतर्देशीय मत्स्यपालन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। लाभप्रदता के अलावा, जलकृषि प्रथाओं का उत्पादकता और खेती के तरीकों पर भी असर पड़ने की संभावना है।

हालांकि, इस घटना को पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता है, संभावित शमन उपाय और प्रबंधन प्रथाएं नकारात्मक प्रभावों को कम करने और संभावित स्थितियों के से जूझने में सहायता प्रदान कर सकती हैं। संसाधन प्रबंधन में समुदाय के साथ-साथ पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में क्षमता निर्माण एक स्थायी दृष्टिकोण के साथ एक आवश्यक शमन रणनीति है।

जलवायु परिवर्तन की स्थिति में मत्स्यपालन के स्थायी प्रबंधन में योगदान दे सकता है। कोड जिम्मेदार प्रथाएं, पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित दृष्टिकोण और अनुकूली प्रबंधन रणनीतियों पर जोर देता है। iii) जागरूकता बढ़ाना: समुद्री मत्स्यपालन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। इसमें मछुआरे, मछली पकड़ने वाले समुदाय, नीति निर्माता और आम जनता शामिल हैं। इन हितधारकों को शिक्षित और शामिल करके, अनुकूलन उपायों का समर्थन करने और क्षेत्र में स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रयास किया जा सकता है।

टेबल 2 अंतर्देशीय मत्स्यपालन और कृषि में अनुकूलन (एडेपटेशन) विकल्प

परिवर्तन	घटना	अनुकूलन (एडेपटेशन) विकल्प
कृषि व्यवस्था में परिवर्तन • घुलित ऑक्सीजन में कमी, पानी की गुणवत्ता में गिरावट • प्राथमिक उत्पादकता में वृद्धि • बढ़ी हुई वृद्धि और खाद्य रूपांतरण • रोग की घटनाओं में वृद्धि • हैचरी में प्रजनन अवधि में वृद्धि • विदेशी प्रजातियों का परिचय • तालाबों एवं हैचरी से उत्पादन के स्तर में परिवर्तन • बढ़ी हुई परिचालन लागत • वातन सुविधाओं के साथ गहरे तालाब बनाने के कारण पूंजीगत लागत में वृद्धि **नदियों में परिवर्तन** • मछलियों का भौगोलिक परिवर्तन • निवास स्थान की हानि या लाभ • मछली प्रजनन संशोधन /परिवर्तन • मछली और संबंधित बायोटा प्रजातियों की समृद्धि में कमी, प्रजातियों की संरचना में परिवर्तन • विदेशी प्रजातियों का आक्रमण	**पानी के तापमान में वृद्धि**	• मछलियों की फीड निर्माण और फीड की व्यवस्था में परिवर्तन करना • मछली की वैकल्पिक प्रजातियों द्वारा प्रतिस्थापन पर अन्वेषण। • तालाबों और हैचरी में परिचालन लागत में परिवर्तन के लिए आर्थिक इनपुट प्रदान करना ।

परिवर्तन	घटना	अनुकूलन (एडेपटेशन) विकल्प
कृषि व्यवस्था में परिवर्तन • लवणता बदल जाती है • मछली भंडार का पलायन संरचनात्मक क्षति • रोग/शिकारियों का परिचय • मछली स्टॉक का नुकसान • जलकृषि सुविधाओं को नुकसान, बाढ़ प्रतिरोध के लिए उच्च पूंजी लागत जैसे तटबंधों का निर्माण, आदि। • उच्च बीमा लागत **नदियों में परिवर्तन** • मछलियों का भौगोलिक परिवर्तन • निवास स्थान की हानि या लाभ • मछली प्रजनन में विफलता • मछली और संबंधित बायोटा प्रजातियों की समृद्धि में कमी	**बाढ़**	• लगातार और उथले बाढ़ से सुरक्षा के लिए तटबंध • छोटे आकार में मछली एकत्र करना • उन मछली प्रजातियों को महत्व देना जिनके लिए कम पालन अवधि और इनपुट के संदर्भ में न्यूनतम व्यय की आवश्यकता होती है • हैचरी से बीज की निरंतर आपूर्ति या दूसरे शब्दों में हैचरी से बीज का उत्पादन बढ़ाना
कृषि व्यवस्था में परिवर्तन • लवणता परिवर्तन • पानी की गुणवत्ता में गिरावट • सीमित पानी की मात्रा • मछली स्टॉक का नुकसान • सीमित मत्स्य उत्पादन	**सूखा**	• छोटे तालाब जिनमें 2-4 महीने तक पानी बरकरार रहता है, उनका उपयोग उपयुक्त प्रजातियों (कैटफ़िश, तिलापिया आदि) और प्रबंधन प्रथाओं के साथ मत्स्य उत्पादन के लिए किया जा सकता है।

परिवर्तन	घटना	अनुकूलन (एडेपटेशन) विकल्प
कृषि व्यवस्था में परिवर्तन • सैलाब और बाढ़ • लवणता बदल जाती है • मछली/झींगा स्टॉक का पलायन रोग और शिकारियों का परिचय • झींगा/मछली स्टॉक का नुकसान • सुविधाओं को नुकसान • उच्च बीमा लागत	**तूफान (तटीय क्षेत्र में)**	• चरम मौसम की घटनाओं का शीघ्र पता लगाने वाली प्रणालियाँ, पूर्व चेतावनी प्रणाली का संचार • कुछ हद तक नुकसान स्वीकार करें • इन अवधियों से उबरने के लिए वैकल्पिक रणनीतियों का विकास और कार्यान्वयन • सफल फसल के दौरान अधिकतम उत्पादन और मुनाफा • मॉडलिंग के माध्यम से उपयुक्त साइट चयन और जोखिम मूल्यांकन कार्य।
कृषि व्यवस्था में परिवर्तन • पानी की गुणवत्ता में गिरावट • बढ़ती बीमारियाँ • तालाब का स्तर कम होना • मीठे पानी की आपूर्ति में बदलाव और कमी आई • तालाब के स्तर को कृत्रिम रूप से बनाए रखने की लागत • अन्य जल उपयोगकर्ताओं के साथ संघर्ष • मछली स्टॉक का नुकसान • उत्पादन क्षमता में कमी • कृषि प्रजातियों का परिवर्तन **नदियों में परिवर्तन** • मछलियों का भौगोलिक परिवर्तन • प्रजातियों की समृद्धि कम हो रही है • प्रजनन विफलता • पर्यावास हानि/लाभ	**वर्षा और जल की गुणवत्ता में परिवर्तन**	• मीठे पानी के जलकृषि क्षेत्रों का विस्तार • अन्य कृषि प्रणालियों के साथ जलकृषि का बहुउपयोग, पुन: उपयोग और एकीकरण • अपशिष्ट जल और निम्नीकृत जल जैसे भूजल के संसाधनों में जलकृषि प्रथाओं की गहनता मौसमी प्रकृति (1-3 महीने) के छोटे तालाबों (50-200 वर्ग मीटर) का उपयोग मछली/झींगा की उपयुक्त प्रजातियों के पालन/कृषि के लिए किया जा सकता है। • कार्प फ्राई, स्कैंपी और झींगा पोस्ट लार्वा के सुनिश्चित बीज उत्पादन के लिए हैचरी के बुनियादी ढांचे के परिष्कार को बढ़ाना।

यह भी उल्लेखनीय है कि रोबोटिक्स (स्वचालित फीडर), कंप्यूटर आधारित इमेजिंग, जीपीएस और आरएस प्रौद्योगिकी, आईसीटी आधारित निर्णय लेने का समर्थन, विज्ञान आधारित समाधान, मौसम पूर्वानुमान, तकनीकी समाधान और पर्यावरण नियंत्रण जैसी स्मार्ट प्रौद्योगिकियों का विकास और हस्तक्षेप (स्वचालित जल गुणवत्ता निगरानी) आदि में जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता है। अर्ध-गहन और गहन जल-कृषि में ऐसी प्रौद्योगिकियों के आगे उपयोग से उत्पादन प्रणाली के बेहतर प्रबंधन में मदद मिल सकती है।

सरकारी पहल

मत्स्यपालन क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध विशाल संसाधन के साथ, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रमुख योजना "पीएमएमएसवाई" कायान्वित कर रहा है, जिसमें कुल निवेश 20,050 करोड़ रु/- हैं। पीएमएमएसवाई का दृष्टिकोण "पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से समावेशी मत्स्यपालन क्षेत्र है जो मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य हितधारकों की आर्थिक समृद्धि और कल्याण, देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा को स्थायी और जिम्मेदार बनाने में योगदान देता है।" पीएमएमएसवाई के अंतर्गत, पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर प्रथाओं का उपयोग करके गुणवत्ता और सुरक्षा मत्स्य उत्पादन की सुविधा के लिए केंद्रित और निरंतर हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। सामाजिक, भौतिक और आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ पारंपरिक और छोटे पैमाने के मछुआरों, सीमांत मत्स्य किसानों और मत्स्य श्रमिकों के हितों को सुरक्षित और बढ़ावा देने को भी प्राथमिकता दी गई है। विभाग राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण के माध्यम से स्थायी मछली पकड़ने की प्रथाओं के साथ-साथ नियामक और प्रबंधन ढांचे के प्रवर्तन और मत्स्यपालन प्रबंधन योजनाओं के विकास के लिए मत्स्यपालन क्षेत्र में नीति, संस्थागत और संरचनात्मक सुधारों की दिशा में पहल करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।

पीएमएमएसवाई के तहत हस्तक्षेपों का उद्देश्य अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्यपालन की अप्राप्त क्षमता का इष्टतम दोहन करना है जो विस्तार, गहनता, विविधीकरण, तकनीकी जलसेक और स्थायी और जिम्मेदार तरीके से भूमि और पानी के उत्पादक उपयोग के माध्यम से समर्थित हैं।

न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभावों (प्रति बूंद अधिक फसल-आरएएस, बायोफ्लॉक, एक्वापोनिक) के साथ स्थायी मत्स्य उत्पादन प्रणालियों/तरीकों को बढ़ावा देने, जिम्मेदार और स्थायी मछली पकड़ने के लिए पर्यावरण-अनुकूल विविध मछली पकड़ने की प्रथाओं को विकसित करने और टिकाऊ और जिम्मेदार तरीके से मत्स्यपालन के विकास पर जोर दिया गया है। पीएमएमएसवाई के तहत सौर ऊर्जा, एलपीजी और एलएनजी का उपयोग करके ईंधन कुशल मछली पकड़ने वाले जहाजों को डिजाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। तटीय मत्स्य संसाधनों पर मछली पकड़ने के दबाव को कम करने के लिए गहरे समुद्र में मत्स्यन जहाजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा, मछली पकड़ने और पोस्ट-हार्वेस्ट की गतिविधियों की कुशल लैंडिंग के लिए मत्स्यन बंदरगाहों, और घाटों के आधुनिकीकरण को भी प्रोत्साहित किया जाता है।

रोग की व्यापकता को कम करने और देश भर में मछली उत्पाद को बढ़ाने के लिए, विभाग जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (एनएसपीएएडी) आईसीएआर-एनबीएफजीआर, लखनऊ द्वारा समन्वित लागू कर रहा है जो अब अधिक गहन और समावेशी तरीके से अपने दूसरे चरण में है। इससे जलीय रोग नियंत्रित होने और कृषि उत्पादकता और उत्पादन में सुधार होने की उम्मीद है। जलवायु लचीले जलीय कृषि के सतत विकास के लिए, पीएमएमएसवाई के तहत प्रजातियों के विविधीकरण और आनुवंशिक सुधार कार्यक्रमों के लिए प्रयास किए गए हैं।

मत्स्य संसाधनों के संरक्षण और प्रभावी प्रबंधन के लिए और समुद्री सुरक्षा कारणों से भी, मंत्रालय पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर क्षेत्रीय जल से परे भारतीय ईईजेड में सभी मछली पकड़ने वाले जहाजों द्वारा मछली पकड़ने पर 61 दिनों का एक समान प्रतिबंध लगा रहा है। मंत्रालय द्वारा प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए नियामक तंत्र को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूमि और समुद्र आधारित प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके और पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी की जा सके। इसके अलावा, राज्य मत्स्यपालन विभागों और सागर मित्रों के माध्यम से मछुआरों को जागरूक करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं

ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मछली पकड़ने वाले जहाज किसी भी रूप में समुद्री प्रदूषण में योगदान न करें। ब्लू इकोनॉमी/ब्लू ग्रोथ के लिए पीएमएमएसवाई के तहत एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्यन गांवों का विकास किया गया है। टिकाऊ मछली पकड़ने की प्रथाओं के माध्यम से पर्यावरणीय गिरावट को कम करते हुए तटीय मछुआरों को अधिकतम आर्थिक और सामाजिक लाभ देने के उद्देश्य से विकास योजनाएँ लागू हैं । पीएमएमएसवाई के तहत मछुआरों को अपने मत्स्यन जहाजों पर जैव-शौचालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भारत आईएमओ-एफएओ में लीड पार्टनरिंग कंट्री (एलपीसी) के रूप में भी भाग ले रहा है: "ग्लोलिटर" साझेदारी परियोजना मत्स्यपालन क्षेत्र के भीतर समुद्री कूड़े को रोकने और कम करने और मत्स्यपालन क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग में कमी के अवसरों की पहचान की जा रही है ।

जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है जिसका मत्स्यपालन क्षेत्र सामना कर रहा है और समयबद्ध अनुकूलन और प्रबंधन योजनाएं आवश्यक हैं। मंत्रालय समयबद्ध तरीके से अनुकूलन विकल्पों के कार्यान्वयन के अलावा, मछली स्टॉक और मछली पकड़ने वाले समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर केंद्रित अध्ययन को प्रोत्साहित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के हिस्से के रूप में, मछली पकड़ने और मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करके हरित मत्स्यपालन की अवधारणा को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मत्स्यपालन पर वैश्विक एजेंडा बाध्यकारी और गैर-बाध्यकारी उपकरणों के एक सेट द्वारा निर्देशित होता है जो मत्स्यपालन और पर्यावरणीय पहलुओं दोनों से संबंधित है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज़ के प्रावधानों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है और क्षेत्रीय/अंतर्राष्ट्रीय निकायों की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए भी, जो अपने समुद्री और अंतर्देशीय संसाधनों के प्रबंधन में भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित करता है जो 'मानव जाति की साझी विरासत'का हिस्सा हैं।

जलवायु-अनुरूप जलकृषि परियोजनाएँ: सरकार, विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से, जलवायु-अनुरूप जलकृषि परियोजनाओं का समर्थन करती है जो स्थायी प्रथाओं, जलवायु-स्मार्ट प्रौद्योगिकियों के उपयोग और किसानों की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जलकृषि प्रणालियों की अनुकूली क्षमता को बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति वलनेरेबिलीटी को कम करना है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मत्स्यपालन और जलकृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं, और नई पहल और नीतियां पेश की जा रही हैं। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने का समय आ गया है।

डॉ. गुणमय पात्रा, मात्स्यिकी अनुसंधान एवं जांच अधिकारी

भारत की स्वतंत्रता से पहले और बाद में मत्स्यपालन

भारत में मत्स्य पालन पर ग्रे साहित्य का अध्ययन स्वतंत्रता-पूर्व युग से किया गया है, विशेषकर 1850 के दशक के दौरान। पिछली शताब्दी के पूर्वार्ध में मछली पकड़ने में मुख्य रूप से सेलबोट और कैटामारन का उपयोग करके तटीय तट पर मछली पकड़ने का परंपरागत कौशल और बंगाल कार्प कैटला, रोहू और मृगल पालन शामिल था। इस अवधि के दौरान पानी के भंडारण और अन्य उद्देश्यों के लिए बाड़बंदी संरचनाओं के कारण नदी में मछलियों के प्रवास में एक बड़ा व्यवधान आया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ, मत्स्य पालन विषय को प्रांतीय सरकारों की ज़िम्मेदारी बना दिया गया है और मद्रास, बंगाल, बॉम्बे जैसी सरकारों ने मत्स्य पालन के संरक्षण और विनियमन की दिशा में कुछ प्रयास किए हैं। युद्ध काल के दौरान, विशेष रूप से बंगाल के प्रमुख शहरों में मछलियों की कमी की सूचना मिली, जिससे राज्यों में मछली उत्पादन को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया शुरू हुई।

सभी आजीविका गतिविधियों में एक विकास प्रक्रिया होती है और भारत में मत्स्य पालन के साथ भी यही सच है। कृषि पर रॉयल कमीशन (1928) ने कहा कि " देश के मछली पकड़ने के उद्योग को विकसित करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है " ।

भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहला अखिल भारतीय मत्स्य सम्मेलन (1948) नई दिल्ली में आयोजित किया गया था जिसमें मछली पकड़ने के उद्योग के महत्व को पहचाना गया था। इस अवधि के दौरान, संयुक्त राष्ट्र ने ग्रो-मोर-फूड अभियान शुरू किया है जिसे भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से कई अप्रयुक्त संसाधनों का उपयोग करके खाद्य उत्पादन का विस्तार करने के लिए अपनाया गया था। इस पहल के तहत मत्स्य पालन कार्यक्रम मछली उत्पादन उद्देश्यों के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने की दिशा में था। मछली उत्पादन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संसाधन तटीय मैदानों में छोटे टैंक और तालाब थे। दिलचस्प बात यह है कि ये तालाब घरेलू प्रणालियों का हिस्सा थे। जल निकायों के विस्तार और मछली उत्पादन के लिए नई संरचनाओं के निर्माण को अनुसंधान और विस्तार प्रणाली की प्राथमिकता के रूप में रखा गया था। प्रारंभ में, भारत सरकार द्वारा दो अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किए गए थे। सीआईएफआरआई ने मीठे पानी के जलीय कृषि अनुसंधान पर विशेष ध्यान दिया है और तालाब में जलीय कृषि के लिए प्रभाग की स्थापना 1946 में कटक में सीआईएफआरआई के साथ की गई थी। प्राथमिक अनुसंधान का फोकस मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए तालाबों को योग्य बनाना था। बीज स्रोत, तालाब की मिट्टी और जल प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन और तालाबों में भंडारण के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ खोजने का प्रयास किया गया। मछुआरा प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षक प्रशिक्षण केंद्र आदि का विकास राज्य के अधिकारियों के साथ संवाद करने और क्षमता निर्माण करने के लिए किया गया था ताकि अनुसंधान को विभाग तक पहुंचाया जा सके और मौजूदा जल निकायों से मछली उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

समग्र मत्स्यपालन का विकास, सत्तर के दशक के दौरान प्रेरित प्रजनन मछली और मत्स्य पालन और उत्पादन वातावरण पर पिछले दो दशकों के बुनियादी शोध का परिणाम था। अखिल भारतीय समन्वित परियोजना हरित क्रांति के युग में एक महत्वपूर्ण नवाचार थी, जहां विकसित प्रौद्योगिकियों का कृषि-जलवायु परिस्थितियों में परीक्षण किया गया था। मत्स्यपालन, मछली बीज उत्पादन पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाएं भौगोलिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों के परीक्षण के उदाहरण थीं। मत्स्य पालन विभागों द्वारा प्रौद्योगिकी अपनाने के कारण उत्पादकता विकास की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मत्स्य किसान विकास एजेंसी कार्यक्रम के माध्यम से इनपुट समर्थन, प्रशिक्षण जैसी सहायक नीतियों ने हरित क्रांति के मामले में समान नीतियों का पालन किया है।

भारत के मत्स्य पालन विकास का इतिहास

- कृषि पर शाही आयोग (1928) ने कहा कि देश के मछली पकड़ने के उद्योग को विकसित करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है।
- 1940 में ग्रो मोर फूड कैंपेन (जीएमएफसी) की सिफारिश के आधार पर, 1945 में मत्स्य पालन पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए थे।
- नई दिल्ली में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय मत्स्य पालन सम्मेलन (1948) ने मछली पकड़ने के उद्योग के महत्व को पहचाना।

- मिश्रित कार्प पालन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना 1971 में शुरू की गई थी।
- समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) की स्थापना 1972 में हुई थी।
- कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना 1974 में हुई थी।
- आईडीआरसी - ग्रामीण जलकृषि परियोजना 1975 में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में शुरू की गई थी।
- ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट 1974-75 में शुरू किया गया था।
- मत्स्य किसान विकास एजेंसी (एफएफडीए) की शुरुआत 1974-75 में भारत सरकार द्वारा की गई थी।
- विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त अंतर्देशीय मत्स्य पालन परियोजना (1979) और इस परियोजना के तहत उत्तर भारत में 62 हैचरियां स्थापित की गईं।
- खारा जल मत्स्य किसान विकास एजेंसियां (बीएफएफडीए) (1985-90) इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम (आईवीएलपी) 1996 में शुरू किया गया था।
- कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र (ATIC)- 1999
- जय विज्ञान मिशन (2000)

डॉ. एन्सी मैथ्यू, सहायक आयुक्त (मा०)

समुद्री जहाजों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न निर्बाध संचार उपकरण

सागरा मोबाइल एप्लिकेशन

ओखी चक्रवात (2017) के बचाव कार्यों के दौरान सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि केरल सरकार के पास उस समय समुद्र में फंसे मत्स्यन जहाजों और मछुआरों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं थी। ओखी चक्रवात के बाद, केरल सरकार के मत्स्यपालन विभाग ने मत्स्यन के लिए समुद्र में मत्स्यन जहाजों और उसके चालक दल के प्रवेश और निकास की रिकॉर्डिंग के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करने का निर्णय लिया । राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने चालक दल की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए एक एंड्रॉइड मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है। मत्स्यपालन विभाग, केरल सरकार ने जुलाई 2018 से एप्लिकेशन को लागू करना शुरू कर दिया। मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सागरा मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जो मत्स्यन जहाजों की गतिविधियों की निगरानी करने और मत्स्यन के लिए जाने वाले दल को पंजीकृत करने पर केंद्रित है।

विशेषताएँ: -

- मत्स्यपालन विभाग को ऑन्बोर्डेड जहाजों की संख्या, वापस आए हुए और यात्रा में साथ गए चालक दल के सदस्यों की संख्या जानने की सुविधा प्रदान करना।
- मोबाइल एप्लिकेशन कई भाषाएं जैसे- मलयालम, अंग्रेजी, तमिल और कन्नड़ को सपोर्ट करता है।
- एंड्राइड फ़ोन जरूरी है।
- मालिक को सबसे पहले मोबाइल ऐप में रजिस्टर करना होगा। एक ओटीपी उत्पन्न होता है।
- एक बार उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड बन जाने के बाद, मालिकविवरण दर्ज कर सकता है।
- निम्नलिखित विवरण दर्ज करना होगा- जहाज का विवरण, जहाज के मालिक का विवरण, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, चालक दल का विवरण, दिशा और दूरी, मत्स्यन के बाद आने की तारीख और समय।
- वास्तविक समय पर समुद्र में मछुआरों और मत्स्यन जहाजों की संख्या जानने में मदद करता है।

गुण:-

- एक ही समय पर समुद्र में मछुआरों की संख्या जानने में मदद करता है।
- जहाज, जहाज के मालिक, चालक दल, दूरी और यात्रा की दिशा आदि की सारी जानकारी प्राप्त की जाती है।
- इनपुट और सूचनाएं 4 (चार) भाषाओं में उपलब्ध हैं।
- किसी आपदा की स्थिति में समुद्र में जहाजों का ब्योरा जान सकेंगे और बचाव अभियान आसान हो जाएगा।
- सागरा रियलक्राफ्ट के साथ एकीकृत है और रियलक्राफ्ट डेटा को अपडेट करने में मदद करता है।
- सागरा मोबाइल एप्लिकेशन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि मछुआरों को मौसम की जानकारी भी दी जा सके।

कार्यान्वयन के दौरान व्यावहारिक कठिनाइयाँ

- मछुआरों की गतिविधियों की रिकॉर्डिंग के लिए एंड्रॉइड फोन आवश्यक है।
- मछुआरे एंड्रॉइड फोन के उपयोग से अच्छी तरह परिचित नहीं हैं और उन्हें समुद्र में एंड्रॉइड फोन का उपयोग करने की आदत नहीं है।
- मछुआरों को हर बार मत्स्यन यात्रा पर जाते समय विवरण दर्ज करना होता है और यात्रा के बाद निकास विवरण भी दर्ज करना होता है। निरंतर जागरूक करने के बावजूद मछुआरे नियमित रूप से विवरण दर्ज नहीं कर रहे हैं।
- एक ही जहाज में हर बार चालक दल बदल रहे हैं। इसलिए प्रत्येक यात्रा के लिए इसे अद्यतन और संशोधित करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं हो रहा है।
- मछुआरे अनिवार्य रूप से एक ही स्थान में प्रवेश या निकास नहीं करते हैं। समुद्र तट लैंडिंग भी वहाँ हैं।
- कभी-कभी वे बिना नेटवर्क कवरेज वाले क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं या बाहर निकल जाते हैं।
- निजी एजेंसियों सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा बहुत सारे मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किए गए हैं।
- मछुआरे सभी एप्लिकेशन को अपने मोबाइल में नहीं रख सकते हैं। इसलिए वे केवल एक एप्लिकेशन को प्राथमिकता देते हैं जो उपयोगकर्ता के अनुकूल हो।
- अधिकांश मछुआरे अपनी व्यक्तिगत जानकारी और मत्स्यन यात्रा का विवरण प्रदान करने में अनिच्छुक हैं।
- मोबाइल एप्लिकेशन में दिशा/गंतव्य संपादन संभव नहीं है।

मत्स्यपलन विभाग, केरल सरकार ने 'सागरा' फैसिलिटेटर्स की मदद से मछुआरों को इस मोबाइल ऐप का उपयोग करने में सहायता की है। 'सागरा' सुविधा प्रदाताओं को लंबी अवधि के लिए नियुक्त करना व्यावहारिक नहीं है।

थूंडिल

- थूंडिल - वेब जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (वेब जीआईएस) आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली (डिसिशन सपोर्ट सिस्टम) राज्य प्रशासन की सहायता के लिए विकसित की गई है। मछुआरों को वास्तविक समय की स्थिति, यात्रा रिकॉर्ड, सुरक्षित स्थानों पर नेविगेशन, मत्स्यन मैदानों को चिह्नित करने की सुविधा, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इंकॉइस) से संभाव्य मात्स्यिकी क्षेत्र (पीएफजेड), मौसम और आगे के मौसम का विवरण, चक्रवात/भारी बारिश/उच्च ज्वारीय लहरों पर जानकारी प्रदान करके मछुआरों को लैसकरने के लिए विकसित की गई है, जिसका उपयोग मछुआरों द्वारा अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है।
- मोबाइल और वेब आधारित एप्लिकेशन मछुआरों और सरकारी एजेंसियों के बीच संचार के एक रूप में कार्य करता है ताकि जहाज पर चालक दल के साथ मत्स्यन जहाजों की आवाजाही पर नजर रखी जा सके।

- एंड्रॉइड आधारित एप्लिकेशन जो कई भाषाओं में सहायता करता है, जहाज के मालिक/मछुआरों को अपनी पसंदीदा भाषा चुनने में मदद करता है, जहाज पर चालक दल के साथ जहाजों के प्रवेश/निकास का विवरण दर्ज कर सकता है और मत्स्यपालन विभाग को समुद्र में जाने वाले चालक दल के साथ मत्स्यन जहाजों के निकास और प्रवेश पर नवीनतम जानकारी बनाए रखने में भी मदद करता है।
- थूंडिल ऐप मोबाइल फोन डेटा कनेक्टिविटी की मदद से सर्वर जानकारी के साथ इंटरैक्ट करता है। (समुद्र मे कवरेज 7 से 12 एनएम तक होती है)

वीएचएफ (वेरी हाइ फ्रीकुएंसी) (5 मेगाहट्र्ज और 25 मेगाहट्र्ज)

- रेडियो स्पेक्ट्रम की वीएचएफ (वेरी हाइ फ्रीकुएंसी) रेंज 30 मेगाहट्र्ज से 300 मेगाहट्र्ज तक फैला हुआ बैंड है।
- रेडियो स्पेक्ट्रम के वीएचएफ हिस्से के भीतर चैनल और उप-बैंड वायरलेस योजना आयोग (डब्ल्यूपीसी) द्वारा आवंटित किए जाते हैं।
- वीएचएफ सिग्नल अधिक मात्रा में जानकारी ले जा सकते हैं, यही कारण है कि सिग्नल अधिक स्पष्ट होता है।
- एक सामान्य वीएचएफ स्टेशन लगभग 100,000 वाट पर संचालित होता है और इसकी कवरेज रेडिय सीमा लगभग 60 मील होती है।
- दृष्टि कनेक्टिविटी की रेखा पर काम करता है। इसलिए दृष्टि की रेखा बढ़ाने के लिए 100 मीटर टावर का निर्माण आवश्यक है।
- इन सभी स्थानों पर, मछुआरों और प्रशासकों के बीच दोतरफा संचार प्रसारित करने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं और कार्य कर रहे हैं।
- मछुआरे समुद्र में अपनी सुरक्षा के लिए और संकट के समय उपयुक्त अधिकारियों और साथी मछुआरों से संवाद करने के लिए इस संचार उपकरण का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं।

नैवटेक्स (नेविगेशनल टेलेक्स)

- वैश्विक समुद्री संकट सुरक्षा प्रणाली (जीएमडीएसएस) का महत्वपूर्ण हिस्सा।
- सूचना के स्वचालित प्रसारण के लिए रेडियो टेलेक्स या नैरो बैंड डायरेक्ट प्रिंटिंग की सुविधा।
- कम दूरी की समुद्री सुरक्षा जानकारी औटोमेटिक रूप से प्रदान करने के लिए ऑन्बोर्डेड जहाजों का उपयोग किया जाता है।
- यह नेविगेशनल और मौसम संबंधी चेतावनियों, पूर्वानुमानों के साथ-साथ समुद्री सुरक्षा जानकारी भी प्रिंट करता है।
- भारत के तट से लेकर समुद्र में इसकी सीमा 400 समुद्री मील तक है।

नेविक (भारतीय तारामंडल के साथ नेविगेशन)

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ईसरो) ने एनएवीआईसी मैसेज रिसीवर नामक एक उपग्रह सक्षम हाई-टेक संचार उपकरण विकसित किया है, जिसके द्वारा मछुआरे बिना इंटरनेट या टॉवर कनेक्टिविटी के तट से 1,500 किमी तक जुड़े रह सकते हैं।
- नेविक रिसीवर साबुन के डिब्बे के आकार से अपेक्षाकृत बड़ा है, जिसे मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर लगाया जाएगा।
- नेविक भारत के अपने भारतीय क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन सिस्टम (आईआरएनएसएस) का उपयोग करता है।
- मौसम संबंधी चेतावनी, पूर्वानुमान और भूकंप, सुनामी और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित लघु संदेश ग्राउंड स्टेशन से रिसीवर तक कई भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किए जाते हैं।
- यह ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के माध्यम से रॉ डेटा को स्मार्ट फोन तक पहुंचाता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले मोबाइल फोन या टैबलेट जैसे स्मार्ट डिवाइस पर एक एंड्रॉइड एप्लिकेशन मछुआरों के संदेशों को डिकोड और प्रदर्शित कर सकता है।
- इसरो, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इंकॉइस), हैदराबाद और भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के सहयोग से मौसम और अन्य जानकारी का प्रसार कर रहा है।

सैटेलाइट फोन:

- सैटेलाइट फोन लो अर्थ ऑर्बिटिंग (एलईओ)/ मीडियम अर्थ ऑर्बिटिंग (एमईओ)/जियो स्टेशनरी उपग्रहों का उपयोग करते हैं। अपेक्षाकृत कम प्रारंभिक लागत लेकिन उच्च परिचालन लागत।
- एक साधारण सेल फोन की तरह है, संचालित करना आसान है।
- कोई मध्यवर्ती टावर नहीं और सेल टावरों का कोई उपयोग नहीं, इसलिए संचार लिंक टूटता नहीं है।
- सैटेलाइट फोन के उपयोग के लिए वायरलेस योजना और समन्वय (डब्ल्यूपीसी) के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क और उपयोग लागत (मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक) शामिल है।

ट्रांसपोंडर:

- छोटे जहाजों पर लगे ट्रांसपोंडर नियमित अंतराल (वर्तमान में 15 मिनट पर निर्धारित) पर स्थिति संबंधी जानकारी प्रसारित करते हैं।
- प्रेषित सिग्नलों को जियो-स्टेशनरी सैटेलाइट (जीएसएटी-6) द्वारा उठाया जाता है और इसरो के अहमदाबाद अर्थ स्टेशन पर डाउनलोड किया जाता है।
- प्राप्त स्थितिगत जानकारी को इस उद्देश्य के लिए इसरो द्वारा विशेष रूप से विकसित नेटवर्क प्रबंधन सर्वर के माध्यम से संसाधित और निकाला जाता है।
- इसके बाद यह जानकारी भारतीय नौसेना के सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (आईएमएसी), गुड़गांव को स्थानांतरित कर दी जाती है।
- नावों की वास्तविक समय स्थिति मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार या अन्य सुरक्षा एजेंसियों/बचाव अभियान केंद्र के लिए उपलब्ध है।
- मछुआरों के लिए ब्लूटूथ/ वाईफ़ाई के माध्यम से ट्रांसपोंडर के साथ इंटरफेस करने के लिए एक एप्लिकेशन विकसित किया गया है।
- सेव अवर शिप (एसओएस) मैसेजिंग, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) चेतावनी, आपातकालीन चेतावनी भी इस साधन से संभव है।
- इस प्रणाली के माध्यम से मछुआरों को मौसम, संभाव्य मात्स्यिकी क्षेत्र (पीएफजेड), चक्रवात की चेतावनी आदि भी प्रदान किया जा सकता है।

डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर (डीएटी):

- ट्रांसमीटर समुद्र में गहराई में जाने वाले मछुआरों के लिए आपातकालीन संदेश संचार के लिए है।
- भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इनसैट) आधारित डिस्ट्रेस चेतावनी ट्रांसमीटर (डीएटी) का उपयोग आपातकालीन स्थितियों और स्थिति स्थान को केंद्रीय हब स्टेशन तक प्रसारित करने के लिए किया जाता है।
- आपातकालीन स्थिति में, उपयोगकर्ता को सिस्टम पर दिए गए संबंधित स्विच को दबाकर केवल एक संदेश (उदाहरण के लिए नाव में आग लगना/नाव का डूबना/चिकित्सा सहायता/अन्य आपात स्थिति) का चयन करना होगा।
- ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के माध्यम से प्राप्त नाव की स्थिति के साथ जोड़ता है, और इसे केंद्रीय हब स्टेशन तक पहुंचाता है।
- डीएटी पहले पांच मिनट तक और फिर हर पांच मिनट में संदेश को तब तक दोहराता है जब तक कि इसे मैन्युअल रूप से बंद न कर दिया जाए या जब तक बैटरी लाइफ समाप्त न हो जाए।
- एक्टिवेशन के बाद डीएटी की बैटरी लाइफ 24 से 48 घंटे है।
- जीपीएस के साथ नाव के समन्वय को चेन्नई में तटरक्षक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र को देता है।
- सभी संकट चेतावनी इन्सैट 3डी/इनसैट 3ए उपग्रह द्वारा उठाए जाएंगे और समुद्री बचाव समन्वय केंद्र के रिसेप्शन सेंटर से संबंधित होंगे।
- चिकित्सा आपातकाल, नाव पर आग लगने, नावों के डूबने या पकड़े जाने जैसी स्थितियों की सूचना तत्काल कार्रवाई के लिए तट पर अधिकारियों को दी जा सकती है।

स्वचालित ट्रैकिंग सहायता (ऑटोमैटिक ट्रैकिंग ऐड)

- यह सुरक्षित और टकराव मुक्त यात्रा के लिए एक नियोजित लेआउट उत्पन्न करने के लिए ग्राफिक और संख्यात्मक रूप प्रदर्शित करता है।

स्पीड एंड डिस्टेन्स लॉग सर्विस

- इस उपकरण का उपयोग एक निर्धारित बिंदु से जहाज द्वारा तय की गई गति और दूरी को मापने के लिए किया जाता है, जो बंदरगाह प्राधिकरण/एजेंट को दिए गए जहाज के आगमन के अनुमानित समय (ईटीए) को समायोजित करने में सक्षम बनाता है।

इलेक्ट्रॉनिक चार्ट प्रदर्शन सूचना प्रणाली (ईसीडीआईएस):

- इस इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन उपकरण का उपयोग नौसेना के जलयान और जहाजों में स्थानों को इंगित करने और दिशा-निर्देश प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

स्वचालित पहचान प्रणाली / (ऑटोमैटिक आईटेंटिफिकेशन सिस्टेम) (एआईएस)

यह नेविगेशन प्रणाली जहाजों के स्थान और अन्य नेविगेशनल आँकड़ों का पता करने में मदद करती है। एआईएस जहाजों के बीच संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए ट्रांसमीटर और रिसीवर के रूप में वीएचएफ रेडियो चैनलों का उपयोग करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) के नियमों के अनुसार 299 सकल रजिस्टर टन भार से अधिक वाले सभी यात्री/वाणिज्यिक जहाजों (जीआरटी) के पास क्लास एआईएस होना चाहिए।

एआईएस रेडियो ट्रांसीवर जोड़े में काम करता है, जिनमें से एक हमेशा एक जहाज पर होता है। दूसरा एक जलयान पर (जलयान-आधारित एआईएस ट्रांससीवर्स), तट पर [स्थलीय-आधारित एआईएस (टी-एआईएस)], या एक उपग्रह पर [उपग्रह-आधारित एआईएस (एस-एआईएस)] हो सकता है। क्रमशः, ये जहाज से जहाज, जहाज से किनारे और जहाज से उपग्रह संचालन के बीच संपर्क सूत्र हैं। चीन निर्मित एआईएस उपकरणों का उपयोग करने वाले जहाज समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच भ्रम सृजन करते रहते हैं।

इंटेलिजेंस और तटरक्षक बल ने समस्या को चिह्नित किया क्योंकि ये जहाज गलत देश कोड प्रसारित करते हैं, खुद को चीनी जहाजों के रूप में पहचानने से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा सृजन होता है। चीनी एआईएस बड़े ट्रॉलरों को उनके मछली पकड़ने के स्थानों को छिपाने में मदद करते हैं।

अक्सर, ट्रॉलर ऐसे क्षेत्रों को साझा नहीं करना चाहते जहां समुद्री संपदा प्रचुर मात्रा में हो या जहां मत्स्य की अच्छी और स्थिर फसल होती है।

लंबी दूरी की ट्रैकिंग और पहचान (एलआरआईटी) प्रणाली:

समुद्र में जीवन की सुरक्षा (सोलास) कन्वेंशन (अपनाने का समय: 1 नवंबर 1974; लागू होने का समय: 25 मई 1980) के अंतर्गत आईएमओ द्वारा एलआरआईटी को शामिल किया गया है ताकि समुद्री डोमेन जागरूकता में सुधार के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्राओं पर 300 जीआरटी से ऊपर के जहाजों के लिए संपूर्ण ट्रैकिंग प्रणाली सुनिश्चित की जा सके।

स्वामी विवेकानंद - स्व भाषा सम्मान

ये बात 1899 की है, उस साल स्वामी विवेकानंद अमेरिका पहुंचे थे। वहां, पहुंचने पर एक अमेरिकन स्वामी विवेकानंद से पूछा- How are you Swami Ji? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, 'मैं अच्छा हूं।' उस अमेरिकन शख्स को लगा स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है। फिर उसने अगला सवाल हिंदू में पूछा, 'आपको अमेरिका आकर कैसा लग रहा है? स्वामी जी ने इसका जवाब अंग्रेजी में दिया और कहा, 'I am feeling good, your country is very beautiful' ये सुनकर अमेरिकी शख्स चौंक गया। उसने कहा कि जब मैंने आप से अंग्रेजी में सवाल किया तो आपने हिंदी में जवाब दिया और जब मैंने हिंदी में पूछा तो आप अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं।

अमेरिकी शख्स के सवाल का जवाब देते हुए स्वामी जी बोले, 'जब तुमने अपनी मातृ भाषा में सवाल किया तो मैंने अपनी मातृ भाषा का सम्मान किया।' स्वामी जी ने आगे कहा कि लेकिन जब तुमने मेरी मातृ भाषा का सम्मान किया और हिंदी में सवाल किया तो मैंने तुम्हाटी मातृ भाषा का सम्मान किया और अंग्रेजी में जवाब दिया।

श्री सुधांशु शेखर मिश्रा, सहायक निदेशक (जलीय संगरोध)

जलकृषि में फाइटोथेरेपी : संभावनाएं और चुनौतियां

प्रस्ताव

जलकृषि एक बढ़ता हुआ उद्योग है जिसने दशकों से मानव जाति को पोषण, स्वास्थ्य और आय प्रदान करने की सेवा प्रदान की है। यह वैश्विक मत्स्य उत्पादन में लगभग आधे का योगदान देता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, जलकृषि एक उभरता हुआ उद्योग है जो कुल वैश्विक मत्स्य उत्पादन का 46% प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर मनुष्यों द्वारा उपभोग किए जाने वाले पशु प्रोटीन का लगभग 20% हिस्सा मत्स्य का है (एफएओ, 2019)। हालाँकि, इस उद्योग की उत्पादन वृद्धि चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनमें संक्रामक रोग एक प्रमुख भूमिका निभाता है। बीमारी का प्रकोप अक्सर खराब मत्स्य स्वास्थ्य प्रबंधन, जैसे खराब पानी की गुणवत्ता, पोषण और स्वच्छता के साथ-साथ उच्च संग्रहण तीव्रता के कारण होता है। संक्रामक रोग का उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिससे एफएओ के अनुसार वैश्विक जलकृषि उद्योग में प्रति वर्ष 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान होता है। इस बड़े वित्तीय नुकसान ने मत्स्य खाद्य की आपूर्ति और मांग को बदल दिया है, लेकिन मत्स्य किसानों की आजीविका को भी तबाह कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी की दर में वृद्धि हुई है और उनकी मुख्य आय में कमी आई है।

जलकृषि में बीमारियों को कम करने की कुछ सुविधाजनक और सामान्य प्रथाएं एंटीबायोटिक दवाओं और रासायनिक रोग-नियंत्रण एजेंटों के उपयोग के माध्यम से हैं। ये प्रथाएँ, हालाँकि तत्काल राहत देती हैं लेकिन सार्वजनिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य संबंधी भयंकर चिंताएँ पैदा करती हैं। इसके अलावा, रसायनों, दवाओं और सिंथेटिक विकास प्रवर्तकों का उपयोग तीव्रता की गति के साथ अतार्किक रूप से किया जा रहा है। एक वैकल्पिक दृष्टिकोण औषधीय पौधों के उपयोग के माध्यम से है, हालांकि इसे बीमारियों के इलाज या रोकथाम के लिए एक अंतर्जात अनुप्रयोग के रूप में अभ्यास किया गया है। इस बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण-अनुकूल अनुप्रयोग को फाइटोथेरेपी के रूप में जाना जाता है, या जिसे आमतौर पर हर्बलिज्म भी कहा जाता है। इसलिए, फाइटोथेरेपी जलकृषि में बीमारी के लिए एक आशाजनक वैकल्पिक उपचार बन गई है और जलकृषि में इसकी भूमिका है।

सीमाएं, संभावनाएं और वे फॉरवर्ड

औषधीय पौधों के विभिन्न भागों का उपयोग बीमारियों के इलाज के लिए सदियों पुरानी पद्धति के रूप में किया जा रहा है; हालाँकि, वे अपरिष्कृत अर्क के रूप में थे। आधुनिक दवाओं को उनके क्रिया के बायोएक्टिव तंत्र (जो अक्सर अज्ञात हैं), चिकित्सीय और विषाक्त प्रभावों और नैदानिक परीक्षणों में उचित मानकीकरण की पर्याप्त जांच के बाद इन अर्क से विकसित किया जाता है। जलकृषि उद्योग को प्रभावित करने वाली बीमारियों से निपटने में पौधों की जैविक गतिविधि और औषधीय अनुप्रयोग पर जांच बहुत कम है। दूसरी ओर, उनकी प्रभावशीलता पर किए गए अधिकांश अध्ययन इन विट्रो परीक्षण या प्रयोगशाला स्थितियों के तहत आधारित हैं। इसके अलावा, वर्तमान उपचारों के प्रतिस्थापन को सक्षम करने के लिए व्यावहारिक अध्ययन की आवश्यकता है। इसलिए, जलकृषि में रोग की समस्याओं से निपटने के लिए औषधीय

पौधों के दवा विकास के लिए चिकित्सीय गुणों और हर्बल फॉर्मूलेशन का उपयोग करने के लिए अधिक गंभीर जांच की आवश्यकता है। मानव और अन्य पशु रोगों की फाइटोथेरेपी पर किए गए अध्ययनों का भी जलकृषि क्षेत्र द्वारा लाभ उठाया जाना चाहिए ताकि उपयुक्त सिद्धांत निकाले जा सकें जिन्हें मात्स्यिकी जगत की बीमारियों से निपटने में लागू किया जा सके। एक और चुनौती जिससे उद्योग को निपटना है, वह है विश्व स्तर पर जंगली-स्रोत वाली पौधों की दवाओं की बढ़ती व्यावसायिक मांग, जो तेजी से वनों की कटाई और प्रजातियों से समृद्ध वन पारिस्थितिकी प्रणालियों के क्षरण की कीमत पर हो रही है।

औषधीय पौधों का एक हिस्सा संसाधन विनाश से पीड़ित है और खतरे में है या लुप्तप्राय है। जो लोग हर्बल औषधि उत्पादन, व्यापार और उपयोग में शामिल हैं, उन्हें जैविक विविधता के संरक्षण का पालन करना चाहिए ताकि इसके घटकों का स्थायी उपयोग और इन बहुमूल्य संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को सभी के द्वारा प्राप्त किया जा सके। सरकारी संगठनों को सकारात्मक समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करके निजी कंपनियों को औषधीय जड़ी-बूटियों की व्यवस्थित खेती के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर देना चाहिए। विचार करने योग्य एक अन्य विषय जानवरों पर शोध करने का नैतिक पहलू है। उद्योग में फाइटोथेरेपी के लाभों का आगे अध्ययन करने के लिए जलकृषि में जानवरों को नुकसान पहुंचाने का जोखिम शामिल है। हालाँकि, फाइटोथेरेपी मत्स्य कल्याण और पर्यावरण स्वास्थ्य को बढ़ा सकती है और कृषि प्रणाली से रसायनों के उपयोग को प्रतिस्थापित कर सकती है। औषधीय पौधों में महत्वपूर्ण मत्स्य रोगजनकों के खिलाफ व्यापक रोगाणुरोधी गतिविधि होती है। पुरानी और तीव्र विषाक्तता और उपचारित जीवों, गैरलक्ष्य जीवों और पर्यावरण पर हर्बल दवाओं के हानिकारक प्रभावों पर आगे के अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाता है।

श्रीम० पूनम रानी, मात्स्यिकी अनुसंधान एवं जांच अधिकारी

कार्यस्थल, घर, सार्वजनिक स्थान आदि पर एक्वेरियम/फिश टैंक रखने के लाभ

प्रसिद्ध कहावत है कि "एक आदमी को एक मछली दो और तुम उसे एक दिन के लिए खिलाओगे, उसे मछली पकड़ना सिखाओ और तुम उसे जीवन भर के लिए खिलाओगे।" जो समझा जा सकता है वह यह है कि लोगों को अपने स्वास्थ्य, जीवन, परिवेश, आवास, पर्यावरण आदि की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इन दिनों, समाज और कार्यस्थल लोगों पर अद्वितीय स्तर का दबाव डालते हैं। तनाव के लक्षण सर्वव्यापी हैं और इसके परिणाम असंख्य हैं। हम प्रतिदिन जिस तनाव का अनुभव करते हैं, वह अनिवार्य रूप से आज के समाज में अंतर्निहित कई घटनाओं के कारण होता है। तनाव का स्तर उत्पादकता लाभ बढ़ाने के लिए बढ़े हुए कार्यभार, पूर्णता की निरंतर खोज, प्रतिस्पर्धा के प्रति जुनून, काम, व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने में कठिनाई, मूल्यों और सामाजिक मानकों में बड़े बदलाव के कारण हो सकता है। ऐसी दुनिया में जो हमारी क्षमता से अधिक तेजी से आगे बढ़ रही है, धीमी गति से चलने, आराम से बैठने और आराम करने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। ऐसे कई अध्ययन हुए हैं जिनमें रंग के संपर्क में आने के बाद तनाव के स्तर में उल्लेखनीय कमी देखी गई है, इसे रंग चिकित्सा कहा जा सकता है।

2005 में किए गए शोध से पता चला कि "प्रकृति के साथ संपर्क तनाव, चिंता जैसे मानसिक अस्वस्थ की रोकथाम में एक प्रभावी जनसंख्या-व्यापी रणनीति प्रदान कर सकता है।" कार्यस्थल के साथ-साथ घर पर भी एक्वेरियम में मछलियाँ ऐसी ही एक अच्छी तनाव निवारक दवा है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। मछली को तैरते हुए देखना आराम करने का एक अजीब लेकिन प्रभावी तरीका है। अध्ययनों से पता चला है कि एक्वेरियम का हमारी तंत्रिकाओं पर सुखद प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों को फिश टैंक उपलब्ध कराया जाता है उनमें रक्तचाप, नाड़ी दर, तनाव और चिंता का स्तर काफी कम होता है। जिन मरीजों की सर्जरी हुई है उन्हें मछलियाँ देखने के बाद कम दर्द निवारक दवा की आवश्यकता होती है।

ये दोनों तत्व - "पानी और जानवर ज्ञात हैं कि इनका आरामदायक प्रभाव होता है। यह अच्छा संगीत सुनने या कोई सुंदर पेंटिंग या तस्वीर देखने जैसा है। इससे आपको शांति मिलती है।" ऐसा कहा जाता है कि एक्वेरियम में मछलियों को तैरते हुए देखने से आपका तनाव का स्तर और रक्तचाप कम हो जाता है और बदले में आप शांत महसूस करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यही कारण है कि हमने हमेशा अपने दंत चिकित्सक और डॉक्टर के क्लिनिक में एक एक्वेरियम देखा है। कुछ लोकप्रिय प्रजातियाँ जिन्हें आप कार्यस्थल और घर पर एक्वेरियम के लिए चुन सकते हैं उनमें यह शामिल हैं - अरोवाना या ड्रैगन फिश, एंजेलफिश, कोई, गोल्ड फिश, टोसाकिन, शुबंकिन, सिल्वर डॉलर फिश और केलिको, लोच

कैटफ़िश, ब्लैक रूबी बार्ब, डेनिसन बार्ब, गोल्ड बार्ब, रोज़ी बार्ब, टाइगर बार्ब, टिनफ़ोइल बार्ब, ज़ेबरा बार्ब, ड्वार्फ स्पॉटेड डैनियो, जाइंट डैनियो, पर्ल डैनियो, रोज़ी डैनियो, ज़ेबरा डैनियो, गौरामी प्रजाति ब्लू/थ्री स्पॉट गौरामी, चॉकलेट गौरामी, ड्वार्फ गौरामी, किसिंग गौरामी, मूनलाइट गौरामी, पर्ल गौरामी, एडोल्फोस कोरी, बैंडिट कोरी, ब्लैकफिन कोरी, ब्रॉन्ज कोरी, जूली कोरी, पांडा कोरी, पेपर कोरी, स्कंक कोरी, थ्री लाइन्ड कोरी, कॉमन हैचेटफिश, मार्बल्ड हैचेटफिश, ब्लैक नियॉन टेट्रा, ब्लैक फैंटम टेट्रा, ब्लैक विडो टेट्रा, ब्लीडिंग हार्ट टेट्रा, ब्लाइंड केव फिश, ब्यूनुओस आरिस टेट्रा, कार्डिनल टेट्रा, एम्परर टेट्रा, ग्लोलाइट टेट्रा, हेड एंड टेल लाइट टेट्रा, नियॉन टेट्रा, रेड आई टेट्रा, रम्मी नोज़ टेट्रा, सर्पे टेट्रा, एक्सलरोड्स रेनबो, बोसीमेन रेनबो, लेक कुटुबू रेनबो, लेक वानम रेनबो, मेडागास्कर रेनबो, नियॉन रेनबो।

एक बड़े, लाइव एक्वेरियम प्रदर्शन का उपयोग करते समय, यह पाया गया कि "लोगों के मूड में सुधार हुआ था और जब उन्होंने अधिक, बनाम कम मछली देखी, तो हृदय गति में भी गिरावट आई।" 90 के दशक में एक अध्ययन से पता चला है कि एक्वेरियम देखने से अल्जाइमर रोगियों की खाने की आदतों और व्यवहार पैटर्न में सुधार हो सकता है। "उन्नत अल्जाइमर रोग वाले लोग अक्सर इतने उत्तेजित होते हैं कि वे भोजन के लिए नहीं रुकते और अपने स्वास्थ्य को खतरे में डालने के स्तर तक अपना वजन कम कर लेते हैं। फिश टैंक/एक्वेरियम इन रोगियों का ध्यान आकर्षित करते हैं और उनका वजन काफी बढ़ जाता है और दूसरों के लिए बोझ कम हो जाता है।"

अतिरिक्त अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि एक्वेरियम में मछली देखना दंत शल्य चिकित्सा की प्रतीक्षा कर रहे रोगियों में चिंता को कम करने में प्रभावी हो सकता है। एक्वेरियम ऑटिज्म और एडीएचडी से पीड़ित वयस्कों और बच्चों की भी मदद कर सकता है। पशु-सहायता हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का समर्थन करने के लिए बढ़ते वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों, कार्यालयों की इमारतों, पार्कों आदि में एक्वेरियम रखने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

आज, एक्वेरियम और सजावटी मछलियों को उपभोक्ता आधारित वस्तु माना जाता है और यह पालतू जानवरों के बाजारों का स्टार उत्पाद है।

नई तकनीकों और नीतियों को स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है जो एक स्थायी सजावटी मछली उद्योग (समुद्री सजावटी मछली, मीठे पानी की सजावटी मछली, ठंडे पानी की सजावटी मछली और खारे पानी की सजावटी मछली) को प्राप्त करने में मदद करेगी। वर्तमान में, बाजार में मीठे पानी की सजावटी मछली की लोकप्रियता अधिक है क्योंकि वे प्रजनन के लिए बहुत आसान पहुंच हैं और उन्हें लवणता की भी आवश्यकता नहीं है। सजावटी मत्स्यपालन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के कारण इस क्षेत्र में सजावटी मछलियों की नई क्रॉस नस्लें भी विकसित की गई हैं जो अधिक आकर्षक हैं और निर्यात बाजार में उच्च कीमत प्राप्त करने में सक्षम हैं।

वर्तमान परिदृश्य में मत्स्यपालन क्षेत्र के उत्थान के लिए भारत में बड़ी संख्या में सजावटी मत्स्यपालन गतिविधियां स्थापित किए गए हैं, लेकिन प्रशिक्षण सुविधाओं और जागरूकता की कमी के कारण मार्गों के विस्तार का प्रचार नहीं किया गया है। सजावटी मछली प्रजनन पर सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि इससे बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। अत्यधिक लाभकारी क्षेत्र होने के कारण इसे रोजगार सृजन का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है और मत्स्यपालन और जलीय विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में करियर के अवसर हैं।

भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वॉटर मछली घर रांची, झारखंड में है ।

• यह जैविक उद्यान का ही एक हिस्सा है , मगर जैविक उद्यान के सामने इको पार्क 36,000 वर्ग फिट में विस्तारित है , इसके लिए सभी को अलग से टिकट लेना होता है ।

• यहां पे आप 58 फिश टैंक से 120 प्रजाति की 1500 से अधिक मछलियों का दीदार कर सकते हैं, इस मछली घर में कुछ देशी मछली तो कुछ विदेशी विभिन्न प्रकार की मछलियां शामिल हैं।

इसमें 500 से लेकर एक लाख रुपए तक की मछलियां हैं।

• इस मछली घर में आप भारत के मछली के प्रजाति के साथ- साथ कुछ विदेशी किस्म की मछली जैसे मलेशिया, बैंकॉक और सिंगापुर की मछलियों का दीदार कर सकते है ।

विश्व की प्राचीनतम एवं समृद्ध भाषा हिंदी को आज पूरा विश्व पहचान रहा है,
हिन्दी हमारी राजभाषा के साथ-साथ हमारा स्वाभिमान,
राष्ट्र गौरव हमारे सम्मान और गर्व की भाषा भी है।

श्रीम० पूनम रानी , मात्स्यिकी अनुसंधान एवं जांच अधिकारी

कोविड-19 का प्रभाव

कहावत जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है :
"हर कोई खुशी चाहता है, कोई भी दर्द नहीं चाहता, लेकिन थोड़ी सी बारिश के बिना आपके पास इंद्रधनुष नहीं हो सकता"

इस लेख को लिखते समय उपरोक्त कथन ने मेरा ध्यान खींचा। कोविड-19 के कारण चल रही उथल-पुथल के साथ, यह देखा जा सकता है कि पूरी दुनिया में, लोग जीवन जीने के नए तरीके को अपना रहे हैं और साथ ही चल रही महामारी की स्थिति के कारण हममें से हर कोई अपनी जीवनशैली में अचानक बदलाव का अनुभव किया होगा।

मानव सभ्यता कई महामारियों से प्रभावित हुई है, चल रही कोरोनोवायरस महामारी पहली नहीं है, यह एक ज्ञात तथ्य है कि मानव जाति पूरे इतिहास में कई महामारियों से पीड़ित हुई है, चाहे वह एंटोनिन प्लेग का प्रारंभिक रूप हो, ब्लैक डेथ, हैजा, चेचक या तपेदिक या हाल ही में एचआईवी/एड्स या एच1एन1 की घटना हो। महामारी एक पैमाने पर होने वाली महामारी है जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करती है, आमतौर पर बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती है। सरल तरीके से एक महामारी भौगोलिक क्षेत्र, मामलों की संख्या और पीड़ा के दिनों की दृष्टि से उच्च तीव्रता वाली एक महामारी है जिसके परिणामस्वरूप विकलांगता या मृत्यु होती है और महामारी कई अलग- अलग रूपों में विनाशकारी क्षति उत्पन्न करती है।

पिछले वर्ष कोरोनोवायरस महामारी के दौरान बहुत सारे बदलाव हुए थे, हममें से अधिकांश ने इस बात पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया कि हमारे हाथों में अधिक समय होने का क्या मतलब है और दुनिया में गति धीमी हो गई, जैसे गतिशील अवस्था से दुनिया में गति स्थिर हो गई। कोविड -19 से पहले जब दुनिया में इतनी सारी चीजों को लेकर हलचल थी, बहुत से लोग यह कहते हुए पाए जाते थे कि उनके पास अपने बारे में, प्रियजनों और आसपास के लोगों आदि के बारे में सोचने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं था। महामारी ने दुनिया की गतिशील स्थिति को रोक दिया, हमें सोचने के लिए विराम दिया और जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उसका विश्लेषण करने और जीवन के मूल को समझने का मौका दिया। यह देखा गया है कि दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है लेकिन महामारी की घटना हमेशा अप्रत्याशित नहीं होती है। विभिन्न रूपों में महामारी विज्ञान संक्रमण दुनिया भर में और आसपास ऐसी घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण कारकों में से एक हो सकता है। विश्व को एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ा है जो लोगों को मार रहा है, मानवीय पीड़ा फैला रहा है और लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। कुछ लोगों को अभी इसका एहसास हो सकता है, लेकिन कुछ को बाद में यह एहसास हो सकता है कि महामारी के कारण उत्पन्न संकट बहुत बड़ा है। सटीक रूप से कहें तो यह संकट स्वास्थ्य संकट से कहीं अधिक है, यह मानवीय, आर्थिक और सामाजिक संकट का मिश्रण है।

आज के युग में महामारी का प्रभाव हममें से कुछ लोगों के लिए एक सदमे या आंखें खोलने वाली घटना के रूप में सामने आया है, इसके कारण उत्पन्न स्थिति ने हमारे जीने के तरीके और हमारे दैनिक आधार पर किए जाने वाले कामों को बदल दिया है। अधिकांश लोगों पर महामारी की स्थिति का प्रभाव पड़ा है उनके जीवन में 360 डिग्री परिवर्तन, महामारी ने मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों की एक लहर शुरू कर दी है। लेकिन इसके विपरीत, लॉकडाउन ने हमें कई उपयोगी चीजों का एहसास कराया है,

इसने हमें चीजों को अधिक जिम्मेदारी से लेने के साथ-साथ उन चीजों और लोगों की सराहना करने के लिए प्रेरित किया है जिन्हें हम हल्के में लेते हैं। गहराई से हमारी इंद्रियाँ खुल गई हैं और एकजुटता, दूसरों की मदद करने और जहां संभव हो मदद करने की भावना जागृत हो गई है। जहां जरूरत हो वहां मदद करने मात्र से और एक साथ काम करने से कितनी महानता आ सकती है और यह किसी राष्ट्र और समुदाय के लिए क्या कर सकता है, इसका अधिक स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया जा सकता है। भौतिक चीजें और पैसा, चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं जितनी मानव जीवन और जरूरत के समय एक-दूसरे की देखभाल करना। जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रगति के लिए मन की शांति या फलदायी और प्रगतिशील विचारों वाला खुला दिमाग आवश्यक है। जीवन की भागदौड़ हमें कहीं नहीं ले जाती, हमें सबसे खराब स्थिति में भी सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए एक- दूसरे की जरूरत है।

कुछ लोगों का शैक्षणिक वर्ष प्रभावित हुआ है, अधिकांश लोग अपने व्यवसाय में नुकसान के बारे में चिंतित हैं, कई लोग नौकरी खोने के बारे में चिंतित हैं। अगर हम सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो हम आभारी हो सकते हैं कि हम अभी भी जाग सकते हैं और सूर्योदय देख सकते हैं, एक और दिन देखने में सक्षम होने के लिए सराहना कर सकते हैं, हवा को महसूस कर सकते हैं और हमारे चारों ओर हवा में सांस लेने में सक्षम हैं, घूम सकते हैं और उस सुंदरता को संजो सकते हैं जो प्रकृति ने हमें दी है। यह हमारे पर्यावरण, पृथ्वी नामक ग्रह, जिसमें हम रहते हैं, के बारे में पुनर्विचार करने का समय है। अब समय आ गया है कि हमें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट के मुद्दों से निपटने के लिए पूरे दिल से तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ठोस कदम उठाकर हम कम से कम सभी मानव जाति के स्वास्थ्य, आजीविका, खाद्य सुरक्षा और पोषण को सामान्य बनाने और उनकी रक्षा करने का प्रयास कर सकते हैं, और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा नया सामान्य बेहतर हो। इस महामारी ने हमें हमारी सबसे बड़ी असफलताएँ दिखाई हैं, समाज में बहुत सारी कमज़ोरियाँ उजागर की हैं। इससे पता चला है कि प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारा दुर्व्यवहार अक्षम्य है और इसे ठीक करने की आवश्यकता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि संकट कोई फर्क नहीं करता, चाहे हम किसी भी नस्ल के हों, किस जाति के हों, किस धर्म का पालन करते हों,

हम अमीर हों या गरीब, महामारी का प्रभाव पूरी मानव जाति पर एक समान होता है। संकट ने हमें सिखाया है कि हम सभी को एकजुट होना चाहिए, इसने हमें दिखाया कि मानवता सबसे अच्छा धर्म है और सबसे बढ़कर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम कौन हैं। मानव तब अधिक नाजुक होते हैं जब वे समुदाय का हिस्सा नहीं होते हैं, मानव जाति की ताकत एक समुदाय का हिस्सा होने में निहित है, समुदायों की ताकत हमारे स्वास्थ्य और कल्याण से लेकर हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण तक हमारे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, साझा करना और दयालुता समग्र खुशी की कुंजी है। हम सभी का जीवन सुंदर है, आइए इसका जश्न मनाएं और इसकी सराहना करके इसे जीने लायक बनाएं। ऐसे जियो जैसे कि कोई कल नहीं है और जीवन को बेहतर बनाने के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें। आइए इस पृथ्वी ग्रह को रहने लायक जगह बनाएं।

सबसे ज्यादा डिमांड

रोहू और कतला मछली की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है।

खासियत	दाम
रोहू और कतला में कांटे कम होते हैं और मांस की मात्रा अधिक रहती है।	120 रुपये किलो तक बेचते हैं, इसके बाद व्यापारी उसे बाजार में 160 रुपये तक में बेच देते हैं।

श्री फोफंडी महेन्द्रकुमार धीरजलाल, सहायक आयुक्त (मा०)

समुद्री घास के मैदान, पारिस्थितिकी तंत्र और ससटेनेबिलिटी

तटीय वनस्पति विशिष्ट प्रकृति की होती है, जो कोरल रीफ़्स सहित एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों में बढ़ती है। वनस्पति को चार समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है 1. समुद्री काई या समुद्री शैवाल 2. समुद्री घास, 3. मैंग्रोव, और 4. रेत के टीले की वनस्पति, जो उच्चतम उच्च ज्वार स्तर से परे रेतीले तट पर उगती है।

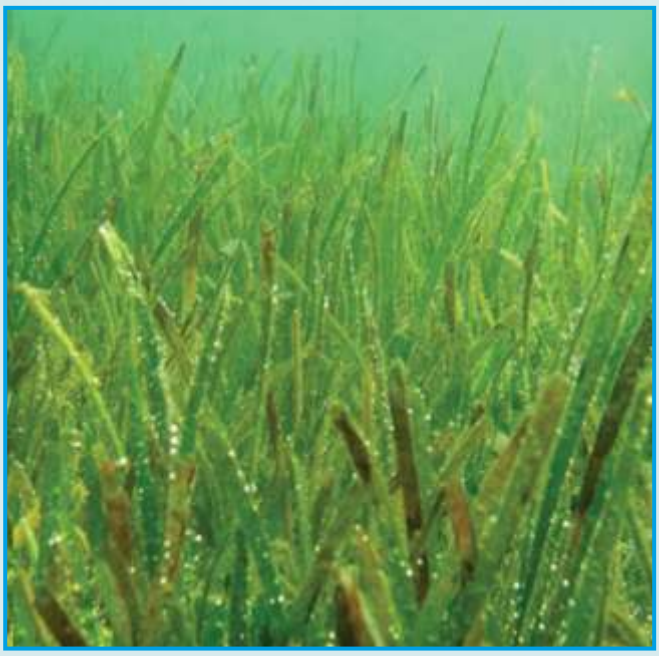

समुद्री घास जलमग्न एंजियोस्पर्मिक मोनोकोटोलिडॉन पौधे हैं। समुद्री घास के मैदान नरम-तलछट वाले समुद्री आवास हैं जो समुद्र में जीवन के लिए अनुकूलित पौधों के एक समूह से बने होते हैं। सभी फूल वाले पौधों की तरह, समुद्री घास फल विकसित करते हैं और बीज पैदा करते हैं, असली जड़ें होती हैं, और आंतरिक गैसीय और पोषक परिवहन प्रणाली होती हैं। वे आम तौर पर अंतर-ज्वारीय क्षेत्र से लेकर 10 मीटर तक की गहराई तक उथले तटीय पानी में उगते हैं। अशांत मुहाना वातावरण में, जैसे कि भारतीय तट, जहां प्रमुख नदियों द्वारा समुद्र में गाद का भारी जमाव होता है, 10 मीटर से नीचे की गहराई पर समुद्री घास शायद ही कभी पाई जाती है।

कैरेबियन सागर और ऑस्ट्रेलियाई तट जैसे कम अशांत क्षेत्रों में, समुद्री घास 50 मीटर या उससे अधिक की गहराई पर पाई जा सकती है।

समुद्री घास की लगभग केवल 72 प्रजातियाँ हैं, और ये समुद्री पर्यावरण के आश्रय वाले अंतर्ज्वारीय और उपज्वारीय क्षेत्रों में रहती हैं। हालाँकि समुद्री घास की तीन प्रजातियाँ लुप्तप्राय हैं, और 10 प्रजातियाँ विलुप्त होने के उच्च जोखिम में हैं, अधिकांश सामान्य हैं; इसलिए, उनका महत्व समग्र रूप से पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका में निहित है। भारत, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में होने के कारण, समुद्री घास की विविधता बहुत अधिक है: 7 प्रजातियों से संबंधित 14 प्रजातियाँ। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरूमध्य क्षेत्र में भारत में पाई जाने वाली सभी 14 प्रजातियाँ हैं, जबकि लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्रमश: 8 और 9 प्रजातियाँ हैं।

समुद्री घास को उनके व्यापक वितरण और गतिहीन प्रकृति और पर्यावरणीय परिवर्तन (उदाहरण के लिए, पानी की गुणवत्ता या तापमान में परिवर्तन) के प्रति उनकी मापनीय और समय पर प्रतिक्रियाओं के कारण अच्छे जैविक संकेतक के रूप में भी पहचाना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का यह प्रावधान समुद्री घास को मनुष्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तटीय समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों में से एक बनाता है। समुद्री घास संसाधनों के रखरखाव और विनियमन को जारी रखने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र ने अनुमान लगाया है कि भारत में समुद्री घास पारिस्थितिकी तंत्र की कुल सीमा 516.59 किमी है।

समुद्री घास का महत्व

- समुद्री घास कटाव को रोकती है - दूसरे शब्दों में, वे रेत जैसी तटीय तलछट को बहने से रोकने में मदद करती हैं
- समुद्री घास कार्बन को अवशोषित करती हैं - वे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी लड़ाई में वास्तव में महत्वपूर्ण हैं
- समुद्री घास जानवरों और पौधों की कई प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवास हैं
- डुगोंग और कछुओं के भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं
- जब समुद्री घास के पौधों की पत्तियाँ मर जाती हैं और किनारे पर बह जाती हैं, तो वे डीकंपोजर के लिए भोजन बन जाती हैं, ऐसे जीव जो मृत पौधों को खाते हैं
- स्वस्थ समुद्री घास के मैदान हमारे मछली पकड़ने और पर्यटन उद्योगों में सहायता करते हैं

पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ

समुद्री घास के पौधे और संबंधित जीव मर जाते हैं और सड़ जाते हैं, वे समुद्र तल पर एकत्र हो सकते हैं और तलछट में फंसकर दफन हो सकते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि इस तरह दुनिया के समुद्री घास के मैदान हर वर्ष 83 मिलियन मीट्रिक टन तक कार्बन जमा कर सकते हैं। समुद्री घास के मैदानों, मैंग्रोव वनों और रेह सहित तटीय पारिस्थितिक तंत्रों से तलछट में संग्रहीत कार्बन को "नीला कार्बन" के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह समुद्र में जमा होता है। जबकि समुद्री घास कुल समुद्र तल के केवल 0.1 प्रतिशत हिस्से पर क जा करती है, लेकिन अनुमान है कि वे समुद्र में दबे कार्बनिक कार्बन के 11 प्रतिशत तक के लिए जिम्मेदार हैं।

समुद्री घास के मैदानों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र वस्तुओं और सेवाओं का आर्थिक मूल्य उनकी उच्च पोषक चक्रण क्षमता के परिणामस्वरूप कई अन्य मान्यता प्राप्त उत्पादक आवासों द्वारा प्रदान की गई तुलना में अधिक होने का अनुमान है, जो मत्स्यपालन उत्पादन और मत्स्य उत्पादकता में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका को उत्तेजित करता है। इसके अलावा, जबकि समुद्र के बढ़ते तापमान, समुद्र के अम्लीकरण और बढ़ते औद्योगीकरण के कारण मूंगा चट्टानों और मसल रीफ्स जैसे अन्य आवासों में गिरावट की भविष्यवाणी की गई है, समुद्री घास के मैदानों में शारीरिक विशेषताएं हैं जो संभवत: उन्हें वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील बनाती हैं। इसलिए, बदलती जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों के समय में समुद्री घास खाद्य सुरक्षा के एक विश्वसनीय स्रोत का प्रतिनिधित्व कर सकती है - यदि इन पारिस्थितिक तंत्रों के लिए तत्काल और प्रबंधनीय मानवजनित खतरों को सफलतापूर्वक प्रबंधित और कम किया जाता है। इसलिए समुद्री घास के मैदानों का संरक्षण समुद्री जैव विविधता संरक्षण के अलावा खाद्य सुरक्षा के रखरखाव के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

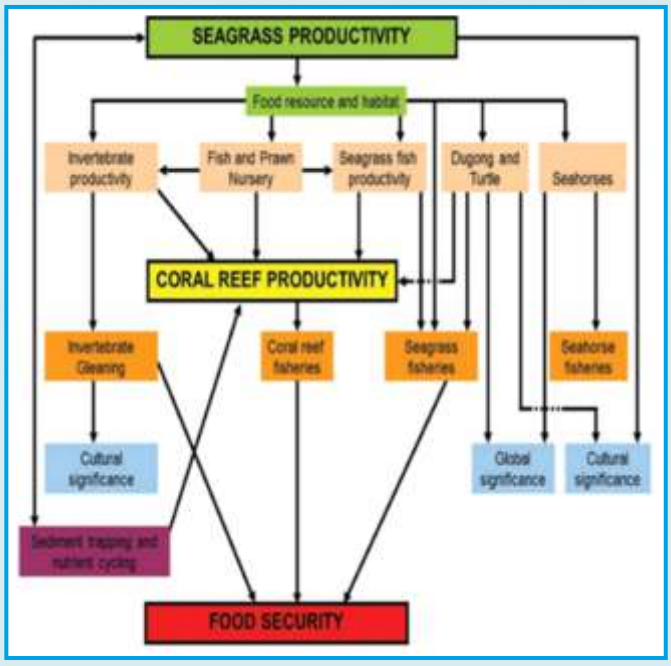

समुद्री घास के मैदान विशेष रूप से अपने पारिस्थितिक कार्यों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि खाद्य वेब गतिशीलता, समुद्री दृश्य इंटरैक्शन और पारिस्थितिक लचीलापन क्षमता में उनकी भूमिका; हालाँकि, ये मूल्यवान पारिस्थितिकी तंत्र सेवा प्रदाता वैश्विक संरक्षण एजेंडे से हाशिए पर हैं या लुप्त हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक आर्थिक रूप से मूल्यवान और उत्पादक पारिस्थितिक तंत्रों में से एक के रूप में बढ़ती मान्यता के बावजूद, समुद्री घास के मैदानों के अस्तित्व, महत्व और विनाश के बारे में सार्वजनिक जागरूकता सीमित प्रतीत होती है। ये आवास वर्तमान में वर्षावनों और प्रवाल भित्तियों के बराबर और अक्सर उससे अधिक नुकसान की दर के अधीन हैं, अनुमान के अनुसार सालाना लगभग 7% की अभूतपूर्व वैश्विक हानि दर का सुझाव

दिया गया है। समुद्री घास का नुकसान ज्यादातर तटीय विकास, खराब भूमि प्रबंधन, भौतिक विनाश और मात्स्यिकी के अत्यधिक दोहन से पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव के कारण खराब पानी का परिणाम है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस घोषित किया है ।

भारत कई राज भाषाओं और लिपियों से समृद्ध देश है। यहां कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। देश के आधे से ज्यादा भाग को हिंदी भाषा ही जोड़ती है। भारत के साथ ही विदेशों में बसे भारतीयों को भी हिंदी भाषा ही एकजुट करती है। हिंदी हिंदुस्तान की पहचान भी है और गौरव भी।

डॉ. पृथ्वी रानी, मात्स्यिकी अनुसंधान एवं जांच अधिकारी

मालपे की मेहनती मछुआरिन महिलाएं सामाजिक-पारिस्थितिकीय वातावरण से जुड़ीं स्व-स्थापित उद्यमी

तटीय मछुआरों के लिए समुद्र ईश्वर का उपहार है और इससे उनके मन में समुद्र के लिए गहरा सम्मान और भावनाएँ जुड़ी हुई हैं। हर साल तटीय कर्नाटक में, प्रतिबंध अवधि के बाद, सम्मान के प्रतीक के रूप में समुद्र में प्रार्थना की जाती है (जिसे आमतौर पर समुद्र पूजा कहा जाता है) जिसके बाद ही सभी मछली पकड़ने वाली नावें मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरती हैं।

समुद्र पूजा

मछुआरे महिलाएं मत्स्यपालन विकास और मत्स्य समुदाय के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अधिकांश समय वे इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि वे मत्स्यपालन क्षेत्र में कितना मूल्य जुड़ता हैं। इस लेख में कर्नाटक के तटीय गाँव की मछुआरिन महिलाओं के जीवन के बारे में जानने का प्रयास किया गया है।

पुरुषों के विपरीत, जिनका श्रम काफी हद तक समुद्र और मछली पकड़ने वाले जहाजों के प्रबंधन और संचालन तक ही सीमित है; मछुआरिन सुबह से शाम तक घर के कामों में व्यस्त रहने के साथ-साथ समुद्री क्षेत्र में मछली की ग्रेडिंग, मछली का परिवहन, सफाई, मछली की खुदरा बिक्री, मछली सुखाने जैसी विभिन्न मत्स्यपालन गतिविधियों में भी शामिल रही हैं। उनका दिन सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाता है और वे मछली पकड़ने वाले बंदरगाह की ओर भागते हैं, जहां उनकी आय का स्रोत, मछली पकड़ने वाली नावें मछली पकड़ने के बाद वापस उतरती हैं। अच्छी मछली पकड़ने से इन मछुआरिन महिलाओं के लिए अच्छी आय होती है।

पहले, मछली पकड़ने में महिलाओं की भूमिका काफी हद तक घरेलू आय में वृद्धि में मदद करने वाले घरों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर निर्भर थी। आज, कई मछुआरिन महिलाओं ने अपने घर में योगदान देने के लिए और अपने पुरुष समकक्षों की तरह आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए मत्स्यपालन में छोटे पैमाने के उद्यम अपनाए हैं।

जहां मछुआरिन महिलाओं का एक समूह मछली की ग्रेडिंग, तैयार ग्राहकों के लिए मछली और झींगा की सफाई में लगा हुआ है, वहीं उद्यमी महिलाओं का एक अन्य समूह थोक मूल्य पर नाव से सीधे मछली खरीदने के लिए जाता है और शहरी क्षेत्र में इन ताजी पकड़ी गई मछलियों को बेचने में संलग्न होता है। कुछ मछुआरे उच्च मुनाफ़ा कमाने वाले पास के रेस्तरां में भी मछली की आपूर्ति करते हैं। इस तटीय क्षेत्र में, आज मछुआरिन महिलाएं खुदरा बाजार, मछली पकड़ने वाली नौकाओं, समुद्री खाद्य रेस्तरां और यहां तक कि मछली निर्यात जैसे नए व्यवसाय उद्यम भी अपना रही हैं। वर्तमान में, उनकी कमाई मछली की ग्रेडिंग और परिवहन में प्रति माह 10,000 रुपये से लेकर बड़े पैमाने पर रेस्तरां में मछलियाँ बेचते समय लगभग 1,00,000 रुपये प्रति माह तक है। इन मछुआरिन महिलाओं के पास अपने समूह के भीतर बचत और बचत के अपने स्वदेशी तरीके हैं जिन्हें आज हम आपातकालीन निधि कहते हैं।

जब शिक्षा और कौशल की बात आती है, तो इस तटीय क्षेत्र में मछुआरिन महिलाएं ज्यादातर प्राथमिक स्तर पर शिक्षित होती हैं, लेकिन अपने काम के क्षेत्र में अत्यधिक कुशल होती हैं। वे मेहनती हैं, अधिक कौशल सीखने के लिए उत्साही

हैं, चेहरे पर मुस्कान के साथ चिलचिलाती धूप में भी काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे सामुदायिक कार्यक्रमों और पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने के इच्छुक हैं।

समुद्र में मछली पकड़ना एक श्रमसाध्य कार्य और जोखिम भरा व्यवसाय है, समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान जलवायु परिस्थितियों, जहाज की तकनीकी विफलता आदि के कारण दुर्घटना की घटनाएं होती रहती हैं। इसके अलावा कई बार मछुआरे परिवार में समर्पित तरीके से परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। इसके कारण, वर्षों से मछुयारिन महिलाओं ने अकेले ही अपने परिवार की देखभाल करने के लिए एक मजबूत शारीरिक और मानसिक तालमेल विकसित किया है, जबकि उनके पुरुष समकक्ष मछली पकड़ने के लिए समुद्र में हैं। ऐसे उदाहरण हैं जिनमें परिवार के पुरुष सदस्य के साथ किसी भी दुर्घटना की स्थिति में परिवार की अधिकांश महिलाएं एक साथ आती हैं और घर चलाती हैं। वर्षों से घरेलू आय बढ़ाने में उनके योगदान, बच्चों की शिक्षा में उनके योगदान को देखते हुए, मछुआरे महिलाओं को उनके परिवार के सदस्यों से प्रोत्साहन और समर्थन मिलता है।

उनका दिन शाम को समाप्त होता है, कुछ के लिए रात में, वे अपने घर वापस आते हैं और खाना पकाते हैं, अपने बड़ों और बच्चों का हालचाल लेते हैं, परिवार को भरपेट भोजन कराते हैं और दिन के लिए विदा लेते हैं।

क्षेत्र में सक्रिय होने के कारण, मछुआरिन महिलाओं को दैनिक आधार पर कुछ मुद्दों का सामना करना पड़ता है जैसे मछली बाजारों के पास बुनियादी सुविधाओं की कमी, अस्वच्छ बाजार स्थान, बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव, क्षेत्र में भंडारण सुविधाओं की कमी, मछली पकड़ने के बंदरगाहों के पास उचित अपशिष्ट निपटान की कमी , बैठने की जगह, ऋण सुविधाएं आदि।

जबकि प्रसंस्करण संयंत्रों, विपणन सहित समुद्री और अंतर्देशीय दोनों क्षेत्रों में मत्स्यपालन में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हस्तक्षेप किया जा रहा है, इन हस्तक्षेपों के बारे में इन मछुआरों के बीच अधिक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। स्थानीय भाषाओं में राज्य स्तर पर मुख्य रूप से महिला मछुआरों पर केंद्रित कार्यशालाएं और प्रशिक्षण उनकी भावना को मजबूत करेंगे और उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा देंगे और उनकी आजीविका के उत्थान में मदद करेंगे।

हर एक पशु-पक्षी का दाना और चारा खाने और चुगने का अपना तरीका होता है, ठीक वैसे ही मछलियों का भी अपना तरीका है. पढ़ने में शायद आपको अटपटा लगे, लेकिन यह हकीकत है कि तालाब में दाना खाने के लिए ब्रीड के हिसाब से मछलियों की अपनी एक तय जगह होती है. जब आप तालाब में मछलियों के लिए दाना डालते हैं तो वो अपनी-अपनी जगह पर आ जाती हैं. जैसे आपके तालाब में तीन तरह की मछलियां हैं तो तीनों ही अपनी-अपनी जगह आकर घूमने लगती हैं. कोई भी एक-दूसरे के इलाके में नहीं जाती है.

श्री अंशुल मिश्रा, सहायक निदेशक (मत्स्यन बन्दरगाह)

भारत में मात्स्यिकी अवसंरचना विकास

परिचय

भारत में मात्स्यिकी इंफ्रास्ट्रक्चर(अवसंरचना) में आम तौर पर मत्स्य लैंडिंग केंद्र, लघु मत्स्यन बंदरगाह, प्रमुख मत्स्यन बंदरगाह आदि शामिल हैं जो मत्स्य उद्योग के लिए आवश्यक हैं। समुद्री खाद्य गुणवत्ता श्रृंखला में मत्स्यन बंदरगाह महत्वपूर्ण तत्व है। तकनीकी रूप से, मत्स्यन बंदरगाह एक प्रकार का बंदरगाह है जहां निर्दिष्ट घाटों पर मत्स्य उत्पादों की लोडिंग/अनलोडिंग सहित ट्रांसशिपमेंट किया जाता है और जहां बैक अप एरिया, नीलामी हॉल, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, नेट मेंडिंग हॉल, ड्रेनेज सिस्टम, ईटीपी, एसटीपी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर(अवसंरचना) जुड़े होते हैं। मत्स्यन बंदरगाह के दिन-प्रतिदिन सुचारू संचालन के लिए बिजली की आपूर्ति, शौचालय ब्लॉक, सीमा परिसर की दीवार, परिधीय और आंतरिक सड़कें, लोडिंग प्लेटफार्म आदि और अन्य सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर(अवसंरचना) मौजूद हैं। यह एक इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करता है जहां समुद्र में पकड़ी गई सामग्री को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है और इस प्रकार यह उत्पादन और व्यापार के बीच अभिसरण का एक बिंदु बन जाता है। इसलिए, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार मत्स्य उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सख्त गुणवत्ता नियंत्रण और आचार संहिता का उचित कार्यान्वयन बहुत महत्वपूर्ण है।

मॉडल फिशिंग हार्बर की कुछ विशेषताएं हैं: -

i) मत्स्य लैंडिंग साइट/नीलामी केंद्र किसी भी धूल/धुआं/पर्यावरणीय जोखिम, कोयला, अस्वच्छ वातावरण आदि से मुक्त आदर्श स्थान पर स्थित होना चाहिए ताकि मत्स्य /समुद्री खाद्य उत्पाद को प्रदूषण से बचाया जा सके।

ii) लैंडिंग जेट्टी के फर्श में पर्याप्त ढलान होनी चाहिए ताकि तूफानी पानी बाहर निकल सके और जलभराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए।

iii) सीवर जल निकासी व्यवस्था समुचित रूप से होनी चाहिए।

iv) पर्याप्त संख्या में पीने योग्य पानी की व्यवस्था, अच्छी गुणवत्ता वाली कुचली हुई बर्फ की उपलब्धता, उचित जल निपटान सुविधा, बिजली सुविधा, शौचालय सुविधा आदि का प्रावधान।

v) मत्स्य लैंडिंग केंद्र/नीलामी क्षेत्र में पक्षियों, जानवरों के प्रवेश से बचने के लिए उचित उपाय होने चाहिए।

वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) का शुभारंभ

भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 साल की अवधि के लिए पीएमएमएसवाई का शुभारंभ किया जिसका उद्देश्य "पारिस्थितिकी रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से समावेशी मात्स्यिकी क्षेत्र का विकास है जो मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य हितधारकों की आर्थिक समृद्धि और कल्याण, देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा में स्थायी और जिम्मेदार तरीके से योगदान देता है"।

यह योजना भारत में मत्स्यपालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए है, जिसमें मत्स्यपालन क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक 20050 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।

पीएमएमएसवाई योजना के तहत नए बंदरगाहों के विकास, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, मत्स्य लैंडिंग केंद्रों का विकास आदि के रूप में पूंजीगत इंफ्रास्ट्रक्चर(अवसंरचना) निवेश पूरे मत्स्यपालन क्षेत्र के समग्र उत्पादन के साथ-साथ तटीय सामुदायिक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए गेम चेंजर के रूप में कार्य करेगा।

वर्तमान में, भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग द्वारा नए मत्स्यन बंदरगाह, मत्स्यन बंदरगाह के आधुनिकीकरण, मत्स्य लैंडिंग केंद्र, रखरखाव ड्रेजिंग कार्य और अन्य विविध कार्यों आदि से युक्त 107 परियोजनाएं स्वीकृत हैं। उपरोक्त से, यह देखा जा सकता है कि सरकार ने मत्स्यपालन क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय प्रावधान आवंटित किया है और पीएमएमएसवाई की सफलता मछली उत्पादन, उत्पाद की गुणवत्ता और मत्स्य किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सिविल कार्य के निष्पादन के दौरान गुणवत्ता आश्वासन, समय पर पूरा होने और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर(अवसंरचना) के सफल कमीशनिंग पर निर्भर है।

किसी भी प्रमुख नए फिशिंग हार्बर परियोजना के विकास में गतिविधियों का क्रम इस प्रकार है :-

i) प्रमुख फिशिंग हार्बर के विकास के लिए इसकी उपयुक्तता का पता लगाने के लिए साइट का व्यवहार्यता सर्वेक्षण किया जाता है जिसमें तकनीकी और साथ ही आर्थिक पहलू भी शामिल होता है।

सर्वेक्षण आम तौर पर मंत्रालय या मंत्रालय द्वारा नामित/अनुमोदित किसी अन्य अधिकृत सरकारी एजेंसी के अनुरोध के अनुसार सीआईसीईएफ, बैंगलोर द्वारा किया जाता है।

ii) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सरकार द्वारा अनुमोदित सलाहकार या सरकारी निकायों जैसे डब्ल्यूएपीसीओएस, पोर्ट ट्रस्ट, आईपीआरसीएल, डीसीआईएल, सीआईसीईएफ बैंगलोर, राज्य बंदरगाह विभाग, राज्य बंदरगाह विकास निगम आदि द्वारा तैयार की जाती है जिसमें परियोजना की शुरुआत, परियोजना की आवश्यकता के लिए औचित्य, बाथमेट्री सर्वेक्षण, मिट्टी की जांच, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, प्रचलित सर्कल एसओआर (दरों की अनुसूची) के आधार पर विस्तृत मदवार अनुमान, संरचना की विस्तृत ड्राइंग और डिजाइन, भूमि की उपलब्धता, धन के स्रोत के प्रावधान की उपलब्धता, पर्यावरण मंजूरी की स्थिति का विवरण, तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) क्लीयरेंस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य प्राधिकारियों से एनओसी, जैसा लागू हो। शामिल है।

iii) परियोजना की डीपीआर को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। उदाहरण के लिए, सचिव (मत्स्यपालन) 100 करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत को विधिवत वित्त सहमति और परियोजना मूल्यांकन समितियों, स्थायी समितियों आदि से जांच की उचित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद मंजूरी देने में सक्षम है।

iv) परियोजना की डीपीआर के अनुमोदन के आधार पर, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण सहायता राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को किश्तों में जारी की जाती है और कार्य के समय पर निष्पादन और स्वीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर(अवसंरचना) परियोजना में राज्य के हिस्से के बराबर निवेश से संबंधित कुछ शर्तों के अधीन होती है।

v) राज्य हार्बर विभाग/परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ने मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद और ईसी, सीआरजेड क्लीयरेंस, पीसीबी, अन्य प्राधिकरणों आदि से एनओसी प्राप्त करने के बाद, संबंधित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी प्राधिकारी मुख्य अभियंता, एफए आदि द्वारा निविदा दस्तावेज को विधिवत अनुमोदित और वित्तीय जांच के बाद एनआईटी प्रकाशित करके खुली निविदा बुलाकर निविदा प्रक्रिया शुरू करते है।

vi) जिसके बाद बोलियां दो चरणों में खोली जाती हैं, तकनीकी बोली और वित्तीय बोली और सबसे कम वित्तीय बोली के आधार पर, कार्य के निष्पादन के लिए एल1 ठेकेदार को कार्य आदेश जारी किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में अनुमोदित परियोजना लागत की 5% सीमा के भीतर कम बोली लगाने वाले के मूल्य के आधार पर परिवर्तनीय समय लगता है और अधिक राशि की बोलियां प्राप्त होने पर संशोधित अनुमोदन प्राप्त करना होता है। हालाँकि, आम तौर पर आदर्श स्थिति में उपरोक्त गतिविधि 45 दिनों की अवधि के भीतर पूरी हो सकती है।

vii) ठेकेदार अनुबंध समझौते के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के अधिकारियों की तकनीकी देखरेख में परियोजना को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति और मशीनरी और अन्य संसाधन जुटाता है, बशर्ते कि कार्य के निष्पादन के दौरान कार्य स्थल पर कोई बाधा न हो।

viii) इसके अलावा कार्यों की वास्तविक भौतिक और वित्तीय प्रगति और राज्य सरकार/परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों को धनराशि जारी की जाती है।

ix) सफल समापन और कमीशनिंग के बाद काम संचालन के लिए हार्बर प्रबंधन समिति और नव विकसित परियोजना के सुचारु रखरखाव के लिए हार्बर रखरखाव समिति को सौंप दिया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने अपने तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से भारत में दो मॉडल प्रमुख मत्स्यपालन हार्बर पोर्ट प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय मानकों की लागत पर विकसित करने की परिकल्पना की है, एक पूर्वी तट में और एक पश्चिम में।

मॉडल फिशिंग हार्बर के विकास के लिए बुनियादी सिविल इंजीनियरिंग गुणवत्ता आश्वासन मॉड्यूल में निम्नलिखित पैरामीटर शामिल हैं: -

फिशिंग हार्बर – नागपट्टिनम, तमिलनाडु

i) स्वीकृत मिश्रण डिजाइन के अनुसार आईएस 383 के अनुसार समुच्चय (एग्रीगेट) का स्रोत अनुमोदन और गुणवत्ता यानी, मोटे समुच्चय, बारीक समुच्चय का उपयोग परियोजनाओं के निर्दिष्ट अंतराल पर जांच करके कार्यों के निष्पादन के दौरान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

ii) सीमेंट की गुणवत्ता, सीमेंट का तृतीय पक्षपरीक्षण, सीमेंट का भंडारण, सीमेंट का सेटिंग समय परीक्षण, सीमेंट मोल्ड का क्यूब परीक्षण सीमेंट के स्रोत अनुमोदन से पहले किया जाना चाहिए।

iii) क्यूब परीक्षण की जांच को 100% देखा जाना चाहिए और किसी भी असामान्यता को जांच के लिए डिजाइन टीम को सूचित किया जाना चाहिए क्योंकि क्यूब परीक्षण कई मामलों में कंक्रीट संरचनाओं की एकमात्र स्वीकृति/अस्वीकृति मानदंड है।

iv) साइट की स्थिति के अनुसार मिश्रण का उपयोग अनुमोदित मिश्रण डिजाइन के अनुसार होना चाहिए।

v) कंक्रीट के बैचिंग ऑपरेशन से पहले एग्रीगेट का ग्रेडेशन परीक्षण, गाद सामग्री परीक्षण, नमी सुधार परीक्षण किया जाना चाहिए।

vi) आरसीसी कार्यों में उपयोग किए जाने वाले सुदृढीकरण के लिए स्रोत अनुमोदन और आक्रामक संक्षारण वातावरण के मामले में विशेष सक्रिय एपॉक्सी कोटिंग प्रदान की जाएगी।

vii) एनएबीएल अनुमोदित प्रयोगशालाओं द्वारा कार्य के निष्पादन की शुरुआत से पहले प्रयोगशाला परीक्षण उपकरणों और बैचिंग संयंत्रों का अंशांकन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

viii) कंक्रीटिंग संचालन के निष्पादन के दौरान कार्य की गुणवत्ता और साइट पर कंक्रीट जांच सूची सुनिश्चित की जानी चाहिए।

ix) विनिर्देशों के अनुसार साइट पर राफ्ट फाउंडेशन, कॉलम, बीम, स्लैब, ईंट कार्य, पलस्तर, पाइल फाउंडेशन, पाइल कैप, इंटरमीडिएट क्रॉस बीम, पियर कैप, डेक स्लैब, रिटेनिंग वॉल, लोडिंग प्लेटफॉर्म आदि की सहनशीलता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

x) कंक्रीट की मजबूती और नव विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर(अवसंरचना) के भविष्य के स्थायित्व के लिए कंक्रीटिंग के बाद इलाज की गतिविधि बहुत आवश्यक है।

xi) उपरोक्त सूची केवल सांकेतिक है, संपूर्ण नहीं।

उपरोक्त से, यह देखा जा सकता है कि सिविल कार्य के निष्पादन के दौरान गुणवत्ता आश्वासन संरचना की सेवा जीवन और स्थायित्व को तय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

विकास से संबंधित वर्तमान रुझान और मुद्दे

वर्तमान प्रथा के अनुसार, केंद्र सरकार राज्य सरकार/एजेंसियों को साझा आधार पर वित्त पोषण कर रही है, हालांकि, कार्यों का वास्तविक कार्यान्वयन और निष्पादन राज्य सरकार/एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है और इसलिए, गुणवत्ता आश्वासन के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों पर जिम्मेदारी है। अतीत में, एफएओ की तकनीकी टीम ने भारत में उनके टीसीपी सहायता कार्यक्रम से साइट पर किए गए खराब गुणवत्ता/घटिया कार्यों के बारे में गंभीर आपत्तियां उठाई थीं। राज्य बंदरगाह विभाग के अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है जो परियोजना को लागू कर रहे हैं और साथ ही उन्हें निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समुद्री इंजीनियरिंग क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकियों के बारे में संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है जो लागत और समय दोनों को कम कर सकते हैं।

इस क्षेत्र में प्रशिक्षित/कुशल जनशक्ति की कमी को उपयुक्त क्षमता वृद्धि और प्रशिक्षण दृष्टिकोण द्वारा संबोधित किया जाना है।

अतीत के रुझानों के अनुसार, मत्स्यन बंदरगाह परियोजना, जिसे आम तौर पर आकार और संबंधित सुविधाओं /इंफ्रास्ट्रक्चर(अवसंरचना) के आधार पर 2-3 साल की अवधि के भीतर पूरा किया जा सकता है, औसत समय चक्र में 10 साल से अधिक समय लग रहा है और जिसके कारण लागत और समय दोनों बढ़ गये हैं। यह राष्ट्रीय खजाने को भारी नुकसान है क्योंकि सरकार ने अलग-अलग मदों से विशिष्ट मद की कुछ राशि को बंटवारे से रोक दिया है और यदि स्वीकृत बजट वर्ष में इसका उपयोग नहीं किया गया तो यह राष्ट्र के लिए नुकसान है। यदि उसी कार्य को किसी नई एजेंसी द्वारा निष्पादित किया जाना है, तो देरी और लागत में वृद्धि के कारण परियोजना की वापसी की आंतरिक दर में भी कमी आएगी और कीमत में वृद्धि का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा।

वे-एहेड

भारत सरकार को भारत में मत्स्यपालन क्रांति लाने के लिए इस क्षेत्र में पीपीपी प्रथा का आक्रामक तरीके से पालन करना चाहिए। परियोजना को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए यानी, एक जो केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है, जो बंदरगाहों या केंद्र शासित प्रदेशों के स्वामित्व वाले प्रमुख मत्स्यन बंदरगाह के मामले में है, इस प्रकार की श्रेणियों में "मकान मालिक प्रकार" मॉडल का पालन किया जाना चाहिए जिसमें भूमि की उपलब्धता हो। और ऐसी भूमि का हस्तांतरण पीपीपी ऑपरेटर को मानक शर्तों के समझौते पर किया जाएगा और उत्पादन के साथ-साथ संपूर्ण विकास पीपीपी ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट (एमओपीएसडब्ल्यू) द्वारा हाल ही में अंडमान निकोबार पोर्ट पीपीपी ईओआई का मॉडल समझौता आरएफपी/ईओआई, जिसका मूल्य 41,000/- करोड़ रुपये है, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुरूप भारत सरकार के मत्स्यपालन मंत्रालय द्वारा किया जा सकता है।

दूसरी श्रेणी वह है जहां केंद्र और राज्य इस प्रकार की परियोजना में धन साझा कर रहे हैं, बंदरगाह परियोजना की लागत 100 करोड़ रुपये से अधिक होने पर अनिवार्य ईपीसी मोड कार्यान्वयन को निर्देशित किया जाएगा ताकि ईपीसी ठेकेदार इस क्षेत्र में सर्वोत्तम आधुनिक नवीनतम डिजाइन को अनुकूलित और सामने ला सके। और यह आगे लागत प्रभावी भी होगा, परियोजना में देरी के मामले में ईपीसी ठेकेदार के लिए भारी क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। इस प्रकार, इससे राज्य और केंद्र दोनों को लागत और परियोजना समय में कमी का लाभ होगा।

पीएमएमएसवाई के तहत मत्स्यपालन क्षेत्र में क्रांति काफी हद तक मात्स्यिकी इंफ्रास्ट्रक्चर(अवसंरचना) के समय पर निर्माण पर निर्भर करेगी जैसे कि बंदरगाह, मछली लैंडिंग केंद्र आदि का निर्माण। सफलता समय पर कार्यान्वयन/निष्पादन और पूंजीगत वित्तीय व्यय और मछुआरों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए परिसंपत्तियों के निर्माण और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सीफुड (समुद्री भोजन) के घरेलू और निर्यात उत्पादन को बढ़ाने पर निर्भर करेगी।

फिशिंग हार्बर, चेन्नई

श्री राकेश कुमार, उपायुक्त (मा०)

जलाशय में केज कल्चर तथा जलाशय और आर्द्रभूमि में मत्स्यपालन

भारत को विशाल जलाशयों का सौभाग्य प्राप्त है अपितु उन्हें अभी तक मत्स्यपालन या मात्स्यिकी के लिए उपयोग में लाया नहीं गया है । जलाशय संसाधन 3.32 मिलियन हेक्टेयर जल प्रसार क्षेत्र को कवर करते हैं और ये संसाधन विभिन्न जलवायू क्षेत्रों में फैली हुई है और ये अधिकांश जल क्षेत्र मत्स्य विकास के लिए अनुकूल हैं। ये कुल जल संसाधनों का 31% है। इसके अलावा, 3.32 मिलियन हेक्टेयर में से, छोटे जलाशय 1.43 मिलियन हेक्टेयर हैं जबकि मध्यम और बड़े जलाशय क्रमश: 0.52 मिलियन हेक्टेयर और 1.37 मिलियन हेक्टेयर है।

भारत में जलाशय मात्स्यिकी की संभावना वाले राज्य छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु हैं।

वर्तमान में, क्रमश: छोटे, मध्यम और बड़े जलाशयों में 500 किग्रा/हेक्टेयर, 250 किग्रा/हेक्टेयर और 100 किग्रा/हेक्टेयर की उच्च उत्पादन क्षमता के बावजूद जलाशयों से मत्स्य उपज लगभग 190 किग्रा/हेक्टेयर, 96 किग्रा/हेक्टेयर और 33 किग्रा/हेक्टेयर तक है जो कम है । जलाशयों से कम उत्पादकता खराब स्टॉकिंग के कारण है और इसलिए उचित संख्या में उन्नत फिंगरलिंग्स को स्टॉक करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, छोटे, मध्यम और बड़े जलाशयों से क्रमश: 500 किग्रा/हेक्टेयर, 250 किग्रा/हेक्टेयर और 100 किग्रा/हेक्टेयर की दर से 3.15 मिलियन हेक्टेयर से कुल 2.21 मिलियन टन संभावित क्षमता की तुलना में केवल 0.26 मिलियन टन प्राप्त किया जा रहा है।

इसके अलावा, जलाशय का स्वामित्व राज्य सिंचाई विभाग के पास निहित है। परिणामस्वरूप, विभाग ने 2017-18 के दौरान अपने दिनांक 6 जुलाई, 2017 के पत्र के माध्यम से राज्यों को जलाशयों में केज की स्थापना के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें उल्लेख किया गया कि सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रत्येक जलाशय के प्रभावी जल प्रसार क्षेत्र का कम से कम 5% केज की स्थापना के लिए अनुसंधान एवं विकास और केज कल्चर सहित राज्य सरकार से संबंधित कार्य/विभाग के लिए आरक्षित करना चाहिए। इसके अलावा 1% क्षेत्र का उपयोग विभाग द्वारा केज कल्चर आदि को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है ।

यह अनुमान लगाया गया है कि 33.25 लाख हेक्टेयर जलाशय (33255 हेक्टेयर) के 1% जल क्षेत्र का उपयोग करने के लिए, 66 लाख केज स्थापित किए जा सकते हैं, जिसके लिए 2640 करोड़ (26400 मिलियन) फिश फिंगरलिंग की आवश्यकता होती है, यह मानते हुए कि एक हेक्टेयर में 200 केज स्थापित किए जा सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप 19.80 मिलियन टन मत्स्य का उत्पादन होगा ।

सीएसएस-नीली क्रांति - मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन और प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के कार्यान्वयन के बाद से राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को 39000 केज स्वीकृत किए गए हैं, जिससे आजीविका सहायता के रूप में 1.56 लाख मछुआरों को रोजगार मिलने के साथ सालाना 97500 टन मत्स्य उत्पादन की अतिरिक्त वृद्धि हुई है ।

इसके अलावा, देश में ऑक्सबो झीलों, बील्स , परित्यक्त जल निकायों के रूप में 13 लाख हेक्टेयर आर्द्रभूमि है। पीएमएमएसवाई के तहत पेन कल्चर को आर्द्रभूमि के विकास के लिए सहायता दी जा रही है और अब तक पीएमएमएसवाई के तहत पेन कल्चर के 375 हेक्टेयर क्षेत्र को असम, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को सहायता दी जा रही है, जिससे आजीविका सहायता के रूप में 1500 मछुआरों को रोजगार मिलने के साथ सालाना 750 टन मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हुई है ।

फ्लाइंग फिश

मछलियाँ उड़ भी सकती हैं !!!!

उड़ने वाली मछलियाँ अत्यधिक संशोधित (हाईली मोड़िफाईड) पेक्टोरल पंखों वाली किरण-पंख (रे-फिन्ड़) वाली मछली है । वे प्रति घंटे 35 मील (56 किलोमीटर) से अधिक की गति से खुद को पानी से बाहर निकालती हैं और एक बार हवा में आने पर, उनके कठोर "पंख" उन्हें 650 फीट (200 मीटर) तक उड़ने में सक्षम बनाते हैं।

पेक्टोरल पंख मुख्य रूप से हवा में ग्लाईड करने के लिए होते हैं। ये मछलियाँ तैरते समय इन पंखों को अपने किनारों पर सपाट रखती हैं। माना जाता है कि उड़ने वाली मछलियों ने अपने विभिन्न समुद्री शिकारियों से बचने के लिए यह उड़ान तंत्र विकसित किया है। हालाँकि, एक बार हवा में आने के बाद, वे कभी-कभी पक्षियों का भोजन बन जाते हैं।

कितना अजीब हैं ना इंसान समुंदर कि गहराइयों तक तो पहुंचने की कोशिश करता है,
बिल्कुल मछली कि तरह पर कभी रिश्तों में उस गहराई को नहीं समझ पाता जो गहराई मछलियां समुंदर
की समझ पाती हैं तभी तो मछलियां पानी से अलग हो ही नहीं पाती और
इंसान रिश्तों में रह के भी अकेला हो जाता है।

डॉ. नितिन वर्मा, सहायक अनुसंधान अधिकारी (मा०)

क्या "फिश फार्म प्रजनकों का अधिकार अधिनियम" हो सकता है?

भारत में मत्स्यपालन में अवसरों और चुनौतियों की कोई कमी नहीं है। हमारे देश में मत्स्य कृषकों द्वारा हमेशा सामना की जाने वाली चुनौतियों में से एक मत्स्य कृषि के लिए कृषि पालन योग्य मछली की आनुवंशिक रूप से उन्नत नस्ल प्राप्त करना है।

हम जानते हैं कि जानवर यदि ट्रांसजेनिक नहीं हैं तो वह आनुवंशिक रूप से उन्नत नस्ल के रूप में पेटेंट योग्य नहीं होते हैं। यद्यपि हमने कृषकों द्वारा विकसित पौध किस्मों के संकरण के माध्यम से पौध किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार अधिनियम (पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001) के तहत पंजीकरण का प्रावधान किया है। लेकिन हमारे पास अभी भी पशुधन या मत्स्य किसानों को इस तरह के अधिकार प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। संतानों की संख्या कम होने की वजह से बड़े जानवरों के लिए डेटा रिकॉर्ड करना और सांख्यिकीय रूप से इसका परीक्षण करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अधिकांश जलीय कृषि योग्य मछलियों में बहुत अधिक फेकंडिटी (संतानों की संख्या) होती है, जिससे बड़ी मात्रा में डेटा रिकॉर्ड करना और सांख्यिकीय रूप से परीक्षण करना आसान हो जाता है।

बौद्धिक संपदा की अवधारणा पहले आविष्कार के साथ उत्पन्न हुई होगी। तभी, औद्योगिक उन्नति के साथ, आविष्कारक की सहमति के बिना आविष्कार की प्रतिलिपी बनाए जाने से बचाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। नई तकनीकों के विकास के साथ, निजी अधिकारों और सार्वजनिक हितों के बीच संतुलन को लागू करने की आवश्यकता है, और वहाँ बौद्धिक संपदा प्रणाली का जन्म हुआ। पहली बौद्धिक संपदा प्रणाली पिछली चार सदियों से औद्योगिक विकास के साथ पश्चिम से आई। इन वर्षों के दौरान, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) सामंती सत्ता से लोगों के निजी अधिकारों में परिवर्तित हो गया है।

विकसित देशों द्वारा संरक्षण के लिए पेटेंट चुनने का मुख्य कारण उनकी तकनीकी क्षमताओं और एक पेटेंट प्रणाली से उत्पन्न होने वाले अपार वित्तीय लाभों के कारण है। अधिकांश विकासशील देशों को मत्स्य पालन से संबंधित आविष्कारों की रक्षा करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जो मुख्य रूप से मजबूत नियमों और विनियमों की कमी की वजह से भी हो सकता है। अधिकांश विकासशील देशों में मत्स्य पालन क्षेत्र सहित जैविक संसाधनों को पंजीकृत या प्रलेखित नहीं किया गया है और वैश्वीकरण प्रक्रिया, जैव-विविधता और स्थानीय किसानों के पारंपरिक ज्ञान, कौशल और तकनीकों के साथ इन किस्मों को विकसित करना दांव पर लगा हुआ है।

पशुधन और मत्स्य उद्यमों में विभिन्न प्रौद्योगिकियां, प्रौद्योगिकी की प्रकृति के आधार पर पेटेंट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत (जी आई), कॉपीराइट और औद्योगिक संरचना (इंडस्ट्रियल डिसाइन) द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकती हैं। यह सुरक्षा एक या विभिन्न आईपीआर के संयोजन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। मछली प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी (83 पेटेंट), जलीय कृषि (31 पेटेंट) और मछली पकड़ने की तकनीक (37 पेटेंट) के क्षेत्र में पेटेंट गतिविधि में लगातार वृद्धि हुई है। ऐसे संसाधनों के उपयोग की विशाल और बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त क्षमता और औद्योगिक देशों में प्रचलित जैव प्रौद्योगिकी पेटेंट पर व्यापक दृष्टिकोण को देखते हुए, विभिन्न रूपों में आनुवंशिक सामग्री सहित जीवित जलीय संसाधनों (या उनके भागों) का पेटेंट होना भविष्य में बढ़ सकता है।

जीवित जलीय संसाधनों के फार्मास्यूटिकल्स, नैदानिक और विश्लेषणात्मक अभिकर्मकों में सौंदर्य प्रसाधन और भोजन जैसे कई क्षेत्रों में उपयोग की महत्वपूर्ण क्षमता है।

उपरोक्त के अलावा हमारे पास कृषि योग्य मछलियों के आनुवंशिक सुधार के लिए काम करने वाली अनुसंधान प्रणाली (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) भी है जिसके अंतर्गत आने वाले अनुसंधान संस्थान भी कृषि योग्य मछलियों के आनुवंशिक सुधार के लिए काम कर रहे हैं, जयंती रोहू इसका एक उदाहरण है। इसके साथ साथ पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की तर्ज पर अपनी कृषि आधारित आनुवंशिक रूप से उन्नत किस्मों को पंजीकृत करने का अधिकार प्रदान करके हमारे मतस्य कृषकों को मजबूत करने का समय आ गया है। यह एक ऐसा विचार हो सकता है जो पहली बार में अस्पष्ट लग सकता है लेकिन अगर इस क्षेत्र में क्रांति ला सकता है, तो यह कोशिश के योग्य है।

क्लाउनफ़िश

सभी क्लाउनफ़िश नर पैदा होते हैं, अपने आप को मादा बना लेते हैं !!!!!

क्लाउनफ़िश एक्वैरियम के लिए हमेशा से लोकप्रिय रही हैं पर आर्टिफ़िश्यल रीफ़्स के विनाश और एक्वैरियम ट्रेड के लिए उनके कजे के कारण उनकी आबादी को नुकसान हुआ है। वास्तव में क्लाउनफ़िश की 30 प्रजातियाँ हैं, उनकी केवल एक प्रजाति नहीं हैं। अधिकांश काली पट्टियों या सफेद धब्बों के साथ नारंगी रंग के होते हैं। चयनात्मक प्रजनन कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न रंग पैटर्न और प्रजातियों का प्रजनन किया जा रहा है।

वास्तव में अचंभे की बात है कि सभी क्लाउनफ़िश नर पैदा होते हैं, लेकिन कुछ मादा बन जाते हैं। एक बार जब वे बदल जाते हैं, तो वे वापस पुरुष नहीं बन सकते। वे नर मछलियों के समूह में रहते हैं, जिनमें एक प्रमुख नर और एक प्रमुख मादा होती है। यदि मादा मर जाती है, तो प्रमुख नर मादा बन जाता है।

डॉ. नियति जोशी, निदेशक (सांख्यिकी/आईटी)

घटते जन्मदर का सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक मूल्य

परिचय

अधिक जनसंख्या हमेशा से आधुनिक दुनिया के लिए चिंता का विषय रही है लेकिन हम हमेशा सिक्के के दूसरे पहलू को देखने में विफल रहते हैं। यह सच है कि सीमित उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर रहने वाले लोगों की अधिक संख्या निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण समस्या है, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता, हमें जीवन को जारी रखने के लिए मानव आबादी की आवश्यकता होती है।

क्या हम मानव जीवन का मूल्य भूल रहे हैं?

ऐतिहासिक रूप से लोगों के पास बहुत सारे बच्चे थे जो भावनात्मक और वित्तीय रूप से बहुत मायने रखते थे। लेकिन जैसे-जैसे समाज समृद्ध होता गया है, माता-पिता के बीच इस विचारधारा में अधिक बच्चे पैदा करने से लेकर कम संख्या में बच्चे पैदा करने तक बदलाव आया है। कई देशों ने इस जनसांख्यिकीय परिवर्तन का अनुभव किया है या वर्तमान में कर रहे हैं। इस परिवर्तन में उच्च जन्म और मृत्यु दर से निम्न जन्म और मृत्यु दर में बदलाव शामिल है क्योंकि समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित होता है। जैसे-जैसे राष्ट्र प्रगति करते हैं, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और परिवार नियोजन तक पहुंच जैसे कारकों के कारण प्रजनन दर में गिरावट आती है।

वास्तव में प्रजनन दर में कमी के साथ संसाधनों पर दबाव कम होना, पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के लिए अवसरों में वृद्धि और व्यक्तियों और परिवारों के लिए जीवन की उच्च गुणवत्ता की संभावना जैसे कई फायदे हैं।

लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब हमारे पास मौजूदा मानव आबादी को प्रतिस्थापित करने के लिए आवश्यक जन्म नहीं होते हैं और यहीं पर देश की जनसंख्या में गिरावट शुरू होती है, जनसांख्यिकीय दृष्टि से, जब किसी देश की प्रजनन दर प्रतिस्थापन प्रजनन दर से कम होती है।

बढ़ती जनसंख्या और घटती कार्यशील जनसंख्या, निर्भरता अनुपात में वृद्धि, सामाजिक कल्याण प्रणालियों पर दबाव, सांस्कृतिक विविधता में कमी , बुनियादी ढाँचे का नुकसान विभिन्न जनसांख्यिकीय, सामाजिक आर्थिक और आर्थिक लागत है जो वांछित दरों से नीचे गिरती प्रजनन दर के साथ जुड़ा हुआ है और देशों के लिए एक गंभीर चुनौती है।

सवाल यह है कि क्या हमें अधिक या कम बच्चे पैदा करने चाहिए, अधिक जनसंख्या और संसाधन तनाव के बारे में चिंताओं के विपरीत बढ़ती आबादी और सिकुड़ती कार्यबल के बारे में चिंताओं के बीच एक बहस है।

उद्देश्य

- इस अध्ययन का उद्देश्य चीन और जर्मनी में प्रजनन क्षमता में गिरावट की प्रक्रिया को समझना और नीति परिदृश्य और अन्य कारकों को समझना है जो दो देशों में जनसांख्यिकीय बदलाव का कारण बनते हैं।
- नुकसान, श्रम बल की गतिशीलता, निर्भरता अनुपात और पेंशन सहित घटती प्रजनन क्षमता के प्रभाव का अध्ययन करना और समझना।
- मानव जनसंख्या का मूल्य समझना

विश्लेषण

- चीन और जर्मनी में प्रजनन दर में गिरावट

प्रजनन दर से तात्पर्य किसी जनसंख्या में महिलाओं से पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या से है, जबकि प्रतिस्थापन प्रजनन दर समय के साथ जनसंख्या को प्रतिस्थापित करने के लिए आवश्यक बच्चों की संख्या है जो प्रति महिला 2.1 बच्चे की दर से है।

विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश चीन में अब जनसंख्या में गिरावट का रुझान शुरू हो गया है और यह देखा जा सकता है

कि यदि प्रजनन दर में गिरावट जारी रही, तो 2022 में चीन की जनसंख्या 1.4 बिलियन जनसंख्या से इस सदी के अंत तक लगभग आधी हो जाने का अनुमान है। 2021 में लगभग 10.6 मिलियन जन्म दर्ज किए गए, जो एक दशक पहले की तुलना में लगभग आधी संख्या है। यह चार्ट पिछले 60 वर्षों में चीन की जन्म दर और मृत्यु दर को दर्शाता है। 2022 में, इनमें से अधिकांश के लिए, जन्म अधिक है चीन में जनसंख्या में गिरावट का अनुभव हुआ क्योंकि मृत्यु जन्म से अधिक हो गई, और अनुमान बताते हैं कि सदी के अंत तक जनसंख्या लगभग आधी घट सकती है। चीन में प्रजनन दर 2022 में 5.81 से घटकर 1.28 हो गई है।

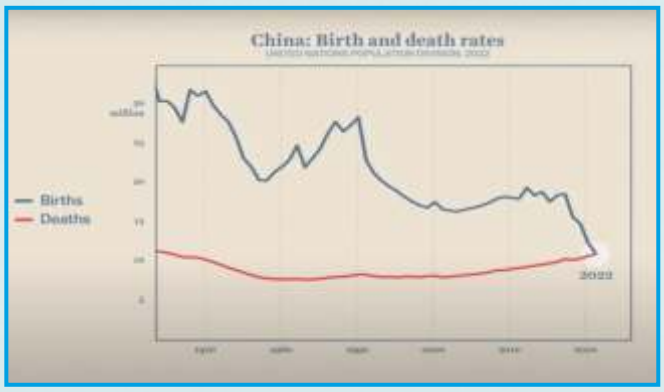

स्रोत- वॉक्स यूट्यूब चैनल

प्रजनन क्षमता में गिरावट का ऐसा ही रुझान जर्मनी में देखा गया है. जर्मनी, नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2021 में 4.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जर्मनी ने पुनर्मिलन के बाद से निर्बाध विकास की सबसे लंबी अवधि का अनुभव किया है, हाल के वर्षों में, इसकी अर्थव्यवस्था धीमी हो गई है और विकास दर लगातार गिर रही है। इसका एक कारण इसकी जनसांख्यिकीय समस्याएं और कुशल श्रमिकों की भारी कमी हो सकती है। जर्मनी की प्रजनन दर 1950 में प्रति महिला 2.06 बच्चों से घटकर 2020 में 1.52 हो गई है।

देश/ वर्ष	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020
चीन	5.81	4.45	6.09	2.74	2.51	1.63	1.69	1.28
जर्मनी	2.06	2.38	2.04	1.54	1.44	1.38	1.39	1.52

दिए गए वर्षों के लिए चीन और जर्मनी में प्रजनन दर

पिछले कुछ वर्षों में चीन की वृद्धि और नीतियों ने जनसंख्या में गिरावट में योगदान दिया है। जब 1950 के दशक में चीन में औसत परिवार में 6 बच्चे होते थे। चीनी नेतृत्व को एहसास हुआ कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सरकार "देर से, लंबे समय तक, कम " नामक नीति लेकर आई, जिसके परिणामस्वरूप चीन की जन्म दर कम होने लगी और 1980 में उन्होंने अत्यधिक "एक बच्चे की नीति" लागू की, जिसने अधिकांश माता-पिता को एक से अधिक बच्चे पैदा करने से प्रतिबंधित कर दिया। इस नीति के कारण प्रजनन दर में गिरावट आयी जो प्रतिस्थापन दर से काफी नीचे है। 2016 में चीन ने आख़िरकार एक बच्चे की नीति ख़त्म कर दी।

प्रजनन दर में गिरावट का प्रभाव

1. सबसे पहले, अमीर दुनिया तेजी से बूढ़ी हो रही है। 1950 में, उच्च आय वाले देशों में हर 12 में से 1 व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक का था, 2050 तक इसके चार में से एक के समान होने की उम्मीद है और यह एक बड़ी समस्या बन जाएगी।

यह युवा और वृद्ध आबादी के बीच असंतुलन पैदा करता है। घटती प्रजनन क्षमता की पहली चिंता उम्रदराज़ आबादी और घटती कामकाजी आबादी से जुड़ी है। निरंतर कम प्रजनन क्षमता जनसंख्या की निरंतर उम्र बढ़ने का कारण बनती है। उदाहरण के लिए , यदि हम चीन के जनसंख्या पिरामिडों को देखें जो उम्र के अनुसार वितरण दर्शाते हैं, तो संकीर्ण तल कम शिशुओं को दर्शाता है और भारी शीर्ष बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोगों को दर्शाता है। 2050 में उस पिरामिड को इस तरह दिखने का अनुमान है जो दर्शाता है कि उम्र बढ़ना निश्चित रूप से चीन के लिए चिंता का विषय है।

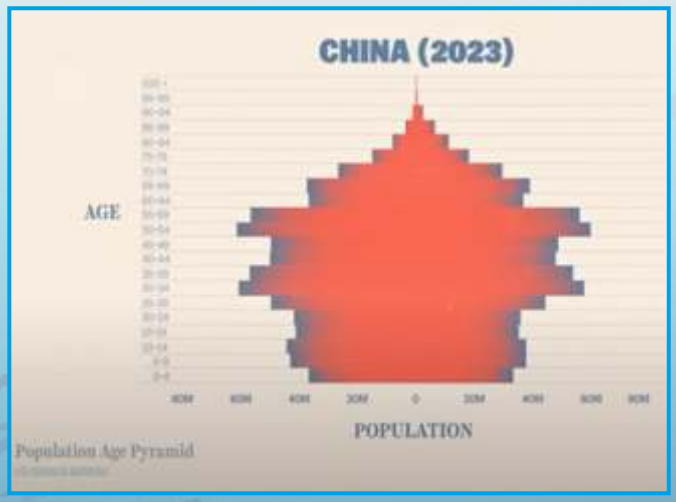

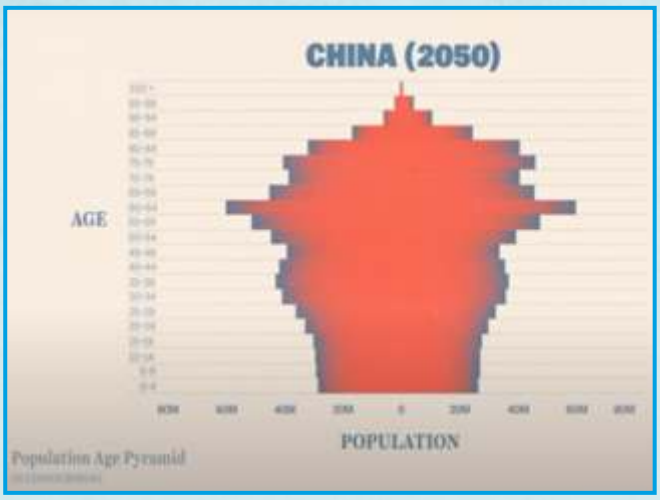

स्रोत-वॉक्स यूट्यूब चैनल

2. जर्मनी में 2020 में 64% आबादी कामकाजी आयु वर्ग की है। हालाँकि, जर्मनी में सबसे बड़ा आयु वर्ग 50 के दशक के अंत और 60 के दशक की शुरुआत में है और वे जल्द ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। कंपनियां पहले से ही रिक्तियों को भरने के लिए संघर्ष कर रही हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि श्रम बाजार 2035 तक मौजूदा 46 मिलियन से 7 मिलियन श्रमिकों को खो देगा।

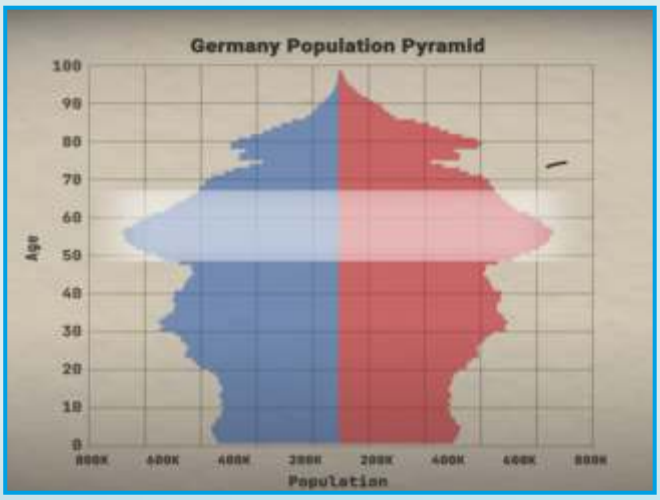

3. दूसरा, जब लोग सेवानिवृत्त होते हैं तो वे समाज पर अधिक पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं। बुजुर्गों की देखभाल के लिए वर्तमान दृष्टिकोण बुजुर्गों की देखभाल के लिए समाज के संसाधनों को बड़े पैमाने पर बर्बाद कर रहे हैं। पेंशन की लागत, स्वास्थ्य देखभाल की लागत। जब लोग 60 की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं तो वे कम खर्च करते हैं, कम कर देते हैं और समाज पर अधिक खर्च करते हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल एक श्रम गहन उद्योग है और पहले से ही कुछ देश श्रम की कमी का सामना कर रहे हैं।

4. 2016 के अनुसार, यूएस फेडरल रिजर्व जनसांख्यिकीय उम्र बढ़ने के शोध प्रभाग के पेपर से केंद्रीय बैंक लंबी अवधि की ब्याज दरों को बढ़ाने के लिए शक्तिहीन हो जाएंगे, अमेरिका का उदाहरण देते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया कि कम निवेश, कम ब्याज दरें और कम उत्पादन वृद्धि यहां हैं रहना। अमेरिकी अर्थव्यवस्था नए सामान्य में प्रवेश कर चुकी है।

5. निर्भरता अनुपात बुजुर्गों की सहायता के लिए काम करने वाले कुछ श्रमिकों की तुलना में बच्चों और सेवानिवृत्त लोगों की संख्या है जिसके गंभीर आर्थिक परिणाम होते हैं। 2020 में 65 से अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति पर 6.3 लोग काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का दावा है कि इस सदी के अंत तक यह आंकड़ा 2100 तक गिरकर 2.4 से 1 हो जाएगा।

6. आधारभूत संरचना उदाहरण के लिए, प्रजनन दर में गिरावट का एक और परिणाम है यामाकिता में, जापान समाचार दल को मिहो प्राथमिक विद्यालय में अंतिम स्नातक समारोह को कवर करने के लिए भेजा गया था, यह एक राष्ट्रीय समाचार था क्योंकि 12 वर्ष का बच्चा अपने वर्ष समूह में एकमात्र था। उसके स्नातक होने के बाद स्कूल बंद हो जाता है। पिछले तीन दशकों में शहर की आबादी में 30% की गिरावट आई है, एक स्कूल खुला रखने के लिए पर्याप्त बच्चे हैं। इसलिए, चूंकि मौजूदा आबादी की भरपाई नहीं की गई है, इसलिए मौजूदा बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ है।

7. कम जन्म दर किसी देश के भीतर सांस्कृतिक विविधता में कमी में योगदान कर सकती है। यदि जनसंख्या की भरपाई जन्मों के माध्यम से नहीं की जाती है, तो एकरूपता और अद्वितीय सांस्कृतिक परंपराओं, भाषाओं और दृष्टिकोणों के नुकसान का खतरा हो सकता है।

निष्कर्ष

जनसंख्या में गिरावट या अस्थिर वृद्धि से बचने के लिए प्रजनन दर को प्रतिस्थापन स्तर के करीब बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

के. सी रेखा – भारत की इकलौती लाईसेंस धारी मछुआरिन

आज तक ज्यादातर पुरुष ही नदियों या समुंदर में उतरकर मछलियों को पकड़ने का काम करते आ रहे हैं। लेकिन अब लोगों के मन में बनी यह धारणा भी पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि केरल की रहने वाली के.सी. रेखा ने सिर्फ़ समुद्र की लहरों का लुफ्त उठाने के बजाए समुद्र की गहराइयों तक उतर कर मछली पकड़ने का काम कर रही हैं और इसी के साथ भारत की पहली लाइसेंस धारी महिला मछुआरिन बनकर समाज में महिला सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत कर रहीं है। वैसे तो कई महिलाएँ इस काम से जुड़ी हैं, लेकिन केरल के थ्रिशूर जिले के 'चवक्कड़' गाँव की रहने वाली के.सी. रेखा की सबसे ख़ास बात यह है कि वह भारत की पहली ऐसी महिला मछुआरिन बन चुकी हैं जिनके पास सरकार द्वारा समुद्र में उतर कर मछली पकड़ने का लाइसेंस प्राप्त है। केरल की रहने वाली के.सी रेखा से पहले किसी भी महिला को भारत के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर समुद्र में उतरकर मछली पकड़ने का लाइसेंस प्राप्त नहीं था। 45 वर्षीय रेखा कोई छोटी मोटी नदियों या तालाबों में नहीं बल्कि अरब सागर में मछली पकड़ने का काम कर रहीं है। उनके इस बुलंद हौसले के लिए केरल के स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट ने रेखा को 'डीप शी फिशिंग लाइसेंस' दिया है और इस लाइसेंस के मिलने के बाद प्रिमियर मरीन रिसर्च एजेंसी 'द सेंट्रल मरीन फिशरीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट' के द्वारा रेखा को सम्मानित भी किया गया है।

श्री शेखर उज्जैनवाल, स्टोर कीपर

जगन्नाथ पुरी रथयात्रा

मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकारों के संघर्ष के प्रमुख नेता ने वर्ष 1959 अपनी भारत की यात्रा में पत्रकारों के एक समूह को संबोधित करते हुए कहा की दूसरे देशों में मैं एक पर्यटक की तरह जा सकता हूं लेकिन भारत में मैं एक तीर्थयात्री के रूप में ही आता हूं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का यह कथन पूर्णतया सच है। भारतवर्ष तीर्थस्थलों का देश है, चारों वेदो, शास्त्रों, पुराणों, उपनिषदों का सृजन इसी धरती पर हुआ है।

कुछ निजी करणों की वजह से कहीं किसी यात्रा पर न जा सकने के कारण, मन में एक यात्रा की ललक सी थी। इसी ललक के साथ जगन्नाथ पुरी में रथयात्रा में शामिल होने का विचार मन में आया और अपने मित्र नीतीश को फोन लगाया और झटपट हम दोनों राजी हो गए। यूं तो जगन्नाथ पुरी धाम हम दोनों ही काफी बार जा चुके थे, लेकिन इस बार रथयात्रा में शामिल होने क विचार था। थोड़ा भय भी था क्यूँकि रथ यात्रा में लाखों लोग आते हैं और 2023 की रथ यात्रा में 25 लाख लोगों के आने का अनुमान था।

पुराणों में भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रहों की एक कथा इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने 16108 रानियों के साथ रहते थे, और दिन भर राधा राधा का रट करते थे। एक दिन सभी रानियों ने रोहिणी माता से पूछा कि राधा और वृन्दावन में ऐसा क्या है जो कृष्ण राधा राधा रटते हैं और वृन्दावन की याद करते हैं, रोहिणी माता ने कहा मैं बता तो दूंगी किंतु, कृष्ण को पता चला तो वो वृन्दावन जाने की जिद करेंगे तो सबने कहा कि आप कथा सुनाएं, और सुभद्रा जी को पहरेदारी पर लगा दिया कि कृष्ण और बलराम को भीतर न आने देना।

ज्यों ही माता रोहिणी की वृन्दावन की महिमा शुरू हुई, वहीं सभा में बैठे श्री कृष्ण को पता चल गया कि कहीं वृन्दावन की रसिक चर्चा हो रही है, अपने बड़े भाई बलराम के साथ ढूंढते ढूंढते रोहिणी माता के कक्ष के पास पहुंचें। बाहर सुभद्रा को देख पुछा कि भीतर क्या हो रहा है। उन्होंने कहां की मां ने आप दोनों को भीतर आने से रोकने के लिए कहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है भीतर नहीं जाएंगे परंतु दीवार से सुन सकते हैं और ऐसे कह कर तीनो भाई बहन दीवार से सब सुनने लगें। वृन्दावन की महिमा सुन कर तीनो भाई बहन पिघल गये और विस्मितरूप में आ गये। तब नारद जी ने कहा प्रभु सब लोगो को आपके इस रूप में कैसे दर्शन हो? तब भगवान ने कहा कलियुग में हमारे ऐसे ही दर्शन होंगे और श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी जगननाथ पुरी में इसी रूप में हैं।

रेल टिकट की अनुपलब्धता के कारण हमने विशाखपटनम होते हुए पुरी जाने की सोची, इससे हम विशाखपटनम भी घूम पायेंगे। तय दिन हमने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से विशाखपटनम से ट्रेन ली और 35 घंटे बाद हम विशाखपटनम आ पहुंचे... तीन दिन यहां समुद्र तट देखे और सिंहाचलम मंदिर में दर्शन और मातृ पितृ समतुल्य सहकर्मी और उनकी पत्नी कि हाथों से बने भोजान का आस्वादन किय। तत्पश्चात, हम 19 जून को विशाखपटनम से भुवनेश्वर आ गये और 20 जून को हम भुवनेश्वर से ट्रेन से पुरी को निकल गए। भुवनेश्वर से पुरी की ट्रेन यात्रा में आमतौर पर 2 घंटे से कम समय लगता हैं लेकिन 20 जून को हमें करीब 6 घंटे लग गए। हम अपने फोन भुवनेश्वर में ही रख गये थे तो थोड़ा बोर हो गये थे। पहली बार रथ यात्रा में शामिल हो रहे थे तो ज्यादा कुछ पता नहीं था और साथ में एक डर था कि क्या हम रथ यात्रा देख भी पाएँगे।

ट्रेन में रेंगते, किसी तरह, पुरी स्टेशन पर पहुंचें और वहां से हम छोटी छोटी गलियों में से होते हुए यात्रा मार्ग पर पहुंचें... गर्मी के कारण हालत खराब हो रही थी और गलियों में इतने लोग थे तो हम यह सोच रहे थे की यहाँ इतने हैं तो यात्रा में कितने होंगे!

जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में दुनिया भर से कृष्णप्रेमी आते हैं और यह यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है और गुंडिचा माता के मंदिर में समाप्त होती है, मंदिरों के बीच में सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी होती है, लेकिन ये दूरी तय होने में काफी समय लग जाता है। यात्रा की तैयारी काफी पहले से शुरू हो जाती है, सबसे पहले तीन रथ बनाये जाते हैं बलभद्र जी का रथ लाल और हल्का हरा होता है, फिर सुभद्रा जी का, जो लाल और काले रंग का होता है और फिर जगन्नाथ जी का रथ जो लाल और पीले रंग का होता है। सभी रथ लकड़ी के होते और उनमें कोई भीं मशीनी उपकरण नहीं लगा होता। रथों पर भिन्न भिन्न प्रकार की नक्काशी की जाती है, कई देवताओं के चित्रों को उकेरा जाता है और रथों के आगे लकड़ी के अश्व बनाये जाते हैं।

रथ यात्रा के दिन तीनों विग्रहों को मंदिर से बाहर लाकर रथों पर बैठाया जाता है और फिर मंदिर के प्रधान सेवक जिन्हें गजापति कहा जाता है, सोने की झाडु से रथ के आगे साफ करते हैं और उसके बाद रथों को खींचा जाता है। ओडिशा सरकार ने रथ यात्रा में किसी प्रकार की अनहोनी घटना से बचने के लिये पर्याप्त इंतजाम किए थे जैसे कि पुलिस की काफी सारी पलटन, चिकित्सकों की टीम, दमकल की गाड़ियाँ इत्यादि और इसके अलावा पानी स्प्रे करने वाली गाड़ियाँ भी यात्रा में लोगो को गर्मी से बचाने में सहायक सिद्ध हो रही थीं। हम दोनों ने भी लोगो की भीड़ में शामिल हो कर रथों को खींच कर अपनी यात्रा सफल की और रात 11 बजे की ट्रेन से वापिस भुवनेश्वर आ गये।

मत्स्य अवतार - भगवान विष्णु

भगवान विष्णु के दस अवतारों में से एक है - मत्स्य अवतार।

विश्व को भीषण जल प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु इस रूप में प्रकट हुए थे।

मत्स्य अवतार सतयुग की शुरुआत में हुआ था।

मत्स्य अवतार धरती पर भगवान विष्णु का प्राथमिक अवतार है।

- बहुत कम लागत में, कम जगह में भी मत्स्यपालन संभव है
- मत्स्य व्यवसाय में कोई मंदी नहीं है
- खेतों में छोटा सा तालाब बनाकर मत्स्य पालन किया जा सकता है
- मत्स्यपालन और जलीय कृषि भोजन, पोषण, रोजगार, आय और विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है
- ऐसा माना जाता है की पूरी दुनिया में लगभग 25000 प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं
- कुछ मछलियाँ कुछ सप्ताह तक ही जीवित रहती हैं,तो कुछ 50-50 वर्ष तक जीवित रह सकती हैं।
- हिलसा मछली को भारत में सबसे महंगी मछली माना जाता हैं क्योंकि यह मछली भारत में काफी कम मात्रा में पाई जाती हैं और इसे 'माछेर राजा' यानी मछलियों का राजा भी कहा जाता है
- पफरफिश सबसे जहरीली मछली है; यह जापान में बहुत खायी जाती है
- धार्मिक कथाओं, पुराणों और हिन्दू संस्कृति में मछली को शुभ माना जाता है।

श्री शखावत हुसैन, आशुलिपिक ग्रेड - II

कविता

मछली और पानी

ए नदिया की रानी,
पीती कितना पानी,
तुझे ठंड नहीं लगती है,
हो न जाए कहीं जुकाम,
बाहर आजा कर आराम,
बातें करते प्यारी हो,
पर तुम बड़े अनाड़ी हो,
बाहर जो मैं आऊँगी,
तो क्या मर ना जाऊँगी।

शखावत हुसैन

जल की तितली मछली

इतने रंग बिरंगे कपड़े
पहन कहाँ को निकली हो
तुम तो मछली रानी लगती
मानो जल की तितली हो

जरा बताओ तो ये कपड़े
किस दर्जी से सिलवाए
किस कारीगर से ये अपने
प्यारे से पर लगवाए?

चलते चलते डुबकी खाना
किससे तुमने सीखा है?
पानी में यह खेल दिखाना
किस्से तुमने सीखा है?

कभी हमें भी न्यौता देकर
घर अपने तुम ले जाओ
और सभी मित्रों से अपने
हमको भी तो मिलवाओ
हमको भी तो मिलवाओ।।

शखावत हुसैन

Dr. Nilesh Anil Pawar, Deputy Director (AQ)

Sustainable Fisheries

In the vast embrace of the azure sea,
Where life's rhythm pulses wild and free,
A dance of creatures, diverse and grand,
Lies a realm where sustainability takes its stand.

Behold, the realm of sustainable fisheries,
Where harmony with nature is a treasured wish.
In these waters, a delicate balance is sought,
To ensure the bounties of the sea are
thoughtfully caught.

With eyes attuned to the changing tide,
Fishermen navigate with stewardship as their guide.
Respecting the rhythms of spawning and growth,
They harvest with care, ensuring future growth.

Selective gears and responsible nets,
Catch only what nature's abundance permits.
Bycatch minimized, habitats protected,
A legacy of thriving ecosystems erected.

Seasonal wisdom guides their quest,
Preserving stocks for generations yet.
Breathing life into coastal communities,
Sustainable fisheries, their pride and unity.

From mangrove estuaries to coral reefs,
They safeguard nature's magnificent motifs.
For they know that in this intricate dance,
Lies the key to prosperity and sustenance.

Educating minds, inspiring hearts,
They impart knowledge, playing their parts.
Empowering communities, fostering pride,
In sustainable fisheries, where futures reside.

Let us champion their noble cause,
Embrace the oceans' magnificent applause.
For in this realm, where balance thrives,
We ensure that future generations survive.

Together, we weave a vibrant story,
Of sustainable fisheries in all their glory.
Preserving the treasures beneath the tide,
In harmony with nature, side by side.

So, let us join hands, for the seas to mend,
And ensure this journey never finds an end.
With sustainable fisheries, let our spirits lift,
A testament to our planet's precious gift.

"तुम"

ढूंढ रही थी तुमको, कबसे मेरी निगाह
मिले भी आज ऐसे तो, नज़र झुका कर चल दिए
मुझे विश्वास ही नहीं हो सका कि
वो तुम ही रहे होगे
किन्तु दिल के बढ़े हुए बोझ ने
विश्वास करा दिया, एहसास करा दिया
विश्वास करा दिया

डॉ नियति जोशी
निदेशक (सांख्यिकी)

श्री आलोक वैध्द, परामर्शदाता

काश मैं अमीर बाप का बेटा होता...!

काश मैं अमीर बाप का बेटा होता...!

सोने की थालियों में खाता, चांदी के प्यालो में पीता, काश मैं अमीर बाप का बेटा होता...
सारा दिन बस आराम ही होता, क्योंकि करने को कुछ काम ना होता, काश मैं अमीर बाप का बेटा होता...
गाड़ियों की भी लम्बी कतार होती, जिसकी बुगाटी होती, फेरारी होती,
फ़िर नेता क्या अभिनेता क्या, PM से अपनी यारी होती है...
बाप के बिज़नेस हज़ार होते, नखरे भी अपने लाख में होते, अगर मैं अमीर बाप का बेटा होता...

फिर सोचता हूं चलो ठीक ही है...
इतने अमीर भी हम कश ना हो पाए,
के रिश्तों में दूरिया घर बना ले...
माँ बाप आठ महीने के बच्चे को फिर शिशुगृह में डाले...
आया फिर बच्चों को पाले,
बोलना जो सीखे बच्चा तो माँ बाप को अंकल आंटी कह डाले,
पराई औरत माँ की ममता से कैसे पाले,

संस्कारो वाली खाद भी उस नई कौन में कोने डाले...?
माँ बाप का साथ भी जरूरी है दो पल की उनसे बात भी जरूरी है...
धरती पर माँ बाप ही भगवान है, गीता है कुरान है...
वैसी अमीरी से, ये मेरी गरीबी अच्छी है,
भ्रूण में मार दें, कहकर ये तो बच्ची है,
ऐसी अमीरी के आगे मेरी गरीबी अच्छी है...

आलोक वैध्द (परामर्शदाता)

मावस की काली रातो में

मावस की काली रातो में, ठिठुरते से जज़बातों में, शर्म मगन हालातों में, और बातों ही बातों में,

किस्सा सुनाऊँ अपनी इक लोती औलाद का... ? जिसके लिए था मेरा सफ़र @ ज़िंदगी फ़ौलाद का!

मेरा पूत-सपूत आज दूर देश से आया है, साथ अपने अंग्रेजी मैडम लाया है... अरे चार बर्तन वो गेर आई, अरे भागी आई दौड़ी आई, लल्ला की फिर अम्मा आई, भौचक अम्मा देख हुई, जो लल्ला खड़ा था चौड़े में, आया था जो जोड़े में!

फिर दोंनों ने ना चरण छुवे, सीधे कमरे का रस्ता नाप लिया...! कैसी कटेगी आगे ये था हमने भी भॉप लिया...!

धड़कन की दौड़ कुछ धीमी पड़ी, एक-दूजे के अश्कों पे जब नजरें पड़ी, सन्न थे हम बुढ्ढे-बुढिया और सन्नाटा पसरा था घरौंदे में..... तभी अचानक खुसुर-फुसुर की आवाज़े आईं, कान की हमने मशीन लगाई!

ना ना ज़्यादा नहीं... इतना फिर सुनने में आई, के चार गज की चोखट में चारपाई लगाई जाएगी, और एक रजाई दे दी जाएगी...।

अब हम बूढे बदन और ऐसी औलाद के आगे लंगड़ी शक्सियत, माथे के बल में, मासूम सवाल छुपाए नैनों में निहारने लगे...। हमारी कट चुकी, तुम्हारी हमसे अच्छी कट जाएगी, ये दुआ भी बेटा असर कहां से लाएगी ?

मावस की काली रातों में, ठिठुरते से जज़बातों में, अरे तुम लो रजाई, अरे नहीं-नहीं आप लो रजाई, अरे ना ना तुम लो रजाई, अरे आप लीजिए ना रजाई...।!

आधी रात, हां हां बस आधी रात हमने यूं ही बिताई... अब गत हमारे सूरज का आह्वान होगा कुछ तो हमारा भी सम्मान होगा, लेकिन अब ना चार कंधों का भी मोह है, जाती जाती कह रही ये हमारी रूह है...

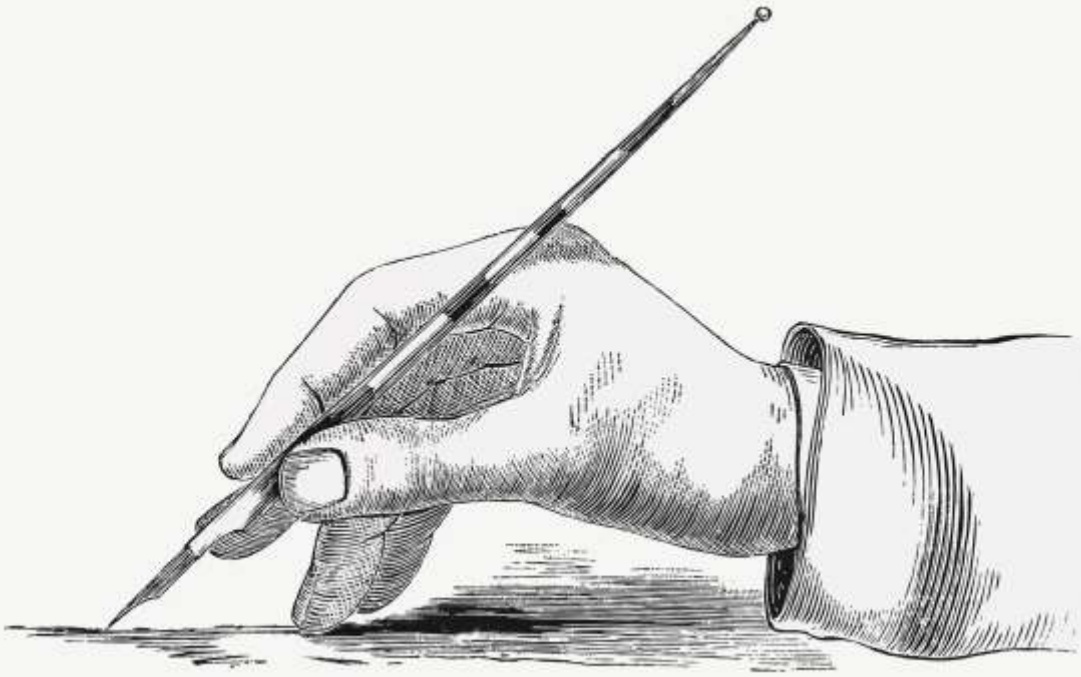

Ms. Ayela Khan, Consultant (Fy)

CAUTION FROM THE OCEAN

In oceans deep, where secrets lie,
A fragile world, where creatures vie
Beneath the waves, life's vibrant mix,
Conserve the fish, let biodiversity fix

From coral reefs to kelp-filled beds,
A tapestry of colors spread
Fish, big and small, dance and glide,
In ecosystems where they strive
Indian mackeral, sleek and quick,
Swimming amongst the coral brick
Yellowfin tuna, mighty and vast,
Their strength and speed unsurpassed

But threats emerge, mankind's demand,
Endangering this delicate band
Litter pollutes each crystal wave,
Destroying the homes that fish crave

Overfishing depletes their numbers,
Watching species slowly crumble asunder
We must unite, raise our voices high,
To protect the fish, bid the sea goodbye
Conservation is the urgent plea,
To ensure thriving biodiversity
Restrict the nets, limit the catch,
Preserve the oceans and prevent the snatch

Educate the young, inspire their hearts,
Teach them how each fish plays its part
For if we don't act, the consequences dire,
Fish diversity depleted, a world on fire
So let us stand, united as one,
To save these creatures before they're gone
Embrace sustainable practices, do what's right,
To conserve the fish, restore their light

For in their presence, life's beauty shines,
A reminder of nature's grand designs
Together, let us take a stand,
And ensure fish's diversity continues to expand.

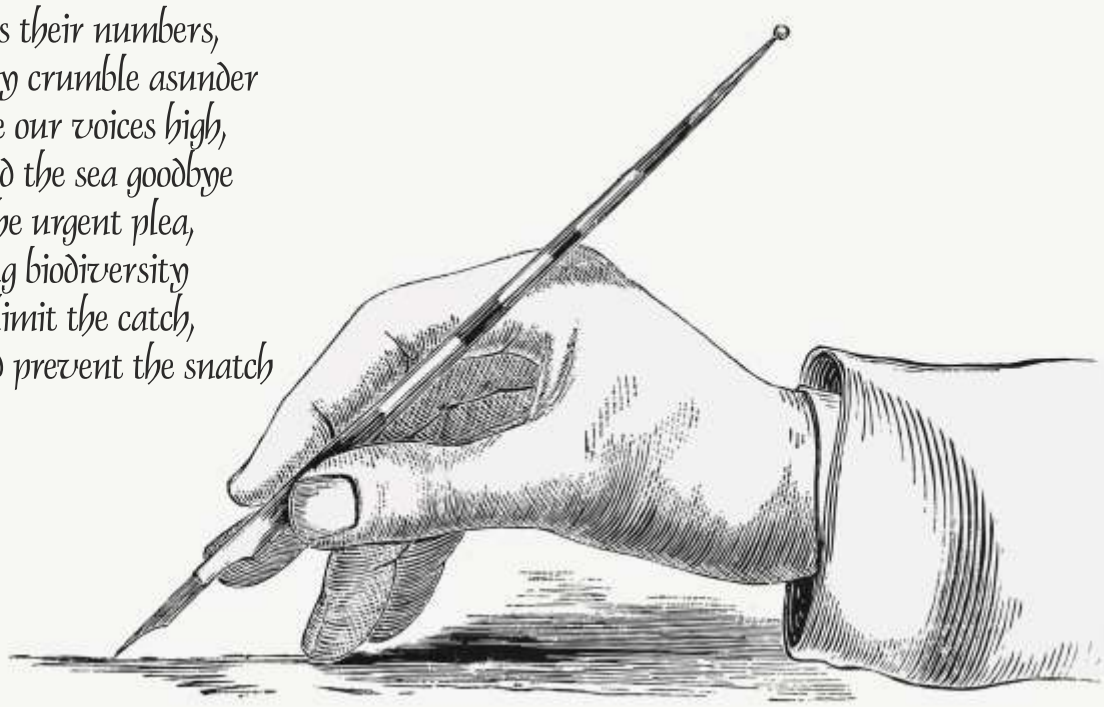

श्रीम. एस. रेशमी,सहायक निदेशक (राजभाषा)

मत्स्यपालन विभाग में राजभाषा के बढ़ते कदम

मत्स्यपालन विभाग में राजभाषा की कहानी कुछ विशिष्ट है। यह विशिष्ट इसलिए है क्योंकि हालांकि यह विभाग अस्तित्व में फरवरी, 2019 में आया और इस लिहाज से भारत सरकार में एक नया विभाग कहलाया गया लेकिन इसकी मूल गतिविधियां तो तब से चल रही हैं जब से यह कृषि मंत्रालय के अधीन था और तब भी चल रहीं थीं जब यह मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी विभाग था। इस दृष्टि से देखा जाए तो मत्स्यपालन संबंधी गतिविधियां चल ही रहीं थीं, राजभाषा का पहलू भी विद्यमान था फिर जब यह एकल रूप से, पृथक होकर अलग विभाग यानि मत्स्यपालन विभाग बना तब राजभाषा का क्या हुआ यह काफी रोचक है। नए विभाग का गौरव प्राप्त कर लेने के बाद, मत्स्यपालन संबंधी सभी गतिविधियों को नए "मत्स्यपालन विभाग" के अंतर्गत लाया गया। मत्स्यपालन, मत्स्य किसान, मात्स्यिकी, मत्स्यन, मत्स्यन बन्दरगाह, अंतर्देशीय मात्स्यिकी, समुद्री मात्स्यिकी, जल कृषि, सजावटी मात्स्यिकी इत्यादि को नई पहचान देकर नए मत्स्यपालन विभाग की नई छत्री में लाया गया पर राजभाषा कहीं न कहीं छूट गई। ध्यान से गुम हुई। लिहाज़ा, नए विभाग में दस्तावेजों का तांता लग गया। संवैधानिक दायित्व का पालन तो करना है। दस्तावेज़ द्विभाषी होने हैं। अनुवाद आवश्यक है। किसी तरह काम चल जाए, अत: अनुवाद के लिए कंसल्टेंट्स भर्ती हुए। कंसल्टेंट्स से काम चलता भी रहा लेकिन बात बनी नहीं। इस यथार्थ से दो चार होना पड़ा कि वास्तव में राजभाषा का अर्थ केवल सरकारी दस्तावेजों का अनुवाद करना ही नहीं है, वरन अपने आप में एक बृहद कान्सैप्ट है जिसमें सरकारी गतिविधियों में राजभाषा को आत्मसात करने की बात है, राजभाषा के कारगर कार्यान्वयन की बात है, केंद्र सरकार के अधकारियों / कर्मियों द्वारा आम जनता / नागरिक को एक उदाहरण प्रस्तुत करने की बात है अत: राजभाषा अपने आप में भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट अनुसार सरकार का एक बहुत बड़ा दायित्व है, यह हमारे देश की एक बहुत बड़ी योजना है जिसको नियोजित करने की बात है, कार्यान्विति करने की बात है, देश को भाषायी संस्कृति से जोड़ने की बात है, देश की भाषा को अंतराष्ट्रीय पहचान देने की बात है।

अँग्रेजी में एक कहावत है "चैरिटी बिगिन्स एट होम"। राजभाषा के लिए विचार किया जाए तो पहले हम अपने घर में तो राजभाषा को ठीक से अपनाएं, तभी तो अंतराष्ट्रीय पहचान के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। अपने ही घर में राजभाषा को अनाथ कर दें तो अंतराष्ट्रीयता की बात को कैसे आगे रखें ? अंतत: मत्स्यपालन विभाग ने ठान ली कि राजभाषा के लिए विभाग में पद सृजित किए जाएंगे, विभाग में राजभाषा के संवैधानिक दायित्व के अनुपालन में कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी और इस प्रकार कई प्रयासों के फलस्वरूप नियमानुसार नए पद सृजित हुए और मत्स्यपालन विभाग में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सीएसओएल संवर्ग से अधिकारी / कर्मी जुड़ गए।

तत्पश्चात मत्स्यपालन विभाग में संसदीय राजभाषा समिति ने निरीक्षण कार्य आरंभ किए। अधीनस्थ कार्यालय एनएफ़डीबी, सिफनेट और एफ़एसआई का सफलतापूर्वक संसदीय निरीक्षण हुआ। हम ग्राउंड ज़ीरो पर थे तथापि कमियों को जल्द पाटा गया। राजभाषा अनुभाग ने त्वरित कार्यान्वयन पर समुचित ध्यान देते हुए लगभग सभी कार्यान्वयन मदों को एक साथ धरातल पर रखा और अनुवाद के साथ साथ राजभाषा कार्यान्वयन को भी गति दी, अंजाम दिया।

राजभाषा संवर्ग के अधिकारी और कर्मियों के कार्यभार संभाल लेने के पश्चात विभाग में राजभाषा से जुड़े कार्यों में तेजी आई है। केवल अल्प अवधि में कई राजभाषा संबंधी कार्य विभाग के लिए किए गए जैसे धारा 3(3) का कड़ाई से अनुपालन, तिमाही रिपोर्टों को ऑनलाइन भेजने की व्यवस्था, अधीनस्थ कार्यालयों की तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा, अधीनस्थ कार्यालयों को मार्गदर्शन, राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम का परिचालन और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समुचित

प्रयास, विभाग की तिमाही रिपोर्ट तैयार करना, हिंदी ज्ञान संबंधी रोस्टर, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन और बैठक का नियमानुसार आयोजन, राजभाषा पखवाड़े का आयोजन, शब्दावली संबंधी कार्य, वेबसाइट का द्विभाषीकरण, पत्राचार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का कार्य, राजभाषा नियमों और विनियमों के अनुसार कार्यान्वयन लागू करना, दिशानिर्देशा तैयार करना, संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन इत्यादि । अल्पावधि में समस्त राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी कार्य संभाल लिया गया। यही नहीं अनुवाद कार्य में दक्षता, सटीकता और मूल पाठ पर पूरा न्याय करते जुए अनुवाद कार्य किया जा रहा है और सभी अनुवाद कार्यों को विभाग में अब बखूबी और समयबद्ध रूप से निभाया जाता है। अनुवाद कार्य हो या राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य हो - दोनों आयामों में राजभाषा के कदम बहुत आत्मविश्वास के साथ मत्स्यपालन विभाग में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं।

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।।

अंग्रेज़ी पढ़ि के जदपि, सब गुन होत प्रवीन पै निज भाषाज्ञान बिन, रहत हीन के हीन।।

उन्नति पूरी है तबहिं जब घर उन्नति होय निज शरीर उन्नति किये, रहत मूढ़ सब कोय।।

आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, वे हिंदी गद्य के एक महान लेखक थे।
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य में विशेष योगदान दिया।

स्वर्गीय डॉ. शैलेन्द्र कुमार द्विवेदी, सहायक आयुक्त (मा.)

मानवता को गरिमा देने का सरल माध्यम है क्षमाशीलता

" परिवार, संगठन, समुदाय या संस्थानो के कामकाज में अब कोई रुकावट आती है तो उसके दो प्रमुख कारण होते है "

प्रथम व्यक्तिगत अहंकार और दूसरा अंतकरण में क्षमाशीलता का अभाव। जिस व्यक्ति में अहंकार की 'मात्रा जितना अधिक होती है उसमें क्षमादान की सामर्थ भी उतनी ही कम होती है। दरअसल 'क्षमाशीलता मनुष्य के आध्यात्मिक शुद्धिकरण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे उसकी व्यक्तित्व का निखार 'होने के साथ-साथ उसकी आत्मा का भी उत्थान होता है। क्षमा, श्रेष्ठ व कुलीन आत्माओं का आभूषण है। जो व्यक्ति जीवन की प्रतिकूल पगडंडियों पर क्षमाशीलता को अपनाते हुए शान्त चित्त होकर आगे बढ़ता है, वही अपने गन्तव्य पर सफलतापुर्वक हवजारोहण करता है।

क्षमाशीलता साधना-सिद्धि का राजपथ है, क्षमा, धर्म की उद्घोषणा है। क्षमा, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। क्षमाशीलता इंसान की इंसानियत को गरिमा और ऊंचाई प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। क्षमा के अभाव में मनुष्य असुर बन जाता है।

क्षमा सभी धर्मो का आधार है।

क्षमा देने वाले की भांति क्षमा मागने वाला भी उतना ही श्रेष्ठ है, अपनी गलती पर क्षमा मांगने से उसके हृदय में विनयशीलता का जो भाव उपजता है, इससे उसका कद पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ जाता है। यही वह बिन्दु है जहाँ व्यक्ति का अहंकार और क्रोध विसर्जित होने लगता है। व्यक्ति में बदलाव की यही प्रक्रिया समाज का माहौल भी बदलने लगती है। यही वह अद्भुत स्थिति है जहाँ से पारस्परिक सौहार्द व सहिष्णुता का सृजन होता है। इसी के परिणामस्वरुप समाज में शान्ति व सद्भावना बढ़ने लगती है।

क्षमा देने वाले की भांति क्षमा मागने वाला भी उतना ही श्रेष्ठ है, अपनी गलती पर क्षमा मांगने से उसके हृदय में विनयशीलता का जो भाव उपजता है, इससे उसका कद पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ जाता है। यही वह बिन्दु है जहाँ व्यक्ति का अहंकार और क्रोध विसर्जित होने लगता है। व्यक्ति में बदलाव की यही प्रक्रिया समाज का माहौल भी बदलने लगती है। यही वह अद्भुत स्थिति है जहाँ से पारस्परिक सौहार्द व सहिष्णुता का सृजन होता है। इसी के परिणामस्वरुप समाज में शान्ति व सद्भावना बढ़ने लगती है।

"सत्य सरल तो है पर अहंकार को कठिनता में रस मिलता है। भगवान शिव कहते है - आत्मा चित्तम् अर्थात आत्मा ही चित्त है। अहंकार का जन्म नही होता। यह केवल छलावा है एक मायावी आभास। अहंकार के दो रुप है-कर्त्ताभाव और ज्ञाताभाव। मैं, कर सकता हूँ, मैं जान सकता हूँ। ये दोनों बातें अहंकार को और घना बना देती है। सरल और सुगम मार्ग अपनाने वाले सुनकर ही वहाँ पहुँच जाते हैं।"

प्रशासनिक वाक्यांश

भारत दुनिया का एक मात्र देश है जिसके पास 22 संवैधानिक भाषाए हैं। भाषाई विविधता हमारी बहुआयामी संस्कृति की विशेषता है। भाषा संस्कृति की वाहक है। शब्द महज अक्षरों और भाषाओं का खेल नही, सच्चाई की अभिव्यक्ति हैं। प्रशासनिक अनुभाग में कार्यालयी कार्य करते समय निम्नलिखित वाक्याशों का विशेष ध्यान व यथोचित प्रयोग हिन्दी में करना चाहिए ।

Accord approval / sanction to :
मंजुरी / अनुमोदन प्रदान करें।
Acceptance is awaited:
स्वीकृति की प्रतीक्षा हैं।

Action as at "A" above:
उपयुक्त 'क' के अनुसार कार्रवाई की जाए / करें।

Action is under way:
कार्रवाई चल रही हैं।

Address all concerned:
सभी सम्बधित को सूचित करें।

Agenda is sent herewith:
कार्यसूची साथ में भेजी जा रही हैं।

Bill has been checked and found correct:
बिल की जॉच की गई और सही पाया गया ।

Claim is time barred:
दावें का समय समाप्त हो गया। (दावा कालातित)

Ensure that reply is not delayed:
सुनिश्चित करे कि उत्तर देने में विलम्ब/ देर न हो।

Expenditure is debitable to Head:
इस व्यय / खर्च की शीर्ष ..... के अन्तर्गत रखें।

Ex-post sanction is accorded as proposed.
कार्योत्तर मंजुरी यथाप्रस्तापित रुप में प्रदान की जाती है।
Issue today:
आज ही जारी / निर्गत करें।

Let the status quo be maintained
यथास्थिति बनाये रखें ।

Lowest quotation may be accepted:
न्यूनतम दरें स्वीकृत की जा सकती है।

May please furnish the requisite information.
कृपया अपेक्षित सूचना प्रदान करें।

Sanction will be accorded, if justification is given
यदि उचित कारण दिया जाए तो मंजूरी प्रदान की जाऐगी ।

Please say if you agree with the finding of the enquiry
कृपया बताए, क्या आप जॉच निष्कर्षो से सहमत है ?

Postpone for the present:
फिलहाल स्थगित रखें ।

Recommended for favorable considerations:
उचित विचार हेतु सिफारिश की जाती है।

Regretted, the proposal cannot be agreed to:
खेद हैं, आपके प्रस्ताव पर सहमति नही दी जा सकती ।

Ultimately, it has to be done:
अन्तत: इसे किया जायें।

Sanction will be accorded, if justification is given
यदि उचित कारण दिया जाए तो मंजूरी प्रदान की जाऐगी ।

Please say if you agree with the finding of the enquiry
कृपया बताए, क्या आप जॉच निष्कर्षो से सहमत है ?

Postpone for the present:
फिलहाल स्थगित रखें ।

Recommended for favorable considerations:
उचित विचार हेतु सिफारिश की जाती है।

Regretted, the proposal cannot be agreed to:
खेद हैं, आपके प्रस्ताव पर सहमति नही दी जा सकती ।

Ultimately, it has to be done:
अन्तत: इसे किया जायें।

राजभाषा नियम, 1976

हिंदी के अनुमानित ज्ञान के आधार पर देश के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को तीन क्षेत्रों, यथा- क, ख, ग में परिभाषित किया गया है

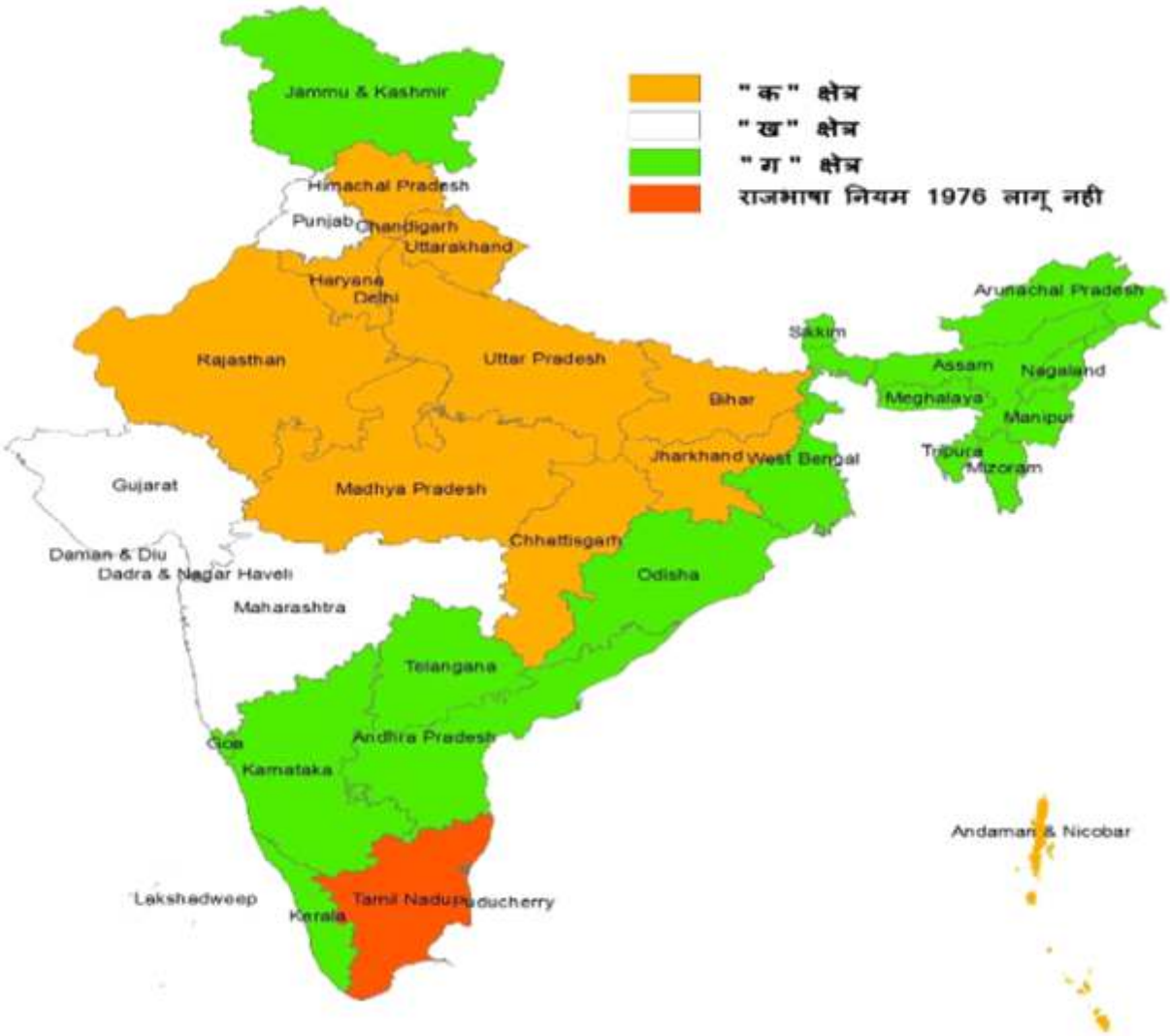

राजभाषा नियम, 1976

- हिंदी के अनुमानित ज्ञान के आधार पर देश के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को तीन क्षेत्रों, यथा - क, ख, ग में परिभाषित किया गया है।

भाषा क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य
'क'	बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य हैं
'ख'	गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य
'ग'	उपरोक्त निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य

विदेशी भाषा के शब्द जो हिन्दी मे घुल गईं है

पुर्तगाली

अचार, चाबी, संतरा, साबुन, पपीता, ऑलपिन, बाल्टी, गमला, बस्ता, मेज, बटन, कारतूस, तिजोरी,तौलिया, फीता, तंबाकू, कॉफी।

तुर्की

बेग़म, खंजर, कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दारोगा, बहादुर, चम्मच, उर्दू, तमाशा, चुगली, कालीन, चेचक।

फ्रेंच

काजू, कारतूस, मेयर, कूपन, मेन्यू, सूप, सुइट (suite), होटल, ब्लॉग, मेयर, अंगरेज, रेस्तरां।

डच

ड्रिल, बम, चिड़िया।

यूनानी

एकेडमी, एटलस, बाइबिल, टेलिफोन।

अरबी

औरत, अदालत, कानून, कुर्सी, लिफाफा, इज़्ज़त, इलाज, औलाद, हिम्मत, कब्जा, दुनिया, बहस,

फारसी

आदमी, तनख्वाह, चश्मा, बीमार, ज़मीन, दवा, ख़ून, गुब्बारा

मत्स्यपालन विभाग में राजभाषा पखवाड़ा गविविवियों की झलक – सितम्बर, 2023

निबंध प्रतियोगिता – सितम्बर, 2023

राजभाषा कार्यशाला – सितम्बर, 2023

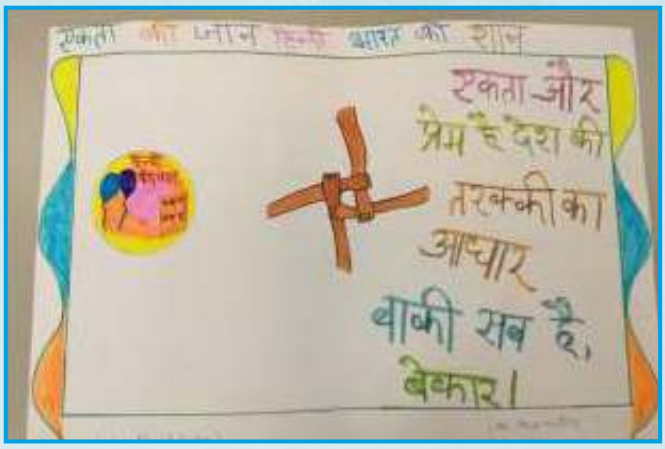

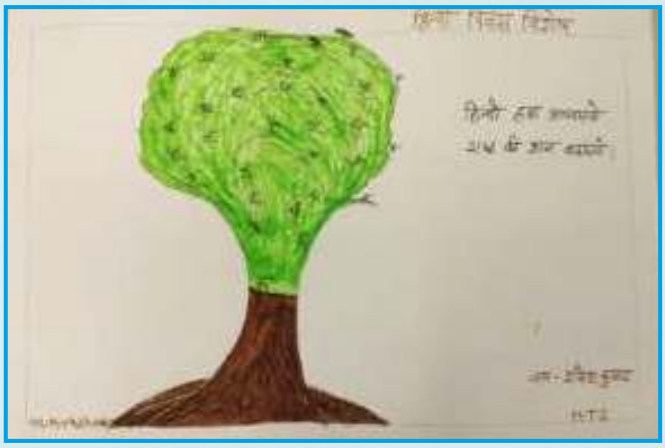

राजभाषा हिन्दी और भारत की एकता - चित्रकला – मत्स्यपालन विभाग – सितम्बर, 2023

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राजभाषा गविविवियों (2022)की कुछ झलक

राजभाषा कार्यशाला-2022

मत्स्यपालन विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा गतिविधियाँ

एनएफ़डीबी में राजभाषा पखवाड़ा गतिविधियां – 2023

एनएफडीबी, हैदराबाद में हिन्दी प्रतियोगिताओं के पुरस्कारों का वितरण संपन्न

एनएफडीबी, हैदराबाद में हिन्दी पखवाड़े के तहत आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने के अवसर पर उपस्थित मुख्य कार्यपालक प्रभारी डॉ.एल. नरसिम्हा मूर्ति, कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं प्रशासन) एन. वेंकटेश एवं अन्य।

हैदराबाद, 4 अक्तूबर
(मिलाप ब्यूरो)

एनएफडीबी, हैदराबाद में (14 से 29 सितंबर) हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान कर्मचारियों के लिए हिन्दी आशुभाषण, हिन्दी निबंध, स्मृति-परीक्षा, कविता पाठ और प्रश्न-मंच प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया।

यहाँ जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस उपलक्ष्य में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन आज मुख्य कार्यपालक प्रभारी डॉ.एल. नरसिम्हा मूर्ति की अध्यक्षता में किया गया। कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं प्रशासन) एन. वेंकटेश एवं अन्य कार्यपालक निदेशक अवसर पर उपस्थित थे।

डॉ. मूर्ति ने हिन्दी की उपयोगिता और हिन्दी के प्रति अपनी संवैधानिक एवं नैतिक जिम्मेदारी के प्रति सभी को अवगत कराते हुए दैनिक कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने प्रतिभागियों और पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। मुख्य कार्यपालक प्रभारी ने विजेताओं को पुरस्कार और प्रतिभागियों को भी प्रतिभागिता पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम का संचालन राजभाषा सलाहकार कृपा राम लहकरा ने किया। कपिल पराते द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उल्लेखनीय है कि एनएफडीबी के पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र, भुवनेश्वर और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र गुवाहाटी में हिन्दी पखवाड़ा, प्रतियोगिताओं और पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया।

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (मुख्यालय) मुंबई

संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (मुख्यालय) मुंबई का राजभाषा निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा 17.01.2023 को भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (मुख्यालय) मुंबई का राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी राजभाषा निरीक्षण हॉटेल प्रेसिडेंट ताज, कफ परेड, मुंबई में किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पाई गई और कमियों को सुधारने के बाद अनुपालन रिपोर्ट छह माह के भीतर समिति को भेजने का निदेश दिया गया।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग को प्रतिनिधित्व करते हुए श्री एस के झा, उप सचिव (प्रशासन) श्रीमती एस. रेश्मी, सहायक निदेशक (रा.भा.) ने विचार विमर्श में भाग लिया। संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए गए निरीक्षण कार्यक्रम में डॉ. आर. जयभास्करन, महानिदेशक, डॉ. महेश कुमार फरेज़िया, उप महानिदेशक (अभियांत्रिकी), श्रीमती एम. के. श्रीमती, व. प्रशासनिक अधिकारी और श्रीमती मीरा वेल्लेन राजीव, क. अनुवाद अधिकारी ने भाग लिया।

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा 17.01.2023 को भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (मुख्यालय) मुंबई का निरीक्षण कार्यक्रम

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टोलिक)

- डॉ. महेश कुमार फरेज़िया, उप महानिदेशक (अभियांत्रिकी) और श्रीमती मीरा वेल्लेन राजीव, क. अनुवाद अधिकारी ने 25.05.2022 को पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय) चर्चगेट, मुंबई में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ऑनलाइन अर्ध वार्षिक बैठक में भाग लिया।

- डॉ. महेश कुमार फरेज़िया, उप महानिदेशक (अभियांत्रिकी) और श्री विशाल के खरात, प्रवर श्रेणी लिपिक ने 19.10.2022 को पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय) चर्चगेट, मुंबई में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ऑनलाइन अर्ध वार्षिक बैठक में भाग लिया।

- डॉ. महेश कुमार फरेज़िया, उप महानिदेशक (अभियांत्रिकी) और श्रीमती मीरा वेल्लेन राजीव, क. अनुवाद अधिकारी ने 15.05.2023 को पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय) चर्चगेट, मुंबई में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ऑनलाइन अर्ध वार्षिक बैठक में भाग लिया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओ एल आई सी) की बैठक

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (मुख्यालय)

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (मुख्यालय) मुंबई की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही प्रगति समीक्षा बैठक डॉ. आर. जयभास्करन, महानिदेशक की अध्यक्षता में 29.06.2022 को हुई। समिति ने सभी अनुभागों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की और अध्यक्ष द्वारा बताई गई कमियों को सुधारने हेतु सुझाव दिए। श्रीमती मीरा वेल्लेन राजीव, समिति के सदस्य/संयोजक के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक संपन्न हुई।

भा मा स (मुख्यालय) मुंबई की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही प्रगति समीक्षा बैठक डॉ. आर. जयभास्करन, महानिदेशक की अध्यक्षता में 29.09.2022 को हुई। समिति ने सभी अनुभागों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की और अध्यक्ष द्वारा बताई गई कमियों को सुधारने हेतु सुझाव दिए।

भा मा स (मुख्यालय) मुंबई की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही प्रगति समीक्षा बैठक डॉ. आर. जयभास्करन, महानिदेशक की अध्यक्षता में 20.03.2023 को हुई। समिति ने सभी अनुभागों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की और अध्यक्ष द्वारा बताई गई कमियों को सुधारने हेतु सुझाव दिए। बैठक में 17.01.2023 को संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा दिए गए राजभाषा निरीक्षण के दौरान आश्वासनों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। महानिदेशक ने अपने संबोधन में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों से समिति को दिए गए सभी आश्वासनों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी कहा की हम राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बैठक महानिदेशक के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक संपन्न हुई।

भा मा स (मुख्यालय) मुंबई की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही प्रगति समीक्षा बैठक डॉ. आर. जयभास्करन, महानिदेशक की अध्यक्षता में 30.06.2023 को हुई। समिति ने सभी अनुभागों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की और अध्यक्ष द्वारा बताई गई कमियों को सुधारने हेतु सुझाव दिए।

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण मुख्यालय, मुंबई की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 30.06.2023

बैठक में 17.01.2023 को संसदीय समिति की दूसरी उप समिति द्वारा किए गए राजभाषा निरीक्षण समिति को दिए गए आश्वासनों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इससे पहले महानिदेशक ने सदस्य/संयोजक के रूप में भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण की 116वीं राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित करने के लिए कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी की सराहना की। भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के दो सदस्य श्री एस.के. जायसवाल, निदेशक (अभियंता) 30.06.2023 को सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त हुए। और श्रीमती मीरा वेल्लन राजीव, क. अनुवाद अधिकारी राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य/संयोजक के रूप में कई वर्षों तक सेवा करने के बाद 31.07.2023 को सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। चूंकि यह इस तिमाही में उनकी आखिरी बैठक थी, इसलिए उन्हें शॉल और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। श्रीमती मीरा वेल्लेन राजीव, समिति के सदस्य/संयोजक के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक संपन्न हुई।

प्रशिक्षण

हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण

- श्री सुमंत कुमार, एल डी सी, भा मा स (मुख्यालय), मुंबई ने हिंदी शिक्षण योजना के तहत 95% के साथ हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की।

- श्रीमती साधना बाबर, एल डी सी, भा मा स का मुंबई बेस ने हिंदी शिक्षण योजना के तहत 100% अंक के साथ हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की।

- डॉ. देवानंद उइके, व. वैज्ञानिक सहायक ने हिंदी शिक्षण योजना के तहत 76% अंक के साथ हिंदी पारंगत परीक्षा उत्तीर्ण की। उनको हिंदी पारंगत परीक्षा उत्तीर्ण होने पर रु.10,000/-का नकद पुरस्कार प्राप्त हुआ।• भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के कोच्चिन बेस के हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी राजभाषा निरीक्षण श्रीमती मीरा वेल्लेन राजीव, क. अनुवाद अधिकारी द्वारा 18 एवं 19 अप्रैल 2022 को किया गया। उन्होंने सभी अनुभागों का निरीक्षण किया और कमियों को सुधारने हेतु सुझाव दिया।

- श्री रोशन कुमार, एम टी एस, भा मा स (मुख्यालय), मुंबई ने हिंदी शिक्षण योजना के तहत 78% के साथ हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की।

हिंदी पखवाड़ा का आयोजन एवं पुरस्कार वितरण भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (मुख्यालय) मुंबई

चेन्नई बेस

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के चेन्नई बेस में दिनांक 01.09.2022 से 14.09.2022 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़ा के दौरान हिंदी में कई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बेस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया। प्रतिभागिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

हिंदी पखवाड़ा का आयोजन एवं पुरस्कार वितरण भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण का चेन्नई बेस

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफ़एसआई), कोच्चि में राजभाषा गतिविधियां

राजभाषा कार्यान्वयन के लिए एफएसआई, कोच्चि को राजभाषा रोलिंग ट्रॉफी प्रदान की गई

30.6.2023 को सिफनेट के निदेशक श्री ए. के चौधरी द्वारा हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन।

महानिदेशक, एफएसआई, मुंबई द्वारा त्रिभाषी वैज्ञानिक त्रैमासिक जर्नल का विमोचन।

महानिदेशक एफएसआई मुंबई द्वारा हिंदी पत्रिका मत्स्य ध्वनि (ई पत्रिका) का विमोचन

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण विशाखापट्टनम बेस

राजभाषा कार्यान्वयन

हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन

1. राजभाषा कार्यान्वयन के तहत सितंबर 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान दिनांक 23.09.2022 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉ रीता त्रिवेदी, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, विशाखपट्टणम ने बतौर संकाय सदस्य हिंदी शब्दावली और व्याकरण के बारे में बतलाया।

2. राजभाषा कार्यान्वयन के तहत दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान दिनांक 22.12.2022 को श्री डी भामि रेड्डी, यांत्रिक समुद्री अभियंता की अध्यक्षता में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्रीमती जी दीप्ति, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, विशाखपट्टणम ने बतौर संकाय सदस्य हिंदी टिप्पण लेखन और सरकारी पत्रों के विभिन्न प्रारूपों के बारे में बतलाया।

3. राजभाषा कार्यान्वयन के तहत मार्च 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान दिनांक 16.03.2023 को श्री डी भामि रेड्डी, यांत्रिक समुद्री अभियंता की अध्यक्षता में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉ रीता त्रिवेदी, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, विशाखपट्टणम ने बतौर संकाय सदस्य हिंदी शब्दावली और व्याकरण के बारे में बतलाया।

4. भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्रम वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही अप्रैल - जून 2023 के दौरान दिनांक 14.06.2023 को कार्यालय में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में डॉ रीता त्रिवेदी, सहायक निदेशक (भाषा), हिंदी शिक्षण योजना, विशाखपट्टणम बतौर संकाय सदस्य और मुख्य अतिथि उपस्थित थीं। संकाय सदस्य के तौर पर डॉ रीता त्रिवेदी, हिंदी प्राध्यापक ने अपने व्याख्यान में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी नियमों पर चर्चा करते हुए हिंदी प्रशासनिक शब्दों और दैनिक कार्यों में उनके प्रयोग के बारे में बतलाया । तत्पश्चात, उन्होंने प्रशासनिक शब्दावली का अभ्यास करवाया।

तिमाही समीक्षा बैठकों का आयोजन

1. अप्रैल - जून 2022 की अवधि के लिए दिनांक 23.09.2022 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉ रीता त्रिवेदी, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, विशाखपट्टणम बतौर समीक्षक उपस्थित थीं । समीक्षा करते हुए उन्होने कार्यालय द्वारा सफल राजभाषा कार्यान्वयन हेतु उठाए गए कदमों की काफी प्रशंसा की।

2. जुलाई सितंबर 2022 की अवधि के लिए दिनांक 22.12.2022 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही समीक्षा बैठक का आयोजन श्री डी भामि रेड्डी, यांत्रिक समुद्री अभियंता की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर डॉ रीता त्रिवेदी, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, विशाखपट्टणम बतौर समीक्षक उपस्थित थीं। डॉ ए बी कर, हिंदी संपर्क अधिकारी द्वारा तिमाही के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन तथा हिंदी में किए गए कार्यक्रम/गतिविधियों के बारे प्रस्तुति की गई। कार्यालय में हो रहे राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षक द्वारा काफी प्रशंसा की गई ।

3. अक्तूबर - दिसंबर 2022 की अवधि के लिए दिनांक 16.03.2023 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही समीक्षा बैठक का आयोजन श्री डी भामि रेड्डी, यांत्रिक समुद्री अभियंता की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर डॉ रीता त्रिवेदी, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, विशाखपट्टणम बतौर समीक्षक उपस्थित थीं। श्री शाहनवाज़, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा तिमाही के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन तथा हिंदी में किए गए कार्यक्रम/गतिविधियों के बारे प्रस्तुति की गई। कार्यालय में हो रहे राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षक द्वारा काफी प्रशंसा की गई।

4. जनवरी मार्च 2023 की अवधि के लिए दिनांक 14.06.2023 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही समीक्षा बैठक का आयोजन श्री डी भामि रेड्डी, यांत्रिक समुद्री अभियंता की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर डॉ रीता त्रिवेदी, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, विशाखपट्टणम बतौर समीक्षक उपस्थित थीं। पिछली तिमाही (जनवरी मार्च 2023) के दौरान हिंदी से संबन्धित गतिविधियों जैसे - हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट, कार्यशाला आयोजन तथा पूर्व आयोजित समीक्षा बैठक के कार्यवृत पर लिए गए एक्शन के बारे में पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण द्वारा सभी सदस्यों को अवगत कराया।

हिंदी पखवाड़ा 2022

राजभाषा कार्यान्वयन के तहत 14 से 30 सितंबर 2022 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया था। दिनांक 14 और 15 सितंबर 2022 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम, सूरत, गुजरात में हिंदी दिवस और दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में कार्यालय द्वारा भागीदारी की गई थी। पखवाड़ा के दौरान विभिन्न कार्यालयों जैसे भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट), केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.एफ.टी.) और केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सी.एम.एफ.आर.आई.) के मध्य हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, टिप्पण और आलेखन, हस्तलेख (हैंड राइटिंग), भाषण प्रतियोगिता, कार्यालय के कर्मियों के बच्चों के लिए कविता पाठ, तत्काल भाषण प्रतियोगगिता का आयोजन किया गया था। हिंदी पखवाड़ा 2022 के समापन समारोह का आयोजन दिनांक 30.09.2022 को किया गया। समापन समारोह के इस अवसर पर श्री सी सुब्बा राव उप-महानिदेशक (अभियांत्रिकी) तथा कार्यालय प्रमुख, आकाशवाणी, विशाखपट्टणम बतौर मुख्य अतिथि तथा हिंदी शिक्षण योजना, विशाखपट्टणम के श्री आरुणि त्रिवेदी, हिंदी प्राध्यापक बतौर सम्मानीय अतिथि उपस्थित थे। विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि और सम्मानीय अतिथि ने पुरस्कृत किया।

20.09.2022 को हस्तलेख,
टिप्पण और आलेखन प्रतियोगिता

23.09.2022 को भाषण प्रतियोगिता

दिनांक 28.09.2022 को विभिन्न कार्यालयों के मध्य राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता

हिंदी पखवाड़ा 2022 समापन समारोह में कार्यालय के कर्मियों के बच्चों द्वारा कविता पाठ,
और पुरस्कार वितरण हिंदी पखवाड़ा

हिंदी पखवाड़ा 2022 समापन समारोह के दौरान तत्काल भाषण प्रतियोगिता में भाग लेते हुए कार्यालय के कर्मी, आगंतुक और पुरस्कार वितरण

सम्मानीय अतिथि का सम्बोधन

हिंदी संपर्क अधिकारी का सम्बोधन

मुख्य अतिथि का सम्बोधन

ग्रुप फोटो

हिंदी संगोष्ठी का आयोजन

नगर राजभाषा कार्यान्वयन सामिति विशाखपट्टणम के तत्वावधान में दिनांक 16.11.2022 को श्री डी भामि रेड्डी, यांत्रिक समुद्री अभियंता की अध्यक्षता में भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के विशाखपट्टणम क्षेत्रीय बेस द्वारा एक दिवसीय हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर डी.आई.जी. श्री सत्यरंजन दास, चीफ स्टाफ ऑफिसर, मुख्यालय, भारतीय तटरक्षक, पूर्वी सीबोर्ड विशाखपट्टणम तथा सम्माननीय अतिथि के रूप में श्री ए वेंकटेश्वर राव, सचिव, नराकास एवं सहायक कार्मिक अधिकारी, मण्डल रेल प्रबन्धक का कार्यालय, पूर्व तट रेलवे, विशाखपट्टणम उपस्थित थे। हिंदी संगोष्ठी में विशाखपट्टणम स्थित विभिन्न केंद्रीय सरकारी कार्यालय- सिफनेट, निफ़ाट, सी.आई.एफ.टी, सी.एम.एफ.आर.आई, आकाशवाणी, हिंदी शिक्षण योजना, मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, चक्रवात चेतावनी केंद्र, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, मण्डल रेल प्रबन्धक का कार्यालय, एम.एम.डी, दीपपोत और दीपस्तंभ महानिदेशालय, एन.एस.टी.एल., नौसेना गोदीवाड़ा के कार्यालय प्रमुखों के साथ-साथ राजभाषा संवर्ग के अधिकारी और कर्मचारियों ने हिंदी संगोष्ठी के विषय "सरकारी कार्यालयों में राजभाषा का प्रभावी कार्यान्वयन और राजभाषा नियमों का अनुपालन" पर अपने विचार, पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से व्यक्त किए।

विश्व हिंदी दिवस का आयोजन

दिनांक 10 जनवरी 2023 को बेस कार्यालय के सभागार में श्री डी भामि रेड्डी, यांत्रिक समुद्री अभियंता की अध्यक्षता में विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया गया । इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर डॉ जय सिंह मीणा, उप-निदेशक, निफ़ाट, विशाखपट्टणम उपस्थित थे। विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में "हिंदी भाषा का महत्व" विषय पर एक भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें कार्यालय के साथ-साथ दोनों जलयान "मत्स्य शिकारी" और "मत्स्य दर्शिनी" के कर्मियों ने भी बढ़-चढ़ कर भाग लिया। मुख्य अतिथि द्वारा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।

राजभाषा गृह पत्रिका "विशाखा, अंक 4 का विमोचन समारोह

दिनांक 30.03.2023 को इस कार्यालय द्वारा राजभाषा गृह पत्रिका "विशाखा, अंक-4 का विमोचन किया गया। इस अवसर पर श्रीमती बिदिशा गुप्ता, उप-महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, विशाखपट्टणम बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए पत्रिका का विमोचन किया। अन्य गणमान्य व्यक्तियों में श्री ए वेंकटेश्वर राव, सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति विशाखपट्टणम के साथ-साथ डॉ जे चार्ल्स जीवा, कार्यालय प्रमुख और प्रधान वैज्ञानिक, सी.एम.एफ.आर.आई, डॉ यू श्रीधर, प्रधान वैज्ञानिक और वैज्ञानिक प्रभारी, सी.आई.एफ.टी, डॉ जे एस मीना, उप-निदेशक, निफ्फाट, श्री हृषिकेश बिसोई, उप-निदेशक, सिफनेट, श्री आरुणि त्रिवेदी, हिंदी प्राध्यापक और डॉ रीता त्रिवेदी, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय से श्री सुनील कुमार विभूति, सहायक निदेशक (राजभाषा) और श्रीमती जी दीप्ति, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, मण्डल रेल प्रबन्धक का कार्यालय से श्री चन्द्रशेखर राव, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी उपस्थित थे। आमंत्रित अतिथियों के अलावा भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुंबई के सेवा निवृत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री यू अप्पा राव भी इस दौरान समारोह में बतौर विशेष अतिथि उपस्थित थे। बेस कार्यालय सहित जलयान मत्स्य शिकारी और मत्स्य दर्शिनी के अधिकारी और कर्मचारी भी समारोह में उपस्थित थे।

पुरस्कार

दिनांक 31.05.2023 को मण्डल रेल प्रबन्धक, वालतेरु मण्डल, पूर्वी तट रेलवे के सभागार में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, विशाखपट्टणम की 76 वीं बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में वर्ष 2022-2023 के दौरान कार्यालय में राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन करने वाले कार्यालयों को पुरस्कृत किया गया। **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन (वर्ष 2022-2023) के लिए भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के विशाखपट्टनम क्षेत्रीय कार्यालय को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।**

श्री डी भामि रेड्डी, यांत्रिक समुद्री अभियंता ने श्री अनूप सतपथी, मं रे प्र/नराकास अध्यक्ष से प्रशस्ति पत्र तथा शील्ड ग्रहण किए । इसके अलावा, नराकास, विशाखपटनम के तत्वावधन में दीपपोत और दीपस्तम्भ निदेशालय द्वारा 18.05.2023 को आयोजित किए गए हिंदी टिप्पण और प्रारूपन प्रतियोगिता में सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री ए उदय कुमार, आशुलिपिक श्रेणी-1 को कार्यक्रम के दौरान मण्डल रेल प्रबन्धक/नराकास अध्यक्ष ने प्रशस्ति पत्र और प्रोत्साहन राशि से पुरस्कृत किया।

संकाय सदस्य के रूप में भागीदारी

नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, विशाखपटनम के अनुरोध अनुसार दिनांक 27.12.2022 को आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला में डॉ ए बी कर, वरिष्ठ मात्स्यिकी वैज्ञानिक को संकाय सदस्य के रूप में नामित किया गया था। उन्होने अपने व्याख्यान में भारतीय समुद्री मात्स्यिकी परिदृश्य के बारे में बतलाया ।

कार्यालय द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं प्रचार-प्रसार के लिए किए गए विशेष कार्य

1. हिंदी भाषा में अथवा हिंदी के लिए महापुरुषों द्वारा कहे गए कथनों को विनाईल शीट में मुद्रित करके कार्यालय भवन के प्रत्येक कमरों में लगाया गया है।

2. हिंदी भाषा में लोगों की रुचि को बढ़ाने के लिए प्रत्येक दिन लिखे जाने वाले "आज का शब्द" को डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है।

राजभाषा संसदीय समिति की दूसरी उप-समिति द्वारा बेस कार्यालय का निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति ने आज दिनांक 24.08.2023 विशाखपट्टणम (आंध्र प्रदेश) में भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के विशाखपट्टणम क्षेत्रीय कार्यालय के साथ निरीक्षण बैठक की। इस दौरान समिति ने मंत्रालय एवं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिती में हो रहे राजभाषा हिंदी के कार्यों का अवलोकन किया। बेस कार्यालय द्वारा किए जा रहे राजभाषा कार्यान्वयन की प्रतिशतता (98%) को देखते हुए समिति की सह संयोजक तथा माननीय संसद सदस्य श्रीमती रंजनबेन भट्ट महोदया ने कार्यालय की काफी सराहना की। सफलतापूर्वक निरीक्षण होने के पश्चात समिति द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट) में राजभाषा हिंदी

24/9/2022 को सिफनेट मुख्यालय, कोच्ची का निरीक्षण करते संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति निरीक्षण के दौरान सिफनेट मुख्यालय कोच्ची के निदेशक एवं अन्य प्रतिनिधि

24/9/2022 को संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के पश्चात् प्रमाणपत्र स्वीकार करते हुए श्री. ए.के. चौधुरी, सिफनेट, निदेशक

सिफनेट मुख्यालय कोच्ची में तकनीकी कर्मचारियों केलिए आयोजित हिंदी कार्यशाला में प्रतिभागियों का दृश्य

सिफनेट मुख्यालय कोच्ची में हुई हिंदी कार्यशाला का दृश्य

सिफनेट विशाखपटनम में आयोजित हिंदी कार्यशाला से।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा 24/8/2023 को सिफनेट विशाखपटनम के निरीक्षण के दौरान श्री.एम हबीबुल्ला, निदेशक, सिफनेट माननीय समिति के सह संयोजक श्रीमती रंजन बेन भट्ट का स्वागत करते हुए।

संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के दौरान सिफनेट विशाखपटनम के प्रतिनिधि

राजभाषा समिति द्वारा 24/8/2023 को सिफनेट इकाई, विशाखपटनम के निरीक्षण के पश्चात् श्री हृषिकेश बिषोयि, उप निदेशक, प्रमाण पत्र स्वीकार करते हुए।

राजभाषा के रंग कार्टून के संग (स्रोत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)

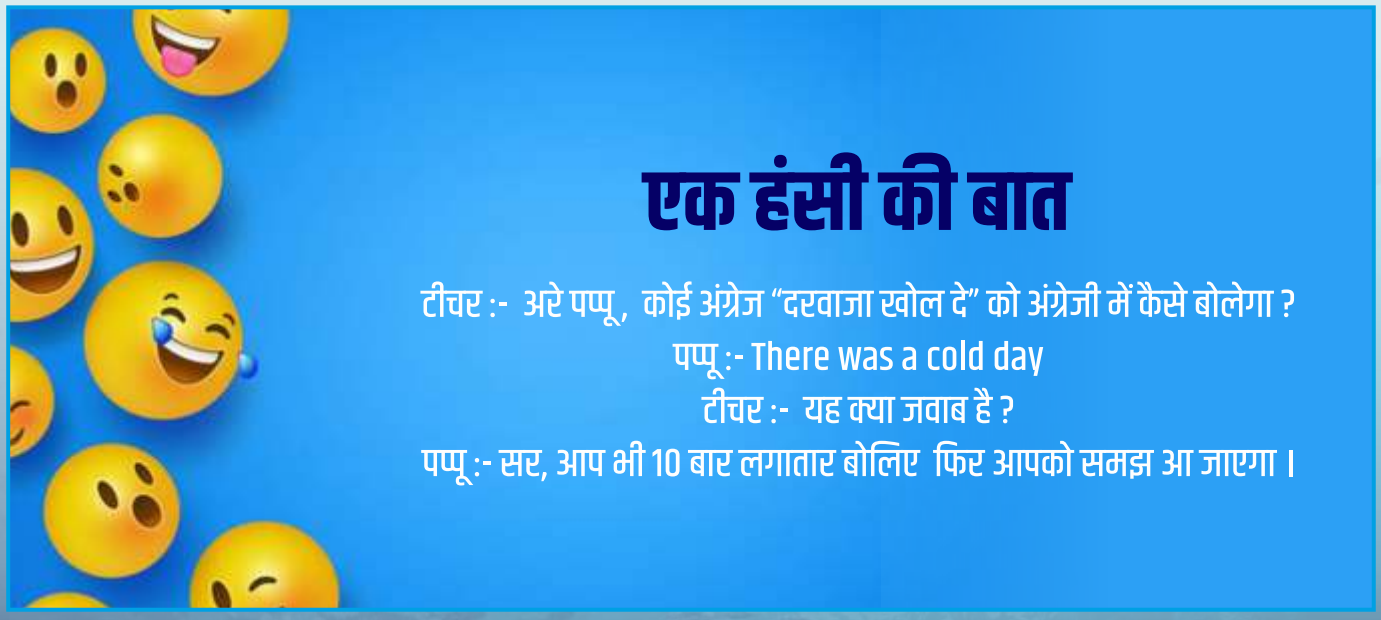

एक हंसी की बात

टीचर :- अरे पप्पू, कोई अंग्रेज "दरवाजा खोल दे" को अंग्रेजी में कैसे बोलेगा ?

पप्पू :- There was a cold day

टीचर :- यह क्या जवाब है ?

पप्पू :- सर, आप भी 10 बार लगातार बोलिए फिर आपको समझ आ जाएगा ।

पिछले 52 साल से लगातार प्रकाशित पुणे का एकमात्र हिंदी दैनिक

आज का आनंद

खुद बदलो ! दुनिया बदल जायेगी...

पुणे, शुक्रवार, 15 सितंबर 2023, पृष्ठ :16, ₹ 7 | वर्ष : 53, अंक : 170 | पुणे, मुंबई से प्रकाशित

NPAV PC, Laptop Tablet, Mobile सुरक्षा Ransomware Protection www.npav.net 92.25.66.48.17 93.71.72.48.88

हिंदी को उचित सम्मान दिलाने का काम पहली बार हो रहा

वालेवाड़ी में तीसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा ने कहा

- बोले - भाषा को लेकर राजनीति करने वालों की वजह से हिंदी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा
- अंग्रेजों की कूटनीति से भी हिंदी की गरिमा पर असर पड़ा : आजादी के बाद 2021 से व्यापक स्तर पर हिंदी दिवस मनाया जाने लगा
- पीएम मोदी की नीतियों के चलते हिंदी का जलवा G-20 सम्मेलन में दिखा, सारे राष्ट्र प्रमुखों ने हिंदी भाषण को सराहा, कई ने तो हिंदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया
- गृह मंत्री अमित शाह ने अपने वीडियो संदेश में कहा - अब हिंदी को पूरे विश्व में सम्मान मिल रहा, पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने की ताकत हिंदी में

वालेवाड़ी स्थित शिवछत्रपति क्रीड़ा संकुल में आयोजित तीसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर उपस्थित राजभाषा के उपसभापति हरिवंश सिंह, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारती पवार, संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष भर्तृहरि महताब, राजभाषा सांसद रमेश सिंह, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष प्रा.गिरीशनाथ झा, राजभाषा विभाग की सचिव अंशुली आर्य तथा संयुक्त सचिव मीनाक्षी जोशी.

वालेवाड़ी, 14 सितंबर
(आज का आनंद न्यूज नेटवर्क)

हिंदी को उचित सम्मान दिलाने का काम पहली बार हो रहा है. यह बात पुणे में आयोजित तीसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कही. उन्होंने कहा कि, भाषा को लेकर राजनीति करने वालों की वजह से हिंदी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है. साथ ही अंग्रेजों की कूटनीति से भी हिंदी की गरिमा पर असर पड़ा. अजय मिश्रा ने कहा, आजादी के बाद 2021 से व्यापक स्तर पर हिंदी दिवस मनाया जाने लगा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के चलते हिंदी का जलवा G-20 सम्मेलन में दिखाई दिया. सारे राष्ट्र प्रमुखों ने हिंदी भाषण को सराहा, कई ने तो हिंदी में प्रधानमंत्री का अभिनंदन भी किया. वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि, अब हिंदी को पूरे विश्व में सम्मान मिल रहा है, पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने की ताकत हिंदी में है.

वालेवाड़ी स्थित श्री शिवछत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित तृतीय भारतीय राजभाषा सम्मेलन में राजभाषा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय राज्य मंत्री भारती पवार, संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष भर्तृहरि महताब, राजभाषा सांसद रमेश सिंह, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष प्रा. गिरीशनाथ झा, राजभाषा विभाग की सचिव अंशुली आर्य, संयुक्त सचिव डॉ. मीनाक्षी जोशी भी उपस्थित थीं. कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का प्रस्तुतीकरण किया. इसके बाद राजभाषा सचिव अंशुली आर्य ने कार्यक्रम की प्रस्तावना पेश की. केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि, हिंदी दिवस हम सभी 14 सितंबर को हर वर्ष लंबे समय से मना रहे हैं लेकिन आज यह कार्यक्रम अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन तीसरी बार कर रहे हैं. यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रयासों का ही फल है, जो आजादी के बाद पहली बार 2021 के बाद कई पैमाने पर मनाया जा रहा है व अब हम यह भी कह सकते हैं कि हमने बहुत लंबे समय से इस अवसर को खोया है. जब आजादी के 75 साल पूरे होने वाले थे तब पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया, इसके पीछे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह की प्रेरणा है. आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं.

(विस्तृत समाचार पेज 10 व 11 पर)

हिंदी को वैश्विक मंचों पर यथोचित सम्मान मिला : गृहमंत्री

[illegible]

मातृभाषा की उन्नति के बिना समाज की तरक्की संभव नहीं : केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार

केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार ने कहा कि मातृभाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है अपने भाषा के ज्ञान के बिना पर की पीड़ा का दूर करना के लिए भाषा महत्वपूर्ण है. आशा यही है कि अपनी भाषा में जो काम करने का उत्तरदायी है, वो किसी अन्य भाषा में काम करने में नहीं हो सकता है. यों लिए आज यह खुशी की बात यह है कि आज यहां हिंदी दिवस अखिल भारतीय स्तर पर मनाया जा रहा है. मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देती हूं और सभी विभागों से आशा करती हूं कि आगे भी इसी तरह से अपना कार्यकरण हिंदी में करने को प्राथमिकता दें. हमारी भाषा और गौरवशाली संस्कृत दुनिया भर में प्रसिद्ध है. हम सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है. हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी के माध्यम से लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया है.

हिन्दी को एक सक्षम और समर्थ भाषा बनाने में अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। यह आप सबके प्रयासों का ही परिणाम है कि वैश्विक मंच पर हिन्दी लगातार अपनी मजबूत पहचान बना रही है।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग